

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 तेरहवीं राजस्थान विधान सभा के तृतीय सत्र का सातवां दिवस संख्या 5

सोमवार,

13 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत देय पेंशन नियमों में संशोधन

41. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:- (1) राज्य में गत छह माह में वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितनों को पेंशन जारी की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन आवेदन के पश्चात कितने दिन में स्वीकृत कर दी जाती है?

(3) क्या यह सही है कि वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन स्वीकृति हेतु आवेदक के पुत्र या पुत्री की आयु 25 वर्ष से कम होना आवश्यक है?

(4) क्या यह सही है कि जिन आवेदकों की इकलौती पुत्रियां हैं और शादी के पश्चात अपने ससुराल रहती हैं, क्या उन्हें पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(5) क्या यह सही है कि जिन आवेदकों के 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र हैं और उन द्वारा भरण पोषण नहीं किया जाकर वे अलग रहते हैं तो क्या ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(6) जिन आवेदकों के पुत्र, पुत्रियां 25 वर्ष से अधिक आयु के हैं किन्तु बेरोजगार अथवा गंभीर रोगी हैं, क्या सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को भी पेंशन स्वीकृत की जाती है?

(7) क्या सरकार उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु नियमों में संशोधन करने का

विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): (1) राज्य में गत छह माह में वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं पेंशन जारी करने की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	पेंशन का प्रकार	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	संख्या जिनकी पेंशन जारी की गई
1.	वृद्धावस्था	24043	18571
2.	विधवा	15517	12404
3.	विकलांग	4821	3475

विवरण परिशिष्ट-1 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राजस्थान वृद्धावस्था एवं विधवा नियम, 1974 में आवेदन के पश्चात तीस दिन की अवधि में जांच कार्य पूर्ण कर पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान है, जबकि राजस्थान अपाहिज, अपंग एवं अंधे व्यक्तियों के पेंशन नियम 1955 में पेंशन स्वीकृत करने हेतु समयावधि निर्धारित नहीं है।

(3) जी हां, लेकिन परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत पुत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां, पेंशन नियमों में आवेदकों के 25 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र होने एवं उसके शारीरिक रूप से निःशक्त होने के कारण, कमाने में असमर्थ होने पर, पेंशन स्वीकृत करने का प्रावधान है। पुत्रियों को परिवार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(7) यह एक नीतिगत मामला है एवं एक सतत् प्रक्रिया है। अतः ऐसे प्रकरणों में समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन 5472,3113 और विकलांग के 1346 फार्म जो आपने खारिज किये हैं। जो खारिज किये आवेदन हैं उनको क्या सूचना भेजी है रजिस्टर्ड ए डी से या किसी भी तरीके से कि आपके खारिज होने का क्या कारण है? खण्ड- ए। उसका जवाब दे दें फिर आगे बढ़ते जायेंगे।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फार्म प्राप्त होते हैं उनकी सत्यापन की जांच होती है और जांच होने के उपरांत जो फार्म पात्रता की अयोग्यता रखते हैं, पात्रता पूरी नहीं रखते उनको निरस्त

कर दिया जाता है और शेष फार्मों को जो पैण्डिंग रहते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई फार्म कम्पलीट नहीं हो, इनकम्पलीट फार्म जैसे फोटो नहीं लगी हुई हो या एज का सर्टिफिकेट नहीं हो या किसी प्रकार की कोई कमी हो उनको पैण्डिंग रखा जाता है और निरस्त कर दिया जाता है। शेष फार्म जिनकी योग्यताओं में कमी रहती है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर आप बता दें इसमें कितने फार्म तो पैण्डिंग हैं, कितने फार्म खारिज कर दिये, यह बता दें?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, वृद्धावस्था में जो हमें फार्म प्राप्त हुए थे 24043 थे जिसमें में 18571 को हमने स्वीकृति जारी कर दी। शेष फार्म 1613 थे उनको निरस्त कर दिया गया, शेष फार्म जो पैण्डिंग हैं वह 2925 हैं, यह इनकम्पलीट फार्म हैं, इनको कम्पलीट कराने की प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार विधवा पेंशन में 15517 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 12404 को जारी कर दिया गया और 1116 को निरस्त कर दिया और शेष फार्म 1655 हैं जो इनकम्पलीट हैं। इनको पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है। इसी प्रकार विकलांग में 4821 फार्म प्राप्त हुए थे 3475 को जारी कर दिया गया और 678 फार्म निरस्त कर दिये गये और 474 फार्म पैण्डिंग हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह जानकारी दे दें एक भी फार्म की कोई भी रजिस्टर्ड ए डी के द्वारा जो खारिज किये गये हैं उसकी एक की भी रसीद आप सदन के पटल पर रख दें, एक की भी, मैं सदन के सामने बोल रहा हूं, बड़ी प्रामाणिकता से बोल रहा हूं, एक की भी जिसका आपने खारिज किया है। आपके नियम और कानून है कि आप जिसको खारिज करेंगे उसको सूचना देंगे। सूचना के बाद उसको अपील का अधिकार है। आप कहो तो पढ़कर सुना दूं, सदन चाहे तो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): इसमें यह है..

श्री अध्यक्ष: नहीं, मंत्री जी को जानकारी है इन सब चीजों की तो आप तो स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो स्पेसिफिक प्रश्न है, एक की भी रजिस्टर्ड ए डी रख दें जिसको आपने खारिज किया है और खारिज के बाद उसको रजिस्टर्ड ए डी द्वारा भेजा गया है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आवेदन फार्म प्राप्त करने का कार्य एस डी एम और बी डी ओ का है और सत्यापन का कार्य जो जांचकर्ता है वह तहसीलदार है। इसमें जो फार्म निरस्त

किये जाते हैं उनके लिए अयोग्यता जो पात्रता में अयोग्यता होती है, जैसे उसका 25 वर्ष का पुत्र है या उसकी एज ज्यादा है या उसकी रेग्युलर इन्कम है, यदि वह पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर वह पाई जाती है तो उन फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है और यह नोटिस देने का

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मैं तो आपको यह कह रहा हूँ कि जो रिजेक्ट फार्म हैं उनको रजिस्टर्ड ए डी से आपने एक को तो भेजा होगा, राजस्थान में एक की बता दें कि यह रजिस्टर्ड ए डी भेजी।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था.....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बाकी सूचना नहीं होगी तो अपील कहां से करेगा। आपके कानून है हर चीज का नियम और कानून बना रखा है सरकार ने। आवेदन खारिज करने की सूचना, उसका रूल है राजस्थान सरकार वित्त विभाग के नियम कानून हैं, पढ़कर सुना दूँ आप कहो तो ।

श्री अध्यक्ष: इनको सब जानकारी है। समय का ध्यान रखें, आप स्पेसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बता दें आप रजिस्टर्ड ए डी रख दें एक की (व्यवधान)

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): भिजवाये ही नहीं आपने (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रक्रिया एस डी एम, एस डी ओ और तहसीलदार के मध्य की है। जो फार्म रिजेक्ट किये हैं इससे संबंधित जो फार्म रिजेक्ट किये जाते हैं वह नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिये जाते हैं। वहां से उनको सूचना प्राप्त हो जाती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय,.....

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम के अन्दर यह लिखा है स्पष्ट रूप से आवेदन खारिज करने वाले को नियम 9 उसका बिन्दु 6 "The Enquiry Officer shall after enquiry and verification send the form OAP-I in original to the sanctioning authority with his recommendation for orders in each case. The sanctioning authority shall after considering each case carefully pass orders with respect to either grant of pension in Form OAP-III or reject the claim under intimation to the

destitute."

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बताओ, यह बताओ आप तो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड ए डी से सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या बात करते हो?

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): जांच के दौरान प्रार्थी को सूचना दे दी जाती है। जांच जब की जाती है तो प्रार्थी को इसकी सूचना दे दी जाती है कि आपका फार्म इन कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अच्छा, सूचना कैसे दी जाती है यह बता दें। आज तक राजस्थान विधान सभा के 200 सदस्य बैठे हैं अगर इमानदारी से बात करें तो कोई यह कह दे कि हां इस तरह से सूचना देने का प्रावधान है। आप फार्म जमा कराते हैं, उसको देखते नहीं, उसको उसी समय चैक कर लें। आगे मंत्री जी अभी बहुत हैं, इसमें आप जवाब नहीं दे पायेंगे क्योंकि डिस्प्यूट है इस चीज में क्योंकि समाज कल्याण विभाग बनाता है इसका रूल और शहर में एस डी ओ और ग्राम पंचायत समिति बी डी ओ इसका सैंक्शन आथोरिटी है। दोनों डिपार्टमेंट का जवाब दे रहे हैं माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और उनके अन्डर में कलैक्टर आते नहीं हैं इसलिए जवाब नहीं दे पायेंगे। आगे आप बताएं, आपने लिखा कि तीस दिन के अन्दर आप फार्म स्वीकृत करते हैं। मैं आपको टेबल करना चाहता हूं जिम्मेदारी से, बाकायदा नाम और उसकी सैंक्शन की कापी सहित इसमें आपने फार्म प्राप्त होने की तिथि और उसको स्वीकृत करने की तिथि में साढ़े चार महीने, आपके वर्तमान शासन के अन्दर साढ़े चार महीने विधवा, वृद्धावस्था, विकलांग, अपाहिज की पेंशन स्वीकृत नहीं की। क्या सरकार जिन लोगों ने उनको चार महीने तक विधवा, विकलांग, वृद्धा पेंशन स्वीकृत नहीं की, क्या सरकार उनको दण्डित करना चाहती है? दण्डित करना चाहती है तो क्या दण्डित करना चाहती है?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों में प्रावधान है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद.....

Vns/usc/11.10/13.7.2009/1b/1/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

30 दिन में उसकी जांच होकर बाद में स्वीकृति जारी कर दी जाती है। यदि इस प्रकार का कोई माननीय सदस्य

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कोई नहीं...

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस भी संबंधित अधिकारी की इसमें त्रुटि होगी तो निश्चित तौर पर...

श्री अध्यक्ष: नहीं, फार्मलिटी कम्पलीट होने के बाद 30 दिन या आर्डर के 30 दिन ?

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद सत्यता की जांच होती है और उसका सत्य पाया जाता है तो उसका पी पी ओ जारी कर दिया जाता है स्वीकृति होने के बाद। यह निश्चित नियम है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्री महोदय, अभी मैंने पत्र लिखा और मैंने मेरे विधान सभा क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी उसमें लिखित में मेरे को अभी जवाब दिया 30 दिन पहले कि आपके विधान सभा क्षेत्र में 6144 वृद्धावस्था, विकलांग और विधवा पेंशन बंद कर दी गयी हैं। क्या कारण है ? क्यों बंद कर दी गयी ? किस अपराध की सजा उन वृद्ध, विधवा और विकलांगों को दी जा रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पिछले तीन दिनों से बारां में कलेक्ट्रेट के बार विकलांग आमरण अनशन पर बैठे हैं। एक की तबीयत कल खराब हो गयी उसको अस्पताल में भर्ती कराया। विकलांग इसलिये बैठा है कि उसकी पेंशन बंद कर दी। उसने कहा हमें नरेगा में रोजगार दे दो। हम पत्थर तोड़ लेंगे। बैठे हैं जिसका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है। एक हाथ से पत्थर तोड़ने को तैयार है....

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं। भाषण नहीं। स्पेसिफिक है...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): भाषण नहीं, भाषण नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: स्पेसिफिक प्रश्न करिये। ब्रश्न करिये।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): यह अन्याय है। यह मानवता के ऊपर प्रहार है..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करिये। प्रश्न करिये....

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): प्रश्न के ऊपर ही बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: प्रश्न के ऊपर बोलना नहीं, प्रश्न करना है।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): और इसीलिये कह रहा हूं यह 6144 मेरे लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के जो वृद्ध हैं, विकलांग है या विधवा हैं उनकी पेंशन आपने कैसे बंद कर रखी है ? आप बताएं।

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष

महोदय जिन विधवा या विकलांग की पेंशन पहले से जारी थी और पात्रता में किसी प्रकार की अयोग्यता पैदा हो जाती है, यदि कोई रेगुलर इनके पास है या उनका पुत्र 20..

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, लम्बा जवाब मत करो आप खुद मानते हो....

श्री अध्यक्ष: आप जवाब देने तो दीजिये तो। जवाब देने दीजिये। स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं साथ ही यह निवेदन कर रहा था कि पात्रता में कोई अयोग्यता पैदा हो जाती है तो फार्म रिजेक्ट कर दिये जाते हैं, पेंशन बंद कर दी जाती है और वर्तमान में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है जो उनका मूल प्रश्न है वह केवल छह माह की सूचना उन्होंने यहां हमसे मांगी है यदि यह पिछले सत्र की कोई बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह हमें बता दें हम उसको आपको सूचना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं कि वर्ष 2008-09 के लिये कितने आवेदन थे जिनके लिये पेंशन राशि स्वीकृत करना थी और बजटीय प्रावधान गत वर्ष क्या रखा गया था ?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना मांगी गयी थी 2008-09 की, अगर माननीय सदस्य की यह क्वेरी है तो वह आपको भिजवा दी जायेगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मेरा उसमें ऐसा नहीं है, मेरा इतना ही है कि देखिये यह बहस का विषय नहीं है, बिंदु उठे हैं, सारे सदस्य इससे परिचित हैं। अध्यक्ष महोदय, हम तो यह चाहते हैं कि कहीं कमी आयी है। जैसे एक सुझाव आया है कि आप उस पात्र को सूचित नहीं करते तो सूचित के लिये आश्वासन ही कर दें इतनी सी बात है। हम कह

रहे हैं कि बजटीय प्रावधान की इसमें ज्यादा आवश्यकता है। आप यह नहीं कहें तो उदाहरण कहीं से, तिथि से बोलना पड़ता है तो मैं यही कह रहा हूं कि आपके यहां इसमें बजटीय प्रावधान कम है और इसकी डिमाण्ड ज्यादा है बजट की।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मूल रूप से माननीय सदस्यों को चिन्ता यही है कि रिजेक्ट करने के बाद सूचना निश्चित रूप से दी जानी चाहिये यह आपने प्रावधान कर

रखे हैं। भविष्य में आप इस बात को सुनिश्चित करें कि जिस स्तर से रिजेक्ट करने के बाद सूचना दी जानी चाहिये उनको सूचना मिल जाए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को सूचित करना चाहती हूँ कि इन नियमों का सरलीकरण करने के लिये और जो भी समस्याएं इन उक्त पेंशंस की तरफ आ रही हैं इनके लिये मुख्यमंत्री जी ने आलरेडी प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में और अपाहिज, अंध और अपंग जो हैं उनके लिये अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटीज गठित कर रखी हैं और इस प्रकार की जो भी समस्याएं आ रही हैं यह सभी समस्याएं उन तक पहुंचायी जायेंगी और फिर उनका निस्तारण किस प्रकार से सरलीकरण किया जाए, यह मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जल्दी ही...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अगला प्रश्न... चर्चा समाप्त। जवाब आ चुका है स्पष्ट जवाब....

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आपकी चिन्ता पर मैंने निर्देश भी जारी किये हैं। मंत्री महोदय से निवेदन कर दिया है वह सूचना दे दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हिन्दुस्तान की जनता के प्रति प्रश्न जुड़ा हुआ है और सरकार उस तरीके से इस पर लीपापोती नहीं करें। विधवाएं तड़पती रहती हैं। पेंशन के लिये दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 18 वर्ष की उम्र होने तक पेंशन मिलती है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अनुरोध किया....

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। व्यवधान नहीं। आप बैठिये। प्लीज कृपया बैठिये आप। जवाब दे दिया मंत्रीजी ने। आप बैठिये। श्रीमती किरण माहेश्वरी। अगला प्रश्न....

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): विधवा, वृद्ध और विकलांग लोगों के लिये आयु सीमा बढ़ायी जाए। 18 साल तक..(व्यवधान) जब 18 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो वह...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): मुख्यमंत्रीजी ने संवेदनशीलता का परिचय देकर 25 वर्ष कर दी है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): संवेदनशील सरकार है उन विधवा, वृद्ध और विकलांगों के बारे में सुनिश्चित करे...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अगला प्रश्न नहीं। अगर राजस्थान सरकार इस बात..(व्यवधान) हमारा काम है उन अपाहिज, वृद्ध और विधवाओं को न्याय दिलाना और

सरकार इस पर लीपापोती करना चाहे तो करे हमें कोई आपत्ति नहीं है...

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट, 15 मिनट आपके प्रश्न ने लिये हैं और भी माननीय सदस्य हैं। अब प्रश्न आने दीजिये। प्लीज। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। प्लीज सहयोग करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हम तो कहते हैं आप संवेदनशील सरकार बताते हैं तो संवेदनशील सरकार में विधवा, वृद्ध और अपाहिज महिला को इस सदन के माध्यम से कुछ राहत मिले। इसकी कार्यवाही होना उचित है। मेरा अपना नहीं है और आप इसमें....

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इसलिये आप..(व्यवधान) बिरला जी, दो-दो साल तक नहीं दिये...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): तो कोई बात नहीं है हमारा काम है सदन को अवगत कराना। अगर सरकार नहीं चाहती है...

श्री सुरेन्द्र सिंह (चित्तौड़गढ़): 18 वर्ष की जगह 25 वर्ष किये हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठ जाएं। आसन पांवों पर है बैठिये। व्यवस्था को चलने दीजिये आप डिस्टर्ब नहीं करें। प्लीज। जवाब आ रहा है मंत्रीजी को....

ग्राम पंचायत स्तर पर चारा डिपो की स्थापना

42. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशुओं के चारे हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुओं के चारे की सुचारु व्यवस्था हेतु चारा डिपो खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): (1) प्रदेश में चारा विकास को प्रोत्साहन देने के लिये विभिन्न विभागों एवं कई संस्थाओं के माध्यम से योजनाएं संचालित की जा रही हैं। चारे की मांग के अनुसार उपलब्धता बढ़ाने के लिये और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इस हेतु कार्य योजना बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(2) जी नहीं।

प्रदेश में पड़ रहे अकाल को ध्यान में रखते हुए जिले की मांग के अनुरूप अभावग्रस्त जिलों/ग्रामों में चारा डिपो की स्वीकृति आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के स्तर से आवश्यकता अनुरूप की जाती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया इसमें कहा कि हम लोग आवश्यकतानुसार जहां मांग होगी उस मांग के अनुसार हम लोग आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के स्तर पर इसकी व्यवस्था करेंगे चारा डिपो खोलने की, तो आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि ऐसी तो बहुत सारी आवश्यकताएं बहुत जिलों से आयी हैं ग्राम पंचायतों के माध्यम से जिलों के पास पहुंची हैं। जिलों ने इनके यहां भेजी है लेकिन अभी तक चारा डिपो खोलने में सरकार बहुत संवेदनहीन है। चारा डिपो खोले नहीं जा रहे हैं। यह स्थिति है कि आपके यहां पर जो चारा बाजार में 425 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है उसमें सरकार सब्सिडी देती है 50 रुपये की और वह सब्सिडी देती है 50 रुपये की तो 375 रुपये क्विंटल के ऊपर चारा मिल रहा है। गांवों के अन्दर पशुपालकों की यह स्थिति है कि वह चारा खरीद नहीं पा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अकाल है इसलिये मेरा प्रश्न यह है माननीय मंत्रीजी से कि क्या यह सब्सिडी जो अभी वर्तमान में 50 रुपये प्रति क्विंटल पर दी जा रही है इस सब्सिडी को 200 रुपये प्रति क्विंटल क्योंकि 425 की रेट पर मार्केट में चारा मिल रहा है और 425 में फिफ्टी परसेण्ट सब्सिडी क्या गवर्नमेंट देने का विचार रखती है? अगर यह सरकार संवेदनशील अपने आपको मानती है तो इससे बड़ा संवेदनशीलता का कोई इश्यु नहीं हो सकता कि जहां पर पशुओं के लिये चारा नहीं मिल रहा हो और चारे की यह स्थिति है कि किसान चारा खरीद पाने की स्थिति में नहीं है। 425 रुपये क्विंटल पर चारा मिल रहा है और उसकी सब्सिडी क्या बढ़ाने की मंशा रखती है ? पहला प्रश्न।

दूसरी बात और इसी के साथ में पूछना चाहती हूं। आपने कहा कि चारा डिपो तो हम लोग आवश्यकतानुसार खोलते हैं अब चारा डिपो हर ग्राम पंचायत में अगर, माननीय अध्यक्ष जी, यह इतना संवेदनशील इश्यु है कि चारा डिपो के अभाव में कभी जब बहुत अच्छी बारिश होती है तो चारा तब अच्छा पैदा होता है तो वही ग्रामीण और किसान उस चारे को 100 रुपये क्विंटल पर भी बेच देता है और बहुत सी बार तो इतना ज्यादा चारा होता है कि उसे संभाल पाने की स्थिति नहीं रहती है तो उस चारे को अपने खेतों में ही जला देता है लेकिन जब चारे की बहुत ज्यादा जैसे अभी अकाल पड़ रहा है और अकाल के समय में चारे की बहुत त्राहिमाम्-त्राहिमाम् हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, इतना महंगा चारा मिल रहा है, अगर सरकार ऐसी कोई प्लानिंग करती है कि ग्राम पंचायत स्तर पर चारा डिपो की कोई व्यवस्था करा दे, कोई शेड बना दे, कोई स्टोरेज की व्यवस्था करा दे तो वह चारा जो किसान का है वह किसान अपना चारा उस स्टोरेज में

कुछ कोस्ट के आधार पर भी वहां पर वह चारा सुरक्षित रख सके ताकि जब कभी अकाल हो या ऐसी कोई स्थिति आए तो वहां से वह चारे को अपने उपयोग में ले सके, लेकिन सरकार क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है यह मेरा माननीय मंत्रीजी से प्रश्न है।

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न का सवाल है यह प्रश्न वास्तव में इस विभाग का नहीं था फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूं और इसका उत्तर यही है कि ...

श्याम/चौहान 13.07.2009 11.20 1c

अकाल ग्रस्त जिलों में चारा डिपो खोलने की व्यवस्था विभाग ने कर रखी है और वह विभाग है आपदा प्रबंधन, पशु पालन विभाग की ओर से कहीं चारा डिपों खोलने की न तो योजना है और ना इसमें किसी प्रकार का पशु पालन विभाग का योगदान है। सिर्फ पशु पालन विभाग का योगदान यह है कि जो हरा चारा जहां हो सकता हो, सिंचित क्षेत्र है वहां पर पशु पालन विभाग और दूसरे कई विभाग मिलकर के किसानों को, पशु पालकों को जिनके पास जमीन है, सिंचाई का साधन है उनको चारे के बीज वितरण का काम जरूर करते हैं लेकिन जहां तक डिपो का सवाल है वह इस विभाग का काम नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, अगर यह कहते हैं कि यह इनका विभाग नहीं है तो जिस भी विभाग से संबंधित है, मैं सदस्य हूं और सदस्य के नाते मैंने प्रश्न सरकार से पूछा है और सरकार इसका जवाब दे कि ये डिपो खोलने की सरकार की मंशा है या नहीं, सवाल इसका नहीं है कि इनके विभाग में नहीं आता है तो किसके विभाग में आता है इसलिए यह जिम्मेदार नहीं है, यह माननीय मंत्री जी हैं, सरकार में बैठे हैं, सरकार क्या संवेदनशील है इस इश्यु पर ...(व्यवधान)... आज यह हालात हो रहे हैं, चारे की यह स्थिति हो रही है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल जी मीणा, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, यह सदस्य हैं ...(व्यवधान)... मेरा अभी प्रश्न और है, मैं इसके बाद में और पूछूंगी क्योंकि आपने मुझे रोका है, इनको समय दिया है।

श्री अध्यक्ष: आपने दो सप्लीमेंट्री कर लिये हैं, जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। दूसरे माननीय सदस्य भी इंटरवीन करना चाहते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): लेकिन यह तो बिलकुल ही इर्रलेवेंट है न, यह कहना बिलकुल ही इर्रलेवेंट है कि हमारे पास नहीं है तो किसके पास है ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा, जो जवाब होगा वही देंगे, जवाब तो जो होगा वही देंगे ... (व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इनके विभाग का नहीं है ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी के पास जो जवाब होगा वही देंगे ... (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसका मतलब सरकार संवेदनशील नहीं है ... (व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जिनका विभाग है उनसे उत्तर दिलवायें यह तो उत्तर ही नहीं हुआ ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार पशुओं के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती ... (व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मेरे विभाग का नहीं है तो फिर आना ही नहीं चाहिए था ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: प्लीज, बिराजें माननीय सदस्य ... (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सरकार पानी की व्यवस्था नहीं कर सकती, चारे की व्यवस्था नहीं कर सकती, भीषण अकाल है।

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछना है ... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): हां, पूछना है ... (व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस भीषण अकाल के अंदर गवर्नमेंट में बैठे हुए मिनिस्टर इतना इर्रलेवेंट उत्तर दे रहे हैं कि मेरे विभाग का नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता ... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, ऐसे जवाब के ऊपर मैं सदन से बहिर्गमन करती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य का सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव में और ग्राम पंचायत में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आप इनको डिस्टर्ब नहीं करें ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की चारागाह भूमि है और चारागाह भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इस प्रश्न से संबंध नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, चारा डिपो कैसे होंगे ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इन मंत्री जी से संबंध नहीं है इसका ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): जिससे भी संबंध है जवाब मिलना चाहिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): इसलिए चारा कहां से आयेगा ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, आप अध्यक्ष की चेयर पर बैठे हैं आप जवाब लीजिये ...(व्यवधान)... सरकार से जवाब लीजिये ...(व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): चारे की जो भूमि है उस पर अतिक्रमण हो रहा है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, संबंधित प्रश्न से संबंधित ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उदयपुर और राजसमंद जिले में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये हुए हैं और दोनों जिलों में कहां से आपको चारे की डिमांड आयी और अब तक इन दोनों जिलों में कोई एक-आध चारा डिपो भी खुले हुए हों तो वह बता दीजिये कि वह चारा डिपो कहां हैं ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: 90 बी कर दी चारे की जमीनों को तो ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दोनों जिलों में इतना भयंकर अभाव होने के बाद भी अभावग्रस्त गांव होने के बाद भी एक चारा डिपो भी उदयपुर और राजसमंद जिले में नहीं खोले गये जिसके कारण से किसानों को 4 रूपये, 5 रूपये किलों में भूसा लाकर के जानवरा को जिंदा रखना पड़ रहा है। जिला कमेटी में हमेशा इस विषय को उठाया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): राजसमंद जिले में अभाव, उदयपुर जिले में अभाव, अब तक कोई व्यवस्था नहीं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बिराजें, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं ...(व्यवधान)... प्लीज, मंत्री जी को जवाब देने दीजिये ...(व्यवधान)...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह क्या जवाब देंगे ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): सुनें तो सही ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अब यह खड़े हुए हैं जवाब देने, सुनिये तो सही ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): सुनें तो सही ...(व्यवधान)...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वही जवाब है ...(व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): आपने कहा कि संवेदनशील सरकार को उत्तर देना चाहिए, सरकार संवेदनशील है तभी मैं उत्तर दे रहा हूं ...(व्यवधान).... नहीं तो मैं यह स्थगित कराता कि यह प्रश्न मेरे विभाग का नहीं है। आप इस प्रश्न का हैडिंग पढ लीजिये उसमें यह दर्ज हुआ है अकाल के नाम पर, मेरे पास आ गया तो मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं अपनी ड्युटी पूरी निभा रहा हूं ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय जिम्मेवारी है ...(व्यवधान).... यह जिम्मेवारी है इलेक्टिव रेसपोसिबिलिटी है ...(व्यवधान).... आपकी जिम्मेवारी है, अहसान नहीं कर रहे हैं उत्तर दे रहे हैं तो, आपकी जिम्मेवारी है, कलेक्टिव रेसपोसिबिलिटी के नाम पर ...(व्यवधान).... अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं, मंत्री महोदय में जानना चाहूंगा कि जब आपने अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनिट ...(व्यवधान).... माननीय मंत्री जी ने यह फरमाया कि इनके विभाग से संबंधित यह प्रश्न नहीं था, गलती से इनके पास चला गया। मैं इस प्रश्न को स्थगित करते हुए संबंधित मंत्री को रैफर करता हूं, चर्चा समाप्त हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): धन्यवाद जी।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा।

विधान सभा क्षेत्र दौसा के विद्यालयों में रिक्त पद

43. श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:-

1. विधान सभा क्षेत्र दौसा में कितने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय प्राथमिक विद्यालय कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

2. उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने-कितने रिक्त हैं? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

3. क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्ष में नये बनाये प्राथमिक विद्यालय एवं क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मानदंडानुसार पद स्वीकृत कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): 1. विधान सभा क्षेत्र दौसा में 77 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 150 राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

2. उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है।

3. जी हां।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने यह कहा कि इसको फिर से रखा जाये तो यह प्रश्न कब तक रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष: आप छोड़ दीजिये, व्यवस्था दे दी गयी है, आयेगा, आप निश्चित रहिये, बीच में व्यवधान नहीं ...(व्यवधान)...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि आपने प्रश्न के उत्तर 3 में बताया कि स्वीकृत पद हैं लेकिन साथ में ही जो परिशिष्ट क में जो लिस्ट लगायी है इसके अंदर 19 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें लिखा है कि यहां पद स्वीकृत नहीं है, आपके जवाब में ही मतभेद हैं। जवाब में तो आप दे रहे हैं कि पद स्वीकृत हैं और जो लिस्ट लगायी है उसमें 19 मिडिल स्कूल ऐसी हैं जिनमें बताया है कि पद स्वीकृत नहीं हैं वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है, 4 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें पद स्वीकृत नहीं हैं, पुरानी सरकार ने जो सैकण्डरी, मिडिल, प्राइमरी स्कूल खोल दिये थे नाम मात्र के और उनमें पद स्वीकृत नहीं किये गये थे, आप उस पर एक तरह से मोहर लगा रहे हैं जबकि लिस्ट में यह है कि पद स्वीकृत नहीं हैं। कृपया इसको क्लियर करें कि पद स्वीकृत हैं या नहीं हैं।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय आपने क्वेश्चन प्राइमरी और अपर प्राइमरी का पूछा है, सैकण्डरी स्कूल का प्रश्न आपने नहीं पूछा है, इसलिए जो सूची दी गयी है वह 77 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दी गयी है और 150 प्राथमिक विद्यालयों की दी गयी है। सैकण्डरी का आपके इस प्रश्न में हवाला नहीं दिया है इसलिए

सैकण्डरी के अंदर नहीं है। जो स्कूल स्वीकृत हुए, नव क्रमोन्नत लास्ट में 3108 उनमें अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं हुए हैं यह बात सही है।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): क्रम संख्या 49 से लेकर 86 तक लिस्ट में मिडिल स्कूलों में लिखा हुआ है कि पद स्वीकृत नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है। आपका मिडिल स्कूलों में भी लिखा हुआ है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 49 से लेकर के 86 तक जिसके अंदर 49 से 63 जो पद स्वीकृत नहीं हैं, यह बात सही है कि 49 से 63 तक एसएसए मद से दो अध्यापक कार्यरत हैं किन्तु इनके पद एकस्ट्रा स्वीकृत इसलिए नहीं हैं कि प्राइमरी स्कूल खोला गया, उसके तत्काल बाद ही, दो-तीन साल के बाद उसको अपर प्राइमरी कर दिया, अभी तक एसएसए के पद स्वीकृत हैं, ज्यों ही पद स्वीकृत होंगे, जल्दी स्वीकृत होंगे।

श्री अध्यक्ष: धैर्य रखें ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): आपने किये क्यों नहीं स्वीकृत ...(व्यवधान)...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है ...(व्यवधान).... बजट में प्रावधान रखा गया है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: धैर्य रखें ...(व्यवधान)...

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): बजट में प्रावधान रखा गया है, नये पद स्वीकृत होंगे। तब अध्यापक लगा दिये जायेंगे। यह तो स्कूलें खोल दी अनाप-शनाप, अब पद की बात कर रहे हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): साथ में वहां तक पूंछ पकड़ लें ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है ...(व्यवधान)...

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दौसा से संबंधित प्रश्न है ...(व्यवधान)...

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर सैकण्ड ग्रेड के ...(व्यवधान).... और थर्ड ग्रेड के 17 पद खाली हैं, कृपया करके मंत्री महोदय बतायें कि कब तक भर दिये जायेंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में पद रिक्त हैं लेकिन चूंकि पिछले कई वर्षों से जो सैकण्ड ग्रेड के पद मिडिल स्कूलों के थे इनकी डीपीसी नहीं हुई है, अभी 2007-08 तक की डीपीसी हो रही है। एक माह के अंदर

डीपीसी हो जायेगी। इसके बाद मिडिल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के पद भर दिये जायेंगे, नम्बर एक।

jyg/usc/13.07.09/11.30/1d

नम्बर दो, पद स्वीकृत हैं, पद स्वीकृत हैं ...(व्यवधान)... ।

श्री अध्यक्ष: कृपया जवाब आ जाने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): डी पी सी हो चुकी है, डी पी सी हो चुकी है, इन्होंने पद स्थापन रोका है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप ही बता रहे हो 49 से 67 तक पद स्वीकृत नहीं है, वह कितने दिन में हो जाएंगे और जब तक स्वीकृत नहीं हो तब तक वहां मिडिल स्कूलों में पढ़ाने की क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि जो मिडिल स्कूल है उनके अंदर पद स्वीकृत है लेकिन चूंकि डी पी सी नहीं हो पाई इसलिए डी पी सी होते ही सैकण्ड ग्रेड के पद भर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रॉंग इन्फोर्मेशन, यह गलत सूचना दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा। ...(व्यवधान)... श्री शिवजीराम मीणा। यह दौसा से सम्बन्धित प्रश्न है। केवल दौसा और उनके विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न है। श्री शिवराजीराम मीणा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गलत इन्फोर्मेशन दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... हाउस को मिसलीड कर रहे हैं यहां। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: उनके जिले से सम्बन्धित है, उनकी कांस्टीट्यूएंसी से सम्बन्धित प्रश्न है। अगला प्रश्न आने दीजिए। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अगला प्रश्न आने दीजिए। श्री शिवजीराम मीणा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप सुनना ही नहीं चाहते हो। ...(व्यवधान)... डी पी सी हो चुकी है उसके बाद यह मंत्रीजी हाउस को मिसलीड करना चाह रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है। हम हाउस को मिसलीड कैसे करने देंगे अगले प्रश्न के नाम पर? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री शिवजीराम मीणा।

कुराडिया एनीकट (भीलवाड़ा) एवं फीडर सुधार हेतु स्वीकृत राशि

44. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर तहसील में माडा योजनान्तर्गत कुराडिया एनीकट एवं फीडर का कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कब-कब व कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त कार्य बन्द हैं? यदि हां, तो कार्य बन्द होने के क्या कारण रहे एवं उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण कर दिया जाएगा?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री, श्री महेन्द्र जीत सिंह: (1) जी हां। इस कार्य हेतु स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्यकारी संस्था को हस्तान्तरित राशि	व्यय राशि
1.	16.5.07	10.00	8.00	12.63
2.	19.5.08	12.50	10.00	
3	15.3.08	2.50	--	--

(2) जी हां। एनीकट का कार्य पूर्ण हो चुका है। फीडर का कार्य अधूरा है जिसमें चट्टान आने से ब्लास्टिंग का कार्य किया जाना है। फीडर गांव के नजदीक होने से गांव वाले ब्लास्टिंग का कार्य नहीं करने दे रहे हैं। इस हेतु विशेष प्रयास प्रशासनिक सहयोग लेकर कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि स्वीकृत राशि कार्यकारी एजेंसी सिंचाई विभाग को कब हस्तान्तरित की गई? क्या यह सही है कि कार्यकारी एजेंसी को राशि देरी से हस्तान्तरित होने के कारण ठेकेदार को भुगतान नहीं हो सका और भुगतान नहीं होने के कारण इस कार्य में विलम्ब हुआ है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इस फीडर का कार्य आप कब तक पूर्ण कर देंगे?

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): क्योंकि यह कार्य पहले

पंचायत समिति को दिया गया था लेकिन प्रशासन ने यह देखा कि एक ही एजेंसी रहेगी तो काम समय पर पूरा हो जाएगा इसलिए पंचायत समिति को जो राशि जारी की थी उसको विद्रा करके इरिगेशन विभाग को दोनों काम फीडर और एनीकट का दे दिया गया। जहां तक पूरा होने का सवाल है, बहुत जल्दी इस कार्य को पूरा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): आपको धन्यवाद मंत्री महोदय लेकिन कार्यकारी एजेंसी तो सिंचाई विभाग है और इसको समय पर भुगतान नहीं होने से यह काम अटका है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ऐसा नहीं है माननीय सदस्य महोदय, हम इस कार्य को जल्दी पूरा करवाना चाहते हैं और यह जल्दी पूरा हो जाएगा। पैसे का जहां तक सवाल है, सी ई ओ, जिला परिषद के खाते में इसका भुगतान हम कर चुके हैं इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): मंत्रीजी, आपने काम पूरा करने का कह दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सी ई ओ साहब के यहां राशि समय पर आपने भेज दी इसमें कोई संदेह नहीं है। सी ई ओ कार्यालय से सिंचाई विभाग को राशि भुगतान होने में विलम्ब हुआ है, एक साल भर तक पेमेंट नहीं किया इसलिए इस कार्य में विलम्ब हुआ है।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में स्टेडियम की स्थापना

45. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में स्टेडियम बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जी नहीं। जोधपुर शहर में यथेष्ट सुविधा उपलब्ध होने के कारण पृथक से सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के अंदर स्टेडियम बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में विचाराधीन क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष: अगर यह विचाराधीन बता देंगे तो आप कहेंगे कि खाली जोधपुर में ही आप बार-बार क्यों कर रहे हो? ...(व्यवधान)...

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बरकतुल्लाखां स्टेडियम, उम्मेदसिंह स्टेडियम इतने बड़े हैं और सूरसागर क्षेत्र के अंदर फैले हुए हैं, हर बच्चे की स्कूल में पाँच-पाँच, दस-दस, बीस-बीस किलोमीटर पर जाते हैं। वहाँ कोई खेलने की बच्चों के लिए सुविधा नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मास्टर प्लान में स्टेडियम बनाने का प्रावधान है। आपने कैसे कहा कि स्टेडियम बनाने का प्रावधान नहीं है। मैं यह चाहती हूँ कि जो मास्टर प्लान में प्रावधान है उसको तुरन्त लागू करें और आपको यह जानकारी नहीं हो तो इसकी जानकारी ले लें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। वे माननीय सदस्या, उन्होंने पहली बार हाथ ऊपर किया है।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर जिले की हूँ इसलिए सूर्यकान्ता व्यासजी ने स्टेडियम खोलने के लिए जो बोला है, मैं उसका समर्थन करती हूँ।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ...(व्यवधान)... स्टेडियम खोला जाए, इसका जवाब दीजिए जवाब। ...(व्यवधान)...

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सूर्यकान्ताजी, उस दिन आप खुश तो बहुत हो रही थी, जोधपुर का नाम आया तो आप राजी तो बहुत हुई थी कितना मिल गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): जोधपुर का क्या नाम? जोधपुर तो तीर्थ स्थली है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप तो हरियाली अमावस और लग रही हो। आज आप पूरी हरियाली अमावस लग रही हो।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सप्लीमेंट्री का जवाब तो दिलवाइए अध्यक्ष महोदय, खेल मंत्रीजी से।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री का जवाब दे दीजिए, इन्होंने जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप क्षेत्र में आवश्यकतानुसार

स्टेडियम के अधिकतम उपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से अनुरोध करना चाहूंगा कि बरकतुल्लाखां स्टेडियम, बहुत बड़ा स्टेडियम है और यह जोधपुर शहर के अंतर्गत है और आपका विधान सभा क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है और सराउण्डिंग एरिया सूरसागर पड़ता है और मैं जोधपुर विकास प्राधिकरण का इस पर स्वामित्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर बरकतुल्लाखां स्टेडियम ही नहीं दूसरे स्टेडियम, दूसरा, उम्मेदसिंह राजकीय स्टेडियम भी वहां पर है। ... (व्यवधान)... तीसरा, गौ शाला संगम स्टेडियम भी वहां पर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बरकतुल्लाखां स्टेडियम है उसमें लगभग 250 से 300 खिलाड़ी लाभ प्राप्त कर रहे हैं और बहुत बड़ा एरिया है, आपके विधान सभा क्षेत्र के अधिकांश लोग वहां पर लाभ पा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वहां कोई कमी-बेशी नहीं है और अगले टाइम पर आपके जहां पर पंचायतों का प्रश्न है माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत की मंशा जरूर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। पाएका योजना के माध्यम से 869 पंचायतों को हम और पैसा हस्तान्तरित करने का कर रहे हैं और उसमें 49450000 रुपए का फण्ड ट्रांसफर करके हम वहां पर काम करना चाहते हैं पंचायत को इकाई आधार मानकर।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न केवल सूरसागर विधान सभा क्षेत्र तक सीमित है। आप तो माननीय सदस्या को संतुष्ट कर दीजिए कि जब भी संसाधन उपलब्ध होंगे विचार कर लिया जाएगा।

श्री मांगीलाल गरासिया (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): बिलकुल, जब भी संसाधन होंगे, तब उपलब्ध करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता भदेल।

अजमेर शहर के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं

46. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर शहर में कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में बालक/बालिकाओं की संख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त छात्रावासों में बच्चों के खाने-पीने, नहाने-पहनने एवं अन्य कार्य हेतु

कितनी राशि स्वीकृत है, प्रति छात्र कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक व वार्डन के कितने पद स्वीकृत हैं तथा छात्राओं की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त छात्रावासों में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): (1) अजमेर शहर में 3 राजकीय छात्रावास संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

1. राजकीय अम्बेडकर (बालक) छात्रावास, सुभाष नगर, अजमेर (विद्यालय स्तरीय)
2. राजकीय सावित्री बाई फूले (बालिका) छात्रावास, कोटडा, अजमेर (विद्यालय स्तरीय)
3. महाविद्यालय स्तरीय (कन्या) छात्रावास, अजमेर, मुख्यालय

2. उक्त छात्रावासों में बालक/बालिकाओं की कुल स्वीकृत संख्या 150 है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम छात्रावास	स्वीकृत संख्या
1.	राजकीय अम्बेडकर (बालक) छात्रावास, सुभाष नगर, अजमेर (विद्यालय स्तरीय)	40
2.	राजकीय सावित्री बाई फूले (बालिका) छात्रावास, कोटडा, अजमेर (विद्यालय स्तरीय)	35
3.	महाविद्यालय स्तरीय (कन्या) छात्रावास, अजमेर, मुख्यालय	75
	योग	150

Gpc/usc/13072009/1140/1e

(3) उक्त छात्रावासों में छात्रों के भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन और धुलाई, पानी, बिजली एवं समाचार पत्र-पत्रिकाओं आदि हेतु 725 रुपये प्रति बालक/बालिका प्रतिमाह स्वीकृत है और उक्तानुसार ही राशि व्यय होती है। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) जी हां। वित्तीय वर्ष 2009-10 के बजट प्रस्ताव में इस राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(5) उक्त छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक के 3 पद स्वीकृत हैं। क्रम संख्या 1 में वर्णित दोनों कन्या छात्रावासों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए महिला चौकीदार नियुक्त है।

(6) जी हां। राजकीय अम्बेडकर छात्रावास सुभाष नगर एवं राजकीय सावित्री बाई फूले छात्रावास कोटडा अजमेर को 5-5 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह सवाल पूछना चाहूंगी जो खण्ड 3 का उत्तर आपने दिया है उसके अंदर आपने भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, धुलाई, पानी, बिजली और समाचार पत्र-पत्रिकाओं के लिए 725 रुपये निर्धारित बजट में स्वीकृत जो राशि है क्या इसी 725 रुपये में ही खाना बनाने के लिए जो रसोई गैस इस्तेमाल होती है उसका बिल और बिजली का बिल और पानी का बिल भी शामिल है क्या, यह आप बता दें।

दूसरा, मुझे यह बता दें कि आपने खण्ड 5 में जो जवाब दिया है कि 3 छात्रावास अधीक्षकों के पद स्वीकृत हैं तो क्या छात्रावास अधीक्षक के पद वहां रिक्त हैं? यदि रिक्त हैं तो वे तीनों अधीक्षक के पद कबसे रिक्त हैं और जो आपने जवाब दिया कि महिला चौकीदार को नियुक्त किया गया है तो क्या रात्रि के समय में यह महिला चौकीदार वहां रहती है और खण्ड 6 में जवाब दिया है कि 5-5 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं तो इसमें आप यह बता दें कि कम्प्यूटर तो आपने उपलब्ध करा दिये, लेकिन उन कम्प्यूटर का इस्तेमाल बच्चे करना सीखें इसके लिए आपने शिक्षकों की व्यवस्था की है क्या?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार क्रमवार पूरक प्रश्न किये हैं मैं उसी प्रकार जवाब देना चाहूंगा। आपने पहले प्रश्न में पूछा है 725 रुपये में आपने बिजली, पानी की कैसे व्यवस्था की है, मैं निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिजली, पानी के साथ-साथ रसोई गैस, जो भोजन बनता है, रसोई गैस जो आती है वह भी इसी में शामिल है क्या?

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): पूरे 725 रुपये किस प्रकार विभाजित किये हैं मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन आदि हेतु 535 रुपये, स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूते-मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी आदि 85 रुपये, सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि 26 रुपये, चद्दर तकिया खोली एवं खेस आदि धुलाई 20 रुपये, बिजली, पानी 53 रुपये, समाचार पत्र-पत्रिकाएं 6 रुपये। इस प्रकार 725 रुपये का विभाजन किया गया है। ... (व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आप पूरा जवाब दीजिए।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): आपका द्वितीय प्रश्न था कि अजमेर शहर में तीन छात्रावास हैं इसमें राजकीय अम्बेडकर छात्रावास, सुभाष नगर, अजमेर में बजरंगलाल स्वामी छात्रावास अधीक्षक कार्यरत हैं। राजकीय सावित्री बाई फुले छात्रावास, कोटड़ा, अजमेर में कु. विमला मेघानी अधीक्षक कार्यरत हैं। महाविद्यालय स्तरीय महिला छात्रावास, अजमेर मुख्यालय में रामगोपाल आचार्य, जो पुष्कर से हैं, पद रिक्त है, इनको एडिशनल चार्ज वहां दिया हुआ है।

आपका एक प्रश्न था कि चौकीदारों की व्यवस्था क्या है, तो सावित्री बाई फुले छात्रावास, कोटा, अजमेर में श्रीमती बसंती देवी चौकीदार है और महाविद्यालय स्तरीय महिला छात्रावास, अजमेर मुख्यालय में श्रीमती भगवती देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैंने प्रश्न यह नहीं पूछा था, मैंने प्रश्न पूछा था कि वह रात्रि के समय में वहां रुकती हैं क्या छात्रावासों में? यह प्रश्न पूछा था। चौकीदार है वह तो आपने उत्तर में बता ही दिया। वो रात्रि के समय वहां रुकती हैं यह बता दीजिए आप तो।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौकीदार का अर्थ यही है कि वह रात में भी वहां रुकती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मंगलाराम गोदारा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड 6 है ... (व्यवधान) ... माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड 6 का उत्तर नहीं आया कि कंप्यूटर शिक्षकों की व्यवस्था कर रखी है या नहीं? ... (व्यवधान) ...

श्री मंगलाराम गोदारा (इंगरगढ़): प्रश्न संख्या 47

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसका उत्तर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: हो गया। हो गया, छोटा प्रश्न था, आगे प्रश्न और आ जाए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, खण्ड 6 का आप बताएं।

श्री अध्यक्ष: आगे और प्रश्न कवर कर लें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सरकार की व्यवस्था है, सरकार ने कंप्यूटर पर पैसा खर्च किया, कंप्यूटर खरीदे गये और वे वहां पड़े-पड़े कबाड़ हो रहे हैं, उनको सिखाने के लिए वहां पर शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है और इसका जवाब मंत्री महोदय नहीं दे रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अजमेर से संबंधित है, आप कहां खड़े हो गये। कोटा का प्रश्न नहीं है, अजमेर का है। इन माननीय सदस्य से संबंधित है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अजमेर से भी आया है तो आप जवाब दिलाइए ना। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इनकी बात सुनने दीजिए आप। इनकी बात सुनने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): कंप्यूटर शिक्षा के लिए कंप्यूटर खरीदे गये हैं, लेकिन उनके लिए शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहती हूं कि शिक्षकों की व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं की गयी और आज के बाद शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे क्या, यह बता दीजिए। आप उत्तर तो दिलाएं माननीय अध्यक्ष जी। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप केवल कंप्यूटर के मामले में प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दे दीजिए। ...(व्यवधान)... केवल कंप्यूटर के संबंध में पूछा है वह बता दीजिए।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता से बिलकुल वाकिफ हूं और आपकी चिन्ता सही है कंप्यूटर आ गये हैं तो उनके लिए प्रशिक्षक होना भी जरूरी है। पहले जो वार्डन थे उनको तीन दिन का प्रशिक्षण दे दिया गया था जो हमारी नजर में उपयुक्त नहीं था और पूरा भी नहीं था, लेकिन अब हम महीने-महीने भर का प्रशिक्षण इन सभी अधीक्षकों को देने की व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मंगलाराम गोदारा।

विधान सभा क्षेत्र श्रीङ्गरगढ़ के पशु चिकित्सालय

47. श्री मंगलाराम गोदारा (ङ्गरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीङ्गरगढ में कुल कितने पशु चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां स्थापित हैं तथा इनमें चिकित्सक व कम्पाउंडर के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के पशु चिकित्सालय से वंचित गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कहां-कहां व कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): (1) विधान सभा क्षेत्र श्रीङ्गरगढ में पशु चिकित्सालय व उपकेन्द्र निम्नलिखित स्थानों पर स्थित है:-

क्रम सं.	पशु चिकित्सालय	क्रम सं.	उप केन्द्र
1.	श्री इंगरगढ	1.	सहुबडी
2.	मोमासर	2.	उदरासर
3.	कल्याणसर	3.	बेनीसर
4.	रिडी		
5.	डेलवा		
6.	सांवतसर		
7.	बिग्गा		
8.	दुलचासर		
9.	लिखमादेसर		

इन पशु चिकित्सा केन्द्रों में पशु चिकित्सकों एवं कम्पाउण्डरों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

श्री मंगलाराम गोदारा (इंगरगढ): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था विधान सभा क्षेत्र श्रीङ्गरगढ में कितने पशु चिकित्सालय हैं, कितने उप पशु चिकित्सालय हैं। मंत्रीजी ने जवाब दिया है सहुबडी उप केन्द्र। सहुबडी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं है वह तो पहले विधान सभा क्षेत्र था, अभी तो विधान सभा क्षेत्र है उसमें 10 पंचायतें नोखा की आ गयी मेरे साथ। इसका आधा जवाब आया है क्योंकि विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न मैंने पूछा है और विधान सभा क्षेत्र का जवाब नहीं देकर पुराना विधान सभा क्षेत्र था उसका जवाब दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका जवाब कब देंगे?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): पिछली जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। उन्होंने क्या कहा है, मूल प्रश्नकर्ता को पूछने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मूल प्रश्नकर्ता ने जब यह कह दिया ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: ना, गलत बात। प्लीज। ... (व्यवधान)... उनकी बात होने दें। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रश्न का उत्तर ही गलत आया है।

श्री अध्यक्ष: पहले उनकी बात होनी चाहिए। प्लीज। ... (व्यवधान)... पहले वे क्या कह रहे हैं? ... (व्यवधान)...

श्री हरजीराम बुरडक (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो विभाग का उत्तर आया है ... (व्यवधान)... इस संबंध में मैं विभाग से जानकारी करूंगा अगर इसमें कोई गलती हुई है तो दुरुस्त करेंगे। ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति हो तो ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता कुछ पूछ रहे हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा (इंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, बजट में प्रावधान नहीं रखा है पशु चिकित्सालय खोलने का। मैं मंत्रीजी से और मुख्यमंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि पशु चिकित्सालय खोलना बहुत जरूरी है और पशुओं में बीमारियां हो रही हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि आने वाले टाइम में पशु चिकित्सालय खोले, उप पशु चिकित्सालय खोलें क्योंकि पशुओं को न तो कहीं ले जा सकते हैं और यह जरूरी है कि कम से कम प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर पर एक पशु चिकित्सालय हो जिससे पशुओं का इलाज हो सके।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

विधान सभा क्षेत्र भीम के विद्यालयों में रिक्त पद

48. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सभी विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में पर्याप्त स्टाफ नियुक्त है? यदि नहीं, तो क्यों? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य, व्याख्याता, शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम में संचालित सभी विद्यालय स्वयं के भवनों में चल रहे हैं? यदि नहीं, तो भवन विहीन विद्यालयों के भवन कब तक निर्मित करा दिये जाएंगे?

मोहन/चौहान/13072009/1150/1f

शिक्षा मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र भीम में 291 राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा 163 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 18 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 32 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं, विद्यालयों का विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित हैं।

(2) जी नहीं। विद्यालयों में पद स्वीकृति निर्धारित मानदण्डानुसार की जाती है न कि छात्रानुपात में। छात्रानुपात में कार्यरत अध्यापक तथा कमी/वृद्धि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित है तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात के आधार पर अध्यापकों के पद स्वीकृत नहीं किये जाते हैं, अपितु कालांशभार, विषय कक्षा खण्डों की संख्या के आधार पर पद स्वीकृत किये जाते हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'क' में सम्मिलित हैं।

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा संभव हो सकेगा।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र की भीम की पंचायत समिति भीम के तीन एवं पंचायत समिति देवगढ़ का एक, कुल चार विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं हैं, इनमें से पंचायत समिति भीम के तीनों विद्यालयों हेतु भूमि चयनित कर आवंटन का कार्य प्रगति पर है। सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2009-10 में से उक्त विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृत प्रक्रियाधीन हैं। पंचायत समिति देवगढ़ के विद्यालय भवन का निर्माण भूमि आवंटन उपरांत संभव है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से सवाल है।

कर्मल सोनाराम चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ पूछना है।

श्री अध्यक्ष: वैसे यह प्रश्न एक विधान सभा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): यह आपको लिख रहे हैं, जी नहीं।

श्री अध्यक्ष: केवल भीम से संबंधित है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इस बारे में पद स्वीकृति निर्धारित मापदण्डों के अनुसार की जाती है, न कि छात्रानुपात में। छात्रानुपात में कार्यरत अध्यापक एक तरफ तो आप बोलते हैं कि निर्धारित मापदण्डों से होता है, फिर नीचे लिख रहे हैं, छात्रानुपात में कार्यरत अध्यापकों तथा कमी, वृद्धि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर है। तो मुझे यह स्पष्ट करें, इसके निर्धारण का क्या मापदण्ड है। एक तरफ तो आप बोलते हैं, छात्रानुसार नहीं करते, हम हमारे अनुसार करते हैं तो कौन से नियम हैं जिसके अन्तर्गत आप करते हैं बैलेंस। दूसरा, अभी आपने बोला कि यह दूसरा प्रश्न है, कि जी, हां राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना संभव होगा। आखिर, कब तक, कोई सीमा तो होगी। डीपीसी हो गई, उसके बाद भी अभी तक शिक्षकों की यह हालत है। एक एक स्कूल में दो सौ, ढाई सौ बच्चे हैं और तीन तीन शिक्षक ही वहां पर कार्यरत हैं और वह भी कई जगह जो लास्ट ईयर इतनी स्कूल क्रमोन्नत हो गई और अभी तक वहां थर्ड ग्रेड के टीचर ही दो दो टीचर सैकण्डरी स्कूल को पढा रहे हैं। आखिर, यह व्यवस्था कब तक आप सुधारेंगे। थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक विद्यालयों में अभी तक जो छात्र संख्या के अनुपात में है उसमें 40 छात्रों के ऊपर दो अध्यापक लगाने का नियम है, 40 के ऊपर उसके बाद हर 50 के बाद एक अध्यापक लगाने का है। यह है प्राथमिक विद्यालय में लगाने का नियम। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अन्दर एक प्रधानाध्यापक प्लस 4 उसके साथ थर्ड ग्रेड के टीचर लगाने का अब तक नियम है लेकिन जो सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं उनके अन्दर कक्षावार नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इसके अन्दर जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उसके हिसाब से टीचर लगते हैं, कक्षा के हिसाब से टीचर लगते हैं। इसी तरीके से ग्यारहवीं और बारहवीं उसमें तो विषयानुसार लगते हैं लेकिन नीचे का जो प्राइमरी क्षेत्र है उसमें छात्रानुपात में टीचर लगते हैं।

श्री अध्यक्ष: जैसे विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्री बनाये जाते हैं उसी तरह क्राइटेरिया आपने फिक्स कर रखा है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): जी, हां। परमोशन में यही है। दूसरा, माननीय सदस्य ने यह पूछा है, वह कब तक आरपीएससी, अजमेर से और कब डीपीसी करा दी जाएगी। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले कई वर्षों थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड की डीपीसी नहीं हुई। उसको मैं एक महीने के अन्दर अन्दर जितनी भी डीपीसी होनी चाहिए, वह करा दूंगा। इसके बाद जो इसकी प्रक्रिया चलती है उसके अन्दर आरपीएससी का एक व्यक्ति, हमारी डीपीसी जब होती है, ज्वाइंट डाइरेक्टर, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, डीईओ, प्रिंसीपल, एचएम और लेक्चरार, उसके लिए मैंने मेरे विभाग को निर्देश दे दिये और आरपीएससी से ज्यों ही एक सदस्य वह अपाइंट कर देंगे, तत्काल डीपीसी की कार्यवाही चालू हो जाएगी। यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, डीपीसी तो हो चुकी है, अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है।(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मूल प्रश्न कर्ता।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): दूसरा आप बोल रहे हैं कि हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु बनेगा और जब तक हम गांवों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे देश का उत्थान होना संभव नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि शहरी क्षेत्रों में तो आप सौ बच्चों पर 10 टीचर लगा देते हैं और गांवों में सौ बच्चों में दो टीचर हैं। इसका क्या कारण है? यह स्पष्ट करें मेरे को। गांवों का सत्यानाश कर रखा है(व्यवधान)..... गांव में लोग स्कूलों के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं।(व्यवधान)..... और गांवों में तो हालात यह खराब हैं और बात करते हैं हम विश्व गुरु बनेगा हमारा देश। कैसे विश्व गुरु बनेगा यह? इसको स्पष्ट करिए आप।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, माननीय सदस्य का जवाब आने दें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): कि आप सदन को गलत मिस-लीड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एक महीने के अन्दर अन्दर डीपीसी थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड में करा ली जाएगी। आप जानकारी करिए, यह डीपीसी हो चुकी है(व्यवधान)..... मंत्री महोदय, आप लोग केवल राजनीति द्वेष के कारण पदस्थापन करने का आपने लेट किया है। डीपीसी पहले हो चुकी है(व्यवधान)..... हाउस को मिस-लीड किया जा रहा है(व्यवधान).....

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने पहले भी किया और अब यह फिर जवाब दे रहे हैं(व्यवधान)..... हाउस को मिस-लपीड किया जा रहा है।(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर संभाग की डीपीसी हो गई, 543 टीचर्स के पदस्थापन के आर्डर्स हो गये, कुछ ने ज्वाइन कर लिया।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इन्होंने उसको रोका है, नियुक्तियों को रोका है(व्यवधान)..... ज्वाइन कर लिया लोगों ने(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय सदस्य, बिराजिए, जवाब दे रहे हैं। जवाब तो आने दीजिए(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के अन्दर 40 हजार पदों को समाप्त करने का काम किया है इस सरकार ने(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष: आप जवाब नहीं सुनना चाहते?(व्यवधान)..... अंकित नहीं होगा(व्यवधान)..... माननीय मंत्री जी। जवाब आने दीजिए, जवाब आ रहा है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय में कई वर्षों तक डीपीसी नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल(व्यवधान).....

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ⁰⁰⁰

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): पहले आप सुनिए।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): सुनने की क्षमता रखिए।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए, जितना गलत सही आता है उसके बाद आप बोलिए। जवाब आ जाने दीजिए एक बार।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैंने मेरे विभाग को निर्देश दिया कि 31 जुलाई से पहले पहले पूरे राजस्थान के जो हमारे सात संभाग हैं उन सातों संभागों में 31 जुलाई के पहले पहले(व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए, आप एक बार जवाब आ जाने दीजिए(व्यवधान).....

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड के जो परमोशन हैं, वह हो जाने चाहिए। प्रक्रियाधीन हैं, अभी तक परमोशन जो हैं वह प्रक्रियाधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह नहीं है। माननीय सदस्य ने यह पूछा है(व्यवधान)..... आसन पावों पर है। प्लीज बैठिये, माननीय सदस्य, आसन पावों पर है। प्रश्न यह पूछा गया है कि आप यह जवाब दे रहे हैं कि डीपीसी हो जाएगी, यह कह रहे हैं कि डीपीसी हो चुकी है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं यही कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: आप इसको करेक्ट करिए।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): मैं, अध्यक्ष महोदय, यही कह रहा था कि डीपीसी प्रक्रियाधीन है। अब सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अभी तक हमारे सात में से 4 संभागों में डीपीसी हुई है। 3 संभागों में डीपीसी नहीं हुई है, वह 31 तक तक हो जाएगी। उसके बाद ही डीपीसी होने के बाद उन पदों के ऊपर अध्यापक लगाए जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: मंत्री कह रहे हैं कि डीपीसी कम्पलीट नहीं हुई है। यही कह रहे हैं न?(व्यवधान).....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: यह कह रहे हैं कि डीपीसी कम्पलीट नहीं हुई है अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000(व्यवधान).....

कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू): पहले मेरा सुझाव है(व्यवधान).....

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Skp/usc/13.07.2009/12.00/1g

अध्यक्ष महोदय, आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वक्त ज्यादा मिलता है। मेरा दूसरा सवाल है वह यह है.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ०००

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ०००

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। पहले मैंने उनको बोलने का मौका दिया है। (व्यवधान) आप नहीं बोलने देना चाहते?

कर्मल सोनाराम (बायतूर): मैंने सवाल कहां पूरा किया? मेरे क्षेत्र में.....

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि वो विद्यालयों के अन्दर शिक्षकों की नियुक्ति के विषय को क्यों लंबित कर रहे हैं? टीचर्स स्कूलों में आने के लिए बैठे हैं और स्कूलों के अन्दर बच्चे जा रहे हैं। गांव के बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं होते हैं लेकिन ये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करके एक बहुतबड़ा कुठाराघात हो रहा है बच्चों के साथ। (व्यवधान) मंत्री जी कहते हैं कि डीपीसी नहीं हुई है जबकि डीपीसी हुए चार महीने हो गये हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) प्रश्नकाल समाप्त। कृपया चर्चा समाप्त करें। प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं, आप किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आसन पांवों पर है और ऑफिसर्स गैलरी को देखिये। अध्यक्ष महोदय, आसन पांवों पर है और ऑफिसर्स गैलरी के अन्दर ऑफिसर खड़े हैं। (व्यवधान) उधर देखिये आप।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हो चुकी है प्रश्नकाल की। (व्यवधान) नियमों के तहत आप दूसरी कार्यवाही करना चाहें वो करें, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में ए.पी.एल. राशनकार्ड धारियों में से 70-80 प्रतिशत को 2-3 माह के अन्तराल में मात्र 10 किलो गेहूं दिये

^{०००} अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जाने एवं कहीं-कहीं इस सुविधा से पूर्णतया वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से जिला चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में फैली अव्यवस्थाओं को दूर करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भवानी सिंह राजावत एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के शहरी एवं कस्बों के आबादी क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से लग रहे मोबाइल कम्पनियों के टॉवरों एवं इनकी घातक किरणों से लोगों के जनजीवन पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान सरकार द्वारा वेट टैक्स को 12.5 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिये जाने के फलस्वरूप 150 व्यापारिक संगठनों द्वारा पूरे राज्य में आधा दिन का व्यापार बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री कालीचरण सराफ एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जयपुर शहर में मुकेश मंगल की नृशंस हत्या के अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती अनिता सिंह एवं एक अन्य सदस्य की ओर से धौलपुर में पाठ्य पुस्तक मंडल की निःशुल्क पुस्तकें बाजार में सशुल्क बिकने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना को लेकर पिछले सात दिनों से न्यायालयों के हो रहे बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री कालीचरण सराफ, श्रीमती अनिता सिंह एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से जोधपुर (अनाज) मण्डी क्षेत्र की ग्राम पंचायत चामू में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में बढ़ते हुए नशे के कारोबार को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में 24 नये ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुखराम कोली, सदस्य की ओर से जिला धौलपुर की अधिकांश विद्युत लाइनें बहुत पुरानी होने के कारण कई लोगों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अर्जुन लाल गर्ग, सदस्य की ओर से कृषि उपज मंडी समिति बिलाड़ा में संचालक पद पर विधायक का मनोनयन करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बैर के ग्राम बल्लभगढ़ से कटारियापुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री महावीर प्रसाद जीनगर, सदस्य की ओर से जिला भीलवाड़ा की जहाजपुर पंडेर शाहपुरा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना की स्वीकृति में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में।

(9) श्री बंशीधर खण्डेला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की खण्डेला उदयपुरवाटी रोड से रामपुरा व खण्डेला से रोयल क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(10) श्री गंगासहाय शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर-चन्दवाजी-दिल्ली 6 लाइन पर चल रहे कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत होने तथा अनेक के घायल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कवास बाढ़ पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से शहरी निकायों एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं का आरक्षण 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने का प्रावधान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी विषयवस्तु पर आपका ध्यानाकर्षित करूँ इससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। आसन से व्यवस्था हुई थी कि राज्य में पेयजल के संकट को देखते हुए आज माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पूरी कार्य सूची को पढ़ा है, इस कार्य सूची में.....

श्री अध्यक्ष: बैठिये। ऐसा है, बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में जो निश्चित होता है वह तो कार्य सूची में दिया जाता है और जो आसन से व्यवस्था हो चुकी है स्टेटमेंट देने की, वो स्टेटमेंट माननीय मंत्री महोदय से आज दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): समय का निर्धारण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, मैं आपसे निवेदन कर दूँ, वाद-विवाद से पहले जीरो-ऑवर खत्म होने के बाद सरकार की ओर से स्टेटमेंट आयेगा। समय इसलिए निश्चित नहीं किया है कि आप इसको, जीरो-ऑवर को खत्म करने में मेरा सहयोग करेंगे उस पर डिपेंड करता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आपकी बात सर माथे, आपने ठीक कहा लेकिन आपने जो एक बात कही है वह परम्पराओं के विपरीत है। कार्य सलाहकार समिति की बैठक में हम जो बात तय करते हैं वो तो आते हैं लेकिन जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप लगाते हैं, जिन मंत्रियों को आप वक्तव्य देने के लिए कहते हैं वो हमेशा कार्य सूची में लिपिबद्ध होते रहे हैं। कार्य सलाहकार समिति में कभी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं जाता और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव छपकर आता है और जिन स्थगन प्रस्तावों पर आप व्यवस्था देने के लिए कहते हैं वो भी कार्यसूची में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, निश्चित रूप से, और मैं पुरानी कार्य सूची आपके सामने प्रस्तुत भी कर सकता हूँ जिनमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिखा हुआ है और जिनमें मंत्रियों के वक्तव्य लिखे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जो मैंने आपसे निवेदन किया, विधान सभा सचिवालय से यह बात मैंने पहले कन्फर्म कर ली थी और उसी के अनुसार आपसे निवेदन किया है और स्टेटमेंट का जहां तक सवाल है, मैं निवेदन कर चुका हूँ, जीरो ऑवर जब तक आप खत्म करने की अनुमति देंगे उसके तत्काल बाद स्टेटमेंट आ जाएगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो सर माथे, यह ठीक है लेकिन यह कहना, आप दुबारा देख लें, सचिवालय की यहां चर्चा नहीं होती है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हमेशा कार्य सूची में लिपिबद्ध होते हैं और जिन मंत्रियों को आप वक्तव्य देने के लिए कहते हो वो लिपिबद्ध होते हैं। आधे घंटे की चर्चा लिपिबद्ध होती है, यह कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग में नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह एक स्टेटमेंट सरकार को देना था इसलिए इसको अलग से रखा है। श्री राजेन्द्र राठौड़।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

वैट की दरों में प्रस्तावित वृद्धि के विरोध में व्यापार संगठनों का बंद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा वैट की दरों में वृद्धि के विरुद्ध राजस्थान राज्य के अन्दर फोर्टी और 150 व्यापारिक संगठनों ने 175 बाजार में 12 हजार दुकानें आधे दिन के लिए बंद करके सरकार की नीति के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट किया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर इस आधे दिन के कारण 60 करोड़ का व्यापार प्रभावित होगा और मैं सरकार का ध्यान सरकार की बाइबिल, सरकार की गीता, घोषणा पत्र के पृष्ठ 29 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। राज्य के व्यापारियों के वोट लेने के लिए इसी सरकार ने कहा कि वैट की दरों का सरलीकरण करेंगे, युक्तियुक्त करेंगे और इसी आशय को लेकर राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कर सलाहकार समिति के माध्यम से राज्य के व्यापारिक संगठनों को बुलाया था जिन व्यापारिक संगठनों ने यह मांग की थी कि 12.5 प्रतिशत जिन कमोडिटीज पर वैट लगता है उसको कम करके 4 प्रतिशत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है कि 4 प्रतिशत की मांग करने वाले व्यापारियों के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि 4 प्रतिशत करने के बजाय 14 प्रतिशत करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने 1 अप्रैल, 2006 को वैट प्रणाली इस राज्य में लागू की.....

vkj/akt/13072009/1210/1h

और पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री श्री असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में पूरे देश के अन्दर यह वैट प्रणाली इसलिए लागू की गई थी कि राज्यों के अन्दर करों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा नहीं हो, कालाबाजारी नहीं हो, टैक्स इवेजन नहीं हो और इसी के कारण समान दरों की स्लैब तय की गई थी और जो पूरे देश के अन्दर यह एक अनहोनी घटना इन्होंने की है नया स्लैब इंट्रोड्यूस करने की। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अन्दर इस वैट के अन्दर तीन केटेगरी बनाई हुई है। पहली केटेगरी में वह है जिन पर जीरो प्रतिशत टैक्स वैट में लगता है एग्जम्प्टेड गुड्स, कृषि काम में आने वाले यंत्र, कैटलफीड, दूध-दही, हैण्डिक्राफ्ट इत्यादि। दूसरी में वह हैं जिन पर चार प्रतिशत वैट लगता है, खाद्य पदार्थ, मिर्च-मसाला, चाय, ड्राई फ्रूट को छोड़कर और इस तीसरी के अन्दर, साढ़े 12 प्रतिशत के अन्दर आम व्यक्ति के रोजमर्रा के काम में आने वाले 50 से 60 फीसदी कमोडिटीज इसके अन्दर है, तेल इसके अन्दर है, मंजन इसके अन्दर है, साबुन इसके अन्दर है, बिस्कुट है, टाफी है, पंप-मोर्टर्स है, टोटल आटोमोबाइल्स जो किसान के काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इसमें हैं, कम्प्यूटर है, सेनेटरी इसमें है, टी.वी. इसमें है,

फ्रिज इसमें हैं और अध्यक्ष महोदय, पूरे हिन्दुस्तान में यू.पी. के बाद राजस्थान दूसरा प्रदेश होगा जिसने वेट के ऊपर जिन बातों को लेकर सारे राज्यों के अन्दर सामूहिक तौर पर निर्णय करके वेट की स्लैब की गई थी, उसमें तीसरी स्लैब डालने का काम किया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इससे पहले हरियाणा ने एक बार आठ प्रतिशत वेट की नई स्लैब डालने का काम किया था, जो उसे वापस लेना पड़ा और मैं निवेदन करना चाहूँगा, एक तरफ तो मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि उन्होंने कर नहीं लगाया। एक-दो नहीं, 600 करोड़ रुपये का भार राजस्थान के उपभोक्ताओं पर डाला है। यह सारा पैसा यह वेट कहकर जो साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत हो रहा है, उसमें 600 करोड़ रुपया वसूला जायेगा और यह 600 करोड़ रुपया यह राजस्थान के गरीब, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को देना पड़ेगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मुख्य मंत्रीजी की घोषणा कि उन्होंने नया कर नहीं लगाया। 10 पैसा प्रति यूनिट वाणिज्यिक और दूसरे सारे के सारे काश्तकार को छोड़कर उन किसानों को 10 पैसे बिजली की दरों में बढ़ा दिया और यह एक तरह से ऐसा काम किया है और अध्यक्ष महोदय, इस वेट का जो प्रिंसिपल है, जिस कारण से वह वेट इंट्रोड्यूस हुआ कि राज्यों के अन्दर प्रतिस्पर्धा खतम हो और अगर यह साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत किन्हीं कमोडिटीज पर बढ़ाया तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश जो अब 14 प्रतिशत जिन पर टैक्स ले रहे हैं, उनमें कई कमोडिटीज 4 प्रतिशत की श्रेणी में हैं और बाकी साढ़े 12 प्रतिशत में है। यह सारा व्यापार दिल्ली चला जाएगा, हरियाणा चला जायेगा, मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो जाएगा इसलिए मैं मांग करता हूँ सरकार से, आज पूरे राजस्थान का व्यापारी इस सबसे बड़े सदन का दरवाजा खटखटाने के लिए दरवाजे पर खड़ा है, पूरे राजस्थान का व्यापारी आन्दोलन कर रहा है, राजस्थान के व्यापारियों के साथ राजस्थान का उपभोक्ता टकटकी लगाये उस सरकार को देख रहा है जिस सरकार ने वादा क्या किया था, नया कर नहीं लगाने का वादा किया था। जिस सरकार ने वेट के स्तर को बढ़ाकर राजस्थान के उपभोक्ता पर कुठाराघात करने का काम किया है इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विषय नहीं, आपने कृपापूर्वक सदन में मुझे दो मिनट बोलने की इजाजत दी, मैं बोलकर चला जाऊँ, यह एक ऐसा सवाल है, जिस सवाल के बाद में...

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान आज आन्दोलन करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात समाप्त हो गई? आपके दल के ही डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...और राजस्थान का एक-एक व्यापारी आन्दोलन कर रहा है अध्यक्ष महोदय, सरकार को वेट की दर वापस लेनी पड़ेगी। सरकार से हम

भी स्थगन के अन्दर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके व्हिप बोल रहे हैं, आपके व्हिप बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, आपको आगे चर्चा नहीं करनी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने दो तरह से व्यापारियों पर कुठाराघात किया है। यह फार्म नम्बर 47 व 49 का स्थगित करने की बात कही। यह पूरा स्थगित नहीं किया। कई नोटिफाइड कम्प्लेटीज अभी भी फार्म नम्बर 47 व 49 में बाध्यकारी है और उसके साथ वेट की दरों को बढ़ाकर एक तरह से जो मौजूदा प्रिंसिपल था, उसको तोड़ने का काम सरकार ने किया है। जो असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में वेट की समिति बनी है, उस समिति में किसी राज्य को अनुमति नहीं है कि वह राज्य वेट के अन्दर नया स्लैब इंट्रोड्यूस करे, इसलिए मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, सरकार से इसमें उत्तर दिलवाइये। हम स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। एक प्रति सम्बन्धित मंत्री को जाती है, एक आपके सचिवालय को जाती है, एक सरकार के प्रमुख शासन सचिव को जाती है और सरकार गायब हो जाये, सरकार स्थगन का कोई जवाब नहीं दे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह आम व्यक्ति के जन-जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, इस सवाल पर सरकार से जवाब दिलवाने की व्यवस्था करिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े 12 प्रतिशत से ज्यादा वेट कभी पूरे देश में कोई भी राज्य सरकार नहीं लगा सकती।

श्री अध्यक्ष: अभी तो इस पर चर्चा बाकी है। श्री कालीचरण सराफ। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश का व्यापारी उद्वेलित है, आज सड़क पर है। आज पूरा राजस्थान बंद है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। श्री कालीचरण सराफ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) आप नहीं बोलना चाहते हैं? (व्यवधान) विरोधी दल की नेता खड़ी हैं। विरोधी दल की नेता खड़ी हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के ऊपर पूरे प्रदेश के सब व्यापारी आज धरने पर बैठे हुए हैं। मैं समझती हूँ, यहां कोई उत्तर देने वाला भी नहीं है। जिस सीरियसनेस से इस मामले को देखने की जरूरत है, यहां कोई बैठा हुआ नहीं है या यहां कोई उसका जवाब देने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तीन कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मैं समझती हूँ कि पूरा दल इससे बहुत आघात है और इससे राजस्थान के लोगों पर इसका विपरीत असर रहेगा और इसी वजह से मैं और मेरा दल बहिर्गमन कर रहे हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। श्री कालीचरण सराफ। नहीं बोलना चाहते हैं? श्रीमती अनिता सिंह। (व्यवधान) आप बहिष्कार कर रहे हैं या बोल रहे हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बहिष्कार करके वापस आ गया। मैंने बहिष्कार कर दिया और फिर आ गया।

श्री अध्यक्ष: आप बहिष्कार कर रहे हैं या बोल रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य द्वार के बाहर भी नहीं गये हैं। माननीय सदस्य पार्टी से बगावत कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपके दल की नेता ने बहिष्कार डिक्लेयर किया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने बहिष्कार कर दिया। बिराजें आप।

श्री अध्यक्ष: आपके दल की नेता ने बहिष्कार डिक्लेयर किया है तो आप जाना चाहते हैं या बैठना चाहते हैं?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं बहिष्कार करके वापस आ गया। मुझे बोलना है। यह परम्परा है। मैं बहिष्कार करके वापस आ गया। अब आप बिराजो तो मैं बात कहूँ।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह क्या बात है, यह क्या बात है? (व्यवधान) यह क्या है।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप आपके नेता महोदय की जो इच्छा है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं माननीय सदस्य। आपकी पार्टी के सब कर गये, वाक-आउट कर गये, आप यहां बैठे हो, इसका क्या मतलब है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा है, आपकी पार्टी की परम्परा हमारी पार्टी में नहीं है। यह हमारे विरोधी दल के नेता के आदेश को मानते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ, आप शुरू करें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): हमने बहिष्कार किया और हम फिर वापस आ गये।

श्री अध्यक्ष: माननीय कालीचरण सराफ। अब शुरू करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से पिछली 20 मई को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह इतना सीरियस मामला था पर मुख्य मंत्रीजी भी हाउस में नहीं हैं, कोई इसका जवाब देने के लिए नहीं है और जिस तरह से यह सब लोग कटाक्ष कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि it is not good. यह इश्यु जो हमने उठाया है, यह छोटा इश्यु नहीं है, मामूली इश्यु भी नहीं है, साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत बनाने का काम जो इन्होंने किया है, हम मानते हैं कि सीरियस है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें, सुनिये। माननीय विरोधी दल की नेता बोल रही हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...और इसलिए जब यह इश्यु, ऐसा इश्यु सामने आ रहा है हाउस के, मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, कोई भी रेस्पॉसिबल आदमी नहीं है जवाब करने के लिए और ये बार-बार कटाक्ष कर रहे हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि ये सीरियस हैं।

श्री अध्यक्ष: चार केबिनेट मंत्री बिराज रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब तो दो, जवाब तो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या हुआ? (व्यवधान) जवाब दिला दें अध्यक्ष महोदय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी काबिलियत को अण्डर-एस्टीमेट किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दो जवाब।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय केबिनेट मंत्री की काबिलियत को अण्डर-एस्टीमेट नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जवाब दो ना, आप जवाब दो ना।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप जवाब दो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप सुन तो लो। आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दो जवाब। दो जवाब। दो जवाब।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): सुन तो लें। पहले आपकी सुन तो लें। पहले आपके कालीचरण जी बोलें तो सही। आप बोलो तो सही।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये तो सही।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जब जवाब का समय आएगा, तब जवाब देंगे। हम आपको सुनना चाहते हैं ना। माननीय कालीचरण जी को सुनना चाहते हैं। वे बोलना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं। हम सुन तो रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जवाब दो, जवाब दो।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ। श्री कालीचरण सराफ।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): समय पर जवाब देंगे। अभी आपने कालीचरण सराफ को पुकार लिया है। अपनी पूरी बात तो कह दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है कहते हुए कि पर्यटन मंत्रीजी ने बड़े गैर-जिम्मेदारान तरीके से यह कह दिया कि हमारी काम्प्यूटैसी को अण्डर-एस्टीमेट कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं पर जवाब तो दो।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): आप हमें अण्डर-एस्टीमेट क्यों कर रहे हैं, हमें अण्डर-एस्टीमेट क्यों कर रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप अण्डर-एस्टीमेट योग्य हैं। हमें जवाब चाहिए। राजस्थान का व्यापारी जवाब मांग रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, पहले हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं

होगा।

Jk/akt/12.20/1j/13.07.2009

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। सदन की यह परम्परा रही है कि जिस इश्यू पर बायकाट हो जाता है, सदन से बहिर्गमन हो जाता है, उस पर फिर वापिस चर्चा नहीं होती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आपने बहिर्गमन किया है यानहीं किया, अगर किया है तो चर्चा नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगर बहिर्गमन किया है आपने तो उस पर चर्चा नहीं हो सकेगी। आपने आपने बहिर्गमन किया है तो चर्चा नहीं हो सकेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: अगर आपने बहिर्गमन किया है तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती, परम्पराएं इस प्रकार की हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बिराजें। कृपया आप बिराजें। आप बहिर्गमन कर गये हैं तो चर्चा नहीं होगी। कृपया बिराज जायें। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्री कालीचरण सराफ। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। कृपया सहयोग करें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कृपया सहयोग करें। कृपया सहयोग करें। माननीय सदस्य। (व्यवधान) श्री कालीचरण सराफ।

जयपुर में मुकेश मंगल के हत्यारों को पकड़ने में पुलिस की आनाकानी

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पिछली 20 मई को जयपुर शहर में मुकेश मंगल की जिस नृशंस तरीके से हत्या की गई और हत्या करने के बाद उनके परिजनों ने अभियुक्तों को थाने पर ले जाकर पुलिस को सुपुर्द किया और सुपुर्द करने के बाद पुलिस ने एक साधारण सी पूछताछ करके

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

उनको दस मिनट में छोड़ दिया और आज तक जो पाँच लोगों ने मिलकर जिनकी हत्या की उनमें से चार लोगों को अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष मई, 20 मई को सायंकाल 7 बजे मुकेश मंगल के मोबाइल पर फोन आया, उसको बुलाया गया, 9 बजे तक मुकेश मंगल के परिजनों ने जब उसको फोन किया तो यह मोबाल नो रिप्लाई हुआ। दस बजे से पूरी रात तक परिजन मुकेश मंगल को ढूँढते रहे, वह नहीं मिला। साढ़े बारह बजे रात को मुकेश मंगल के परिजन बजाज नगर थाने में गये और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा यह मुकेश मंगल खो गया है, अपहरण हो गया है या वह गुम गया है उसकी रिपोर्ट दर्ज करा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की और उसके बाद साढ़े बारह बजे मुकेश मंगल के परिजनों ने अनूप शर्मा नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, मोबाइल काल डिटेल के आधार पर उसको वह पकड़ करके थाने में ले गये कि इसने लास्ट काल मुकेश मंगल को की थी और हमें यह शक है कि इस व्यक्ति ने इसका अपहरण किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अध्यक्ष महोदय, कि अनूप शर्मा से साधारण पूछताछ करी और उसको छोड़ दिया। उसके बाद जो दूसरी अभियुक्त थी वंदना व्यास, उसके बारे में काल डिटेल के आधार पर परिजनों ने बताया कि यह भी उस अपहरण में शामिल है तो हमारे एक एडिशनल एस.पी. जो जयपुर में लगे हुए हैं, एसओजी में कहीं लगे हुए हैं, रमेश चन्द्र शर्मा, उन्होंने फोन किया थाने पर कि इसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, जब भी इसकी आवश्यकता होगी मैं इसको थाने पर भेज दूंगा। उसको..(व्यवधान) आप बैठें।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): इस तरह से परिजन थाने में नहीं ले जा सकते थे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिराजें, आप बिराजें। आप बीच में कहां से खड़े हो गये।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): उसको कैसे पकड़ कर थाने में ले गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको क्या अधिकार था।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें, इनको अपनी बात कहने दें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह बीच में कहां से खड़े हो गये।

श्री अध्यक्ष: बिराजें, बिराजें। बिराजो। श्री कालीचरणजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): वह उनको पकड़ कर नहीं ले जा सकते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप क्या अभियुक्तों की पैरवी कर रहे हैं क्या, बीच में खड़े हो गये, क्या है यह। आप बैठिये, आपको पता ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। बिराजो आप। बिराजो।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): कैसे ले गये पकड़ कर। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): और उसके बाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे दिन एक जो अभियुक्त था बजरंग शर्मा, परिजनों ने कहा कि हमको उस पर भी शक है, वह भी शामिल था, तो पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए उसके गांव जाने से आनाकानी की। कहा कि साधन लाओ। आप साधन लाओगे तो हम जा सकते हैं। फिर परिजनों ने साधन, गाड़ी की तो दो-तीन लोग जो मुकेश मंगल के परिजन थे वह उनके साथ गये तब दो पुलिस वाले उनके साथ गये, सिपाही। फिर जब बजरंग शर्मा से पूछताछ की तो उसने यह बताया कि ज्योति नगर में जो अंकुर अपार्टमेंट है उसमें हम लोगों ने उसको बुलाया था मुकेश मंगल को और हमने उसको नशीली गोलियां, पकौड़ी में मिलाकर खिला दी, उसको शराब पिलाई और उसकी हमने हत्या कर दी। हत्या कर दी, यह बता दिया उसके बाद, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस ने जहां-जहां भी छापा मारा अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, वहां से पाँच मिनट पहले वह फरार हो गये मुलजिम, यानि इसका मतलब, यानि उसकी लाश बरामद हुई, उसकी बरामदगी और जब पुलिस वहां पकड़ने गई तो अभियुक्त गायब हो गये पाँच मिनट पहले, इसका मतलब पुलिस में कोई न कोई उनका मुखबिर था अभियुक्तों का और आज मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि 55 दिन हो गये, मुकेश मंगली की हत्या होने के बाद और पूरा, यही नहीं, थाने पर प्रदर्शन हुआ, 250 सी.ए. और 250 डाक्टर्स ने मिल करके प्रदर्शन किया परंतु आज तक अभियुक्तों का पता नहीं लगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह पूछना चाहता हूँ कि मुकेश मंगल की हत्या जिस प्रकार से हुई और मोबाइल डिटेल के आधार पर परिजनों ने मुख्य अभियुक्त को थाने में सुपुर्द कर दिया उसके बाद उसको किस आधार पर छोड़ा और जो दूसरी महिला अभियुक्त थी उसको एडिशनल एस.पी. के कहने से छोड़ा, रमेश चन्द्र शर्मा के, तो रमेश चन्द्र शर्मा और वह जो बजाज नगर थाने का इंचार्ज है रवीन्द्र यादव, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की और अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की और क्या मुकेश मंगल के जो हत्यारे हैं उनको पकड़ने का सरकार प्रयास करेगी और उनको पकड़ेगी? इन बातों का जवाब निश्चित रूप से सदन के अंदर आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा मामला नहीं है, इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए कि उस एडिशनल एस.पी. ने, जिसने अभियुक्त को छोड़ने के लिए कहा...

श्री अध्यक्ष: मैं मामले की गम्भीरता को महसूस कर रहा हूँ इसीलिए आपको अवसर दिया है मैंने।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सुपुर्द करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): उसको आज तक नहीं पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): अभियुक्तों ने उसको चाय पिलाई, नशीली गोली दी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) कृपया शांति रखें। कृपया शांति रखें। (व्यवधान) कृपया शांति रखें, कृपया शांति रखें। श्रीमती अनीता सिंह। श्रीमती अनीता सिंह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अभियुक्त कहां है, उनको कैसे छोड़ दिया गया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करिये। अन्य कोई अंकित नहीं होगा। अन्य किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय अनीता सिंह।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कटारिया साहब, आपका बाद मैं है। आपका है बाद मैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं एक, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जो विषय अभी माननीय सदस्य जयपुर से आने वालों ने रखा, वह सामान्य नहीं है। अगर कोई पुलिस आफिसर किसी मुलजिम को इस बात के आधार पर कि इसकी जब जरूरत पड़ेगी, मैं पेश कर दूंगा और उसके बाद भी वह मुलजिम आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हो, इससे ज्यादा शर्मनाक चीज इस विभाग के लिए क्या हो सकती है। दुर्भाग्य यह है कि बचाने वाला भी इसी विभाग का ही एक जिम्मेदार अधिकारी और जब उसकी डेड बॉडी मिली, जिस रूप से कटी मिली और जिस व्यक्ति को उठा कर लाये और जिसके बयान के आधार पर वह डेड बॉडी बरामद हुई उसी कैम्पस के अंदर, उसके बाद कौन से सबूत बाकी रह गये जिसके कारण वह मुलजिम

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

नहीं हैं और उसके कहने के आधार पर अगर वह लोग मुलजिम हैं तो उनको बचाने का प्रयास करना, मतलब यह लगता है कि राज्य सरकार स्वयं उन मुलजिमान को बचाने का यह धिनौना षडयंत्र कर रही है, इस बात को सामान्य रूप से नहीं लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं सोचता हूँ कि आपके सामने सारे तथ्य आ गये...

श्री अध्यक्ष: मैंने गम्भीरता महसूस की इसीलिए माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया है और माननीय सदस्य के साथ सात अन्य लोगों ने दस्तखत किये हैं तो सबको बुलाना संभव नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपकी बात से सहमत हूँ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात को मैंने गम्भीरता से लिया है इसीलिए अवसर दिया है। (व्यवधान) और बोल भी गये।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इसीलिए मैंने कहा, न मैं उल्लेख करना चाहता था लेकिन इतना गम्भीर विषय आपके ध्यान में आये, आप आसन पर विराजमान हैं, अगर इतना गम्भीर विषय जिसकी सारी एवीडेंस आ चुकी, जिसमें मुलजिम तय हो चुके, उस मुलजिम को छोड़ने वाला अगर कोई एक अधिकारी है और उसके बाद भी अगर मुलजिम नहीं पकड़ा जाय और उसके बाद भी सरकार ऐसे संवेदनशील विषय पर मौन बैठी रहे, इसका मतलब सरकार भी उसके साथ मिली हुई है। यह इससे प्रमाणित नहीं होता? कम से कम जवाब देना चाहिए। क्या है, सच्चाई क्या है, बतानी चाहिए।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार..(व्यवधान) माननीय सदस्य, सरकार...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: बिराजें, बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, जयपुर में यह विषय बहुत ज्यादा चर्चित है और सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सारे एडवोकेट्स और सारे डाक्टर्स सबने मिल कर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, इतना घृणित और धिनौना काम जिस प्रकार से मर्डर हुआ है और बाँडी को जिस प्रकार से काट-काट कर टुकड़े-टुकड़े करके रखा है और वहाँ पर वह

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

बरामद हो गई, सारा काम हो गया, काल डिटेल के आधार पर मुलजिम पुलिस के थाने में आ गये.....

Lpm/akt/1230/1k/13.07.09

और उसके बाद चले गए। फिर किसी ऑफिसर के कहने से छोड़ दिया गया और यह सारा रिकॉर्ड पर आ गया। आई.जी. कह रहा है यह बात ठीक है, डी.जी. कह रहा है यह बात ठीक है, एस.पी. कह रहा है यह ठीक है इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होना, इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय ऐसा लगता है कि इसमें लगता है कि कोई राजनीतिक हाथ है। अगर हाथ नहीं होता तो इतना बड़ा प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि यह मामला ऐसा नहीं है, इस पर आप संवेदनशील है, आप ले और सरकार को निश्चित रूप से आज स्टेटमेंट देने के लिए कहे। सारे फैक्ट्स के साथ उत्तर दिलवाया जावे। इसके बिना पार नहीं पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: आप शांति तो रखे, बोलने दीजिए, उपनेता बोल रहे हैं, इसकी गंभीरता नहीं मानता तो मैं काहे के लिए आपको इसमें अवसर देता दो मिनट बोलने का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप मान रहे हैं, इसलिए मैं यह आग्रह कर रहा हूँ कि यह कोई प्रश्न कोई मंत्री महोदय इसलिए नहीं उठाया है कि हमको किसी पर कोई कार्यवाही करवानी है, बहुत गरीब है...

श्री अध्यक्ष: नहीं, अगर कोई दोषी है तो कार्यवाही कराने के लिए भी आप उठा सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, किसी अफसर के खिलाफ हमें को व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। एक, एक साल का बच्चा है और एक दो साल की बच्ची हैं। उसके ये छोटे-छोटे बच्चे हैं, पच्चीस साल की वह लड़की है, विधवा हो गई है, कोई संभालने वाला नहीं है और इसके बाद में सरकार की ओर से इतने सारे फैक्ट्स कागज पर आने के बाद में कोई कार्यवाही नहीं होना यह उचित नहीं है और इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सरकार केटेगिरीली इस पर स्टेटमेंट दे। अधिकारियों पर क्या कार्यवाही करे यह ये बताए और किस-किस प्रकार की कार्यवाही की यह बताये, नहीं तो स्पेशियली एक सैल इसके लिए अगल से और गठित कर तुरंत इस पर कार्यवाही की जावे। यह मेरी मांग है।

शासकीय वक्तव्य (स्थगन प्रस्ताव)

जयपुर में मुकेश मंगल के हत्यारों को पकड़ने हेतु पुलिस की कार्यवाही

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉ. श्री कृष्ण कुमार मंगल जाति महाजन उम्र 52 साल निवासी पावटा हाल 1/3 हीराबाग, जयपुर ने

रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा छोटा सगा भाई श्री मुकेश मंगल उर्फ बिल्लू हाल निवासी बी-3 डी, सरस्वती कॉलोनी, पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर जो दिनांक 20.5.09 को अपने भतीजे राघव के साथ सामान खरीदने गया था। बीच में अन्य व्यक्तियों के फोन आने पर थोड़ी देर में आने की कह कर अपनी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा फैशन प्लस रंग काला नम्बर आर.जे.14 एसएच 7162 से चला गया, जो वापिस नहीं आया। हमने उसको यथा संभव हर स्थल पर मित्रों और रिश्तेदारों के यहां तलाश कर ली परंतु नहीं मिला। उसके मोबाइल नम्बर 9314204583 जिसमें रात्रि साढ़े 9 बजे तक मोबाइल पर बातें हुईं। आदि रिपोर्ट मामला गुमशुदगी का पाए जाने पर एमपीआर नंबर 7/2009 दिनांक 21.5.09 थाना बजाज नगर जयपुर शहर पर दर्ज की जाकर जांच तलाश शुरू की। उक्त मोबाइल नम्बर के कॉल डिटेल्स निकलवाई गईं। जिससे पता चला कि रात को 9 बजकर 8 मिनट पर जिस नम्बर पर बात की गई है वह श्री अनूप शर्मा का होना पाया गया, यह बात सही है। गुमशुदगी तलाश में संदिग्ध श्री बजरंग लाल से पूछताछ पर मुकदमा नम्बर 117/09 धारा 302, 201, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता द्वारा दर्ज किया गया। अब तक जो प्रयास किए गए पुलिस के द्वारा उसमें छह में से दो अभियुक्त पकड़े जा चुके हैं, शेष की गिरफ्तारी हेतु किए जा रहे प्रयास नम्बर एक चार टीम बना दी गई हैं। टीमों द्वारा देहरादून, हरिद्वार, मेरठ, दिल्ली, मुम्बई, पंजाब, हरियाणा में तलाश जारी है। कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर के नेतृत्व में तीन उप पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन में मुकदमे की गहनता से तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस वारण्ट की कार्यवाही की जा रही है। इनके बैंक खाते ई मेल पते से भी पता लगाये जा रहे हैं। मुखबिर मामूल किये गये हैं। सारी कार्यवाही पुलिस द्वारा अब तक बहुत तरीके से की जा रही है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय फिर भी अगर हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा अनुसंधान है उसमें किसी प्रकार की यह बात और कहना चाहते हैं कि अमुख्य अधिकारी से इसकी तफ्तीश कराई जाए तो उसके लिए सरकार तैयार है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट प्लीज प्लीज। मैं आपको अवसर दे रहा हूं....

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जस्ट मिनट...

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दे रहा हूं। एक गंभीर आरोप लगाया गया विपक्ष के द्वारा कि किसी अधिकारी द्वारा इंटरवीन करके छुड़ाया जा रहा है, उस पर आप कार्यवाही के लिए आश्वस्त हैं। एक मिनट, आपको समय दे रहा हूं मैं, मेरी बात का जवाब तो आ जाए। मैं आपको समय दे रहा हूं इसका।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी भावना वहीं है, अध्यक्ष महोदय वहीं भावना है। मेरी भावना वहीं है कि वो जो अधिकारी है, जिन अधिकारियों ने यह ... (व्यवधान)... बस वहीं बात है।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपकी ही तो बात कही है। इसी का उत्तर दिलवा रहा हूँ। इन तथ्यों पर भी आप माकूल इन्क्वायरी कराकर के संतोषजनक कार्यवाही करे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर किसी अधिकारी ने इस तफ्तीश में किसी भी प्रकार की इंटरवीन करने की अगर ... (व्यवधान)...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय अगर क्या होता है ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य जवाब तो आने दीजिए पूरा, आपकी भावनाओं को मैंने रख दिया है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी अधिकारी के द्वारा जैसा उसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उन आरोपों की जांच करने के लिए मैं डी.जी. पुलिस को निर्देश दूंगा कि उसकी जांच करा ली जावे।

श्री अध्यक्ष: खतम बात।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अगर अधिकारी वास्तव में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यह मैं आश्वासन दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त माननीय सदस्य।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, एक बात ध्यान में लाना चाहता हूँ, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्लीज चर्चा समाप्त माननीय सदस्य। श्रीमती अनिता सिंह। माननीय सदस्य काफी चर्चा हो गई, चर्चा समाप्त। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। मैंने इन्क्वायरी के लिए निवेदन कर दिया। इन्होंने इन्क्वायरी का आश्वासन दे दिया। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो समस्या खड़ी की उस पर जवाब आ गया है। श्रीमती अनिता सिंह।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनिता सिंह

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता सिंह। और कोई भी अंकित नहीं होगा, सारा स्पष्ट हो चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता सिंह और कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती अनिता सिंह, प्लीज विराजे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सौरी, मैं आपके सामने खाली यह कॉल डिटेल्स, मैं समझती हूँ कि वह टेबिल पर आ जाने चाहिए। इस कॉल डिटेल्स में क्लीयरली बताया है कि आपके एडिशनल एस.पी. रमेश शर्मा हैं उन्होंने छह दफा बात की है वंदना के पिता से तो मैं समझती हूँ इसके बाद तो अपने को और क्या देखने और पता करने की जरूरत है। 55 दिन जब निकल गए, 55 दिन के अंदर ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बीच में इंटरफियर मत करिए। माननीय विरोधी दल की नेता बोल रही हैं, आपकी नेता हैं इतना भी आपको ध्यान नहीं है। माननीय सदस्य प्लीज।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, 55 दिन निकल गए, यह तो सिम्पल से सिम्पल बात है और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर अब ओर ज्यादा लंबा समय निकालने की जरूरत नहीं है। जो अधिकारी हैं, जिन्होंने इस तरीके से गैर लापरवाही की है...

श्री अध्यक्ष: यह डाक्यूमेंट क्या हैं?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): इनके कॉल डिटेल्स हैं।

श्री अध्यक्ष: यह नहीं जानती हैं क्या? आपको बताना जरूरी है?

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अभी आपको पता है, ऐसा मत करिए आप। अध्यक्ष महोदय This is not fair. This is not fair.

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप फरमाए जो फरमाना चाहे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने आपको क्लीयरली बता दिया है कि These are the call details.

श्री अध्यक्ष: इन कॉल डिटेल्स के आधार पर आप इन्क्वायरी में इसको सम्मिलित करे।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डी.जी. को ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एडीशनल एस.पी. को सस्पेण्ड करे।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): इस बात के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि कॉल डिटेल्स निकाल कर सब प्रकार की जानकारी कर तथ्यों के आधार पर कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: सफिशियंट है। श्रीमती अनिता सिंह।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान)... सस्पेण्ड करने की घोषणा करे न, उस रमेश शर्मा को सस्पेण्ड करने की घोषणा करे।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजे। श्रीमती अनिता सिंह। इससे ज्यादा और क्या स्पष्ट आप चाहते हैं? श्रीमती अनिता सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

पाठ्यपुस्तक मण्डल द्वारा निःशुल्क प्रकाशित पुस्तकों की सशुल्क बिक्री

श्रीमती अनिता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गंभीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। 11वीं, 12वीं, 9वीं, 10वीं की जो पुस्तकें निशुल्क वितरित होती हैं सरकारी विद्यालयों में और जिनको राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल छपवाता है, वह पुस्तकें धौलपुर की दो तीन दुकानों के अंदर शुल्क के साथ बेची जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में यह जो किताबें, यह पुस्तकें जो निशुल्क वितरित की जाती हैं, यह सरकार के द्वारा दो प्रकार की पुस्तकें छपवाई जाती हैं। एक वह जो सरकारी विद्यालयों में देनी हैं, उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि निशुल्क वितरण हेतु और दूसरी जो पुस्तकें होती हैं जो निजी विद्यालयों में देनी होती हैं उन पर इस प्रकार लिखते हैं कि उसकी जो कीमत होती है वह कीमत भी उससे ज्यादा रहती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि सरकारी विद्यालयों में यह जो निशुल्क किताबें बांटी जाती हैं यह उन गरीब बच्चों के लिए होती हैं, उन किसान परिवार के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। क्योंकि यह आज भी अच्छी तरह जानते हैं कि जो गरीब परिवार हैं उनके ही बच्चे आज सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं.....

भीम/अरुण/13.7.09/12.40/11

और जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो सारे अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजते हैं तो जिन बच्चों के लिए सरकार खर्च करके निःशुल्क किताबें छपवाती हैं और अभी जिस दिन ये सरकारी विद्यालय खुले थे एक तारीख को उस दिन अखबारों में भी बहुत बड़ा-बड़ा छपा था कि किताबें अब तक स्कूलों में नहीं पहुंचीं। मेरा निवेदन है कि जो किताबें गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पहुंचनी चाहिए जहां पर सारे

हमारे प्रदेश के गरीब बच्चे पढ़ते हैं जहां जिनके भविष्य के लिए हम लोग अच्छे-से अच्छे टीचर लगाने का प्रयास करते हैं। सदन में हमेशा बात होती है कि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, यह किया जाए लेकिन जो शिक्षक पढ़ायेंगे वो किताबें बच्चों को मिलनी चाहिए वो किताबें बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उसके बदले में वो किताबें बाजार में पहुंच गयी हैं और वहां पर बेची जा रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो दुकानदार और ये बोर्ड हैं इनमें कोई मिलीभगत तो नहीं है इसकी जांच सरकार को आवश्यक रूप से करानी चाहिए कि दुकानदार जो बोर्ड की किताबें बेचते हैं उन पर रसीद और बाऊचर भी बनता है और जो पेड बुक्स भी हैं उसके साथ ये निःशुल्क सरकारी किताबें पकड़ी जाती हैं तो भी हमारे जो ये बहाना बना देते हैं कि ये गलती से छप गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि बाकायदा डिमाण्ड मांगी जाती है सरकारी स्कूलों से कि कितने बच्चे आपके स्कूल में दसवीं में आएंगे, ग्यारहवीं में आएंगे, बारहवीं में आएंगे उस डिमाण्ड के अनुसार स्कूलों में किताबें पहुंचायी जाती हैं इसके लिए यह भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि स्कूल के अन्दर जो किताबें की डिमाण्ड जो भेजी गयी हैं वो पूरी पहुंची की नहीं पहुंची क्योंकि ये तो एक धौलपुर का मामला मैंने आपके सामने रखा है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह एक अकेले धौलपुर का नहीं है पूरे राजस्थान के अन्दर ये एक बहुत बड़ा मामला है सरकार की ओर से इसकी जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा मामला है कि बच्चों को जो किताबें पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच रही हैं। कई बार यह बात चलती रहती है कि ये इतनी सारी किताबों का जो मामला है इसमें बहुत सारी बार कह देते हैं कि गलती हो गयी इसमें गलती से छप गयी होगी लेकिन मेरा निवेदन है कि अलग-अलग किताबें जब छपती हैं तो अलग-अलग तरीका रहता है और ये खेल जो इतना बड़ा है छोटे स्तर का नहीं है बहुत बड़े स्तर का है इसमें बोर्ड के अधिकारी शामिल हैं और मैं तो आपसे इतना कहना चाहती हूं कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनको भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा मंत्री भी इसमें ...(व्यवधान)... बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं, प्लीज। प्लीज, माननीय सदस्या को बोलने दें। माननीय सदस्या को बोलने दीजिये आप डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पहली बार पाठ्यपुस्तक मंडल से जो किताबें छपी हैं वो तीस प्रतिशत स्थानों पर अभी तक किताबें ही नहीं पहुंचीं।

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। माननीय सदस्या को बोलने दें। बीच में आप डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा आपसे निवेदन है मैं कोट भी करना चाहती हूं एक

तो यह हैं बुक पाइंट धौलपुर के अन्दर।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट माननीय विरोधी दल की नेता से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य को आप जरा आदेश दें कि अपने-अपने निश्चित स्थान पर विराजें। चालू करिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारे दल में हैं इनके दल में हैं ही नहीं अब।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं कोट भी करना चाहूंगी कि धौलपुर के अन्दर जो दुकानें हैं उन दुकानों के नाम भी रिकार्ड करना चाहूंगा कि एक बुक पाइंट है और एक बंसल बुक डिपो, धौलपुर है। यहां पर ये निःशुल्क किताबें आप आज भी चाहेंगे तो मिल सकती हैं और ...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, केवल बोलते समय यह पाबंदी लागू है।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं बोलते समय...।

श्री अध्यक्ष: आप व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं व्यवस्था बनाये रखूंगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय देवीसिंह जी भाटी सबसे वरिष्ठ हैं ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप कृपया विराज जाएं। मुझे सब तरह का ध्यान रखना पड़ता है। कृपया विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ... ध्यान रखना पड़ेगा आपको।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि जो इतना बड़ा यह एक घोटाला जो बोर्ड के माध्यम से हो रहा है हमारे राजस्थान प्रदेश में इस पर जांच होनी चाहिए और पुलिस द्वारा जांच होनी चाहिए और इसमें शिक्षा मंत्री को जवाब भी देना चाहिए कि इसमें कितने स्टॉक की जांच हुई है कितनी पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क वितरित हुईं, कितनी उनके पास अभी बच रही हैं। यह जो खेल धौलपुर का है लेकिन राजस्थान पूरे में है यह कोई बहुत छोटी बात नहीं है गरीब छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। गरीबों का जो हक है वो बिकने के लिए बाजार में पहुंच रही है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसमें हस्तक्षेप कर के शिक्षा मंत्री से इसका जवाब जरूर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचंद जी कटारिया।

श्री अब्दुल सगीर खॉ (धौलपुर): It is a matter of cheating, Sir, between the Education Minister and those people who are running the shops.

Kindly take cognizance of this. ...(interruptions)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। गुलाबचंद जी कटारिया साहब बोल रहे हैं। आप शुरू करें।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): ...एफ.आई.आर. की जानी चाहिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव लगा हुआ है ...(व्यवधान)... मुझे बोलने का समय दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। आप शुरू करें। अंकित नहीं होगा।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): इसमें कोई ⁰⁰⁰

श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें। अंकित नहीं होगा। अन्य किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: आपके दल के माननीय वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं आप शुरू करें माननीय कटारिया साहब।

उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना को लेकर चल रहा वकीलों का आन्दोलन

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने मेवाड़ की पीड़ा का यहां बखान करना चाहता हूं। हमारा यह सौभाग्य है कि उस क्षेत्र में 56 प्रतिशत आबादी आदिवासी एसटी की आबादी है। पूरे के पूरे जिले उदयपुर, इंगरपुर, बांसवाड़ा पूर्णतः एक तरह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं। 28 एमएलएज में से 15 एमएलएज आदिवासी एमएलए के रूप में यहां विधान सभा में चुन कर के आते हैं। एक लंबे समय से उदयपुर में अपनी हाइकोर्ट बेंच की मांग, नयी नहीं मांग रहे हैं, दुर्भाग्य यह है कि समझने का अन्तर है हाइकोर्ट बेंच हमारे यहां मेवाड़ गवर्नमेंट के समय में ऑलरेडी स्थापित थी और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर किसी ने हाइकोर्ट बेंच की जिसको कहते हैं वहां की जनता को न्याय का कोई अंतिम फैसला लेने वाली कोई अगर कोर्ट थी तो महकमा खास वहां की कोर्ट थी। 1880 में सज्जनसिंह जी ने उसकी स्थापना की। महाराणा भोपालसिंह जी ने 1938 में फिर से उस कोर्ट का नाम बदल करके हाइकोर्ट के नाम से रख करके वो कोर्ट निरन्तर हमारे यहां कार्यरत थी लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चूंकि वो क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है और हमारी और सबकी सारे देश के लोगों की मांग है कि कम से कम गरीब को सस्ता और सुलभ न्याय मिले इसके लिए जो आयोग बना हुआ है उनकी रिकमंडेशन है, स्ट्रॉंगली रिकमंडेशन है कि उन लोगों को

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

न्याय ठीक तरह से सुलभ मिले। मैं आपके सामने कुछ विषय लाना चाहता हूँ। मान्यवर, दक्षिणी राजस्थान के निवासी विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र के निवासियों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी, 1950 से उपयोग करना नहीं सीखा, ऐसा नहीं है आपके यहां जो हाइकोर्ट बनी उसके बाद मैं हमने कोई न्याय के बारे में चिंता की ऐसा नहीं है मेवाड़ में अपितु 1880 में यह अधिकार प्राप्त था जब मेवाड़ राज्य के तत्कालीन महाराणा सज्जन सिंह जी ने उनके द्वारा जारी किये गये संविधान का यह अधिकार प्रदत्त, उक्त संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्टतः वर्णित करता है, 'राज्य मेवाड़ की तमाम रियायत को बजाप्ता एक सा इंसाफ मिले और उसकी जान और माल की बखूबी हिफाजत हो।' संविधान में उक्त अध्यादेश की क्रियान्विति करने के लिए महिन्द्रा खास की स्थापना की गयी थी उसको 1938 में भोपालसिंह जी ने हाइकोर्ट में किया। हमारा और हमारे यहां के महाराणा भोपाल सिंह जी का यह बड़प्पन था कि जब देश के राज्यों का एकीकरण हुआ और सरदार पटेल ने जब इस विषय को रखा तो सबसे पहले मेवाड़ की सरकार ने मेवाड़ के हमारे राजा ने सबसे पहले राजस्थान को एकीकृत करने के लिए अपनी सहमति दी और उस अपनी सहमति देने के बाद दुर्भाग्य हमारा यह देखिये कि जिस समय दिनांक 7.4.49 को वृहत् राजस्थान का निर्माण हुआ तब राजस्थान हाइकोर्ट आर्डिनेंस 1949 होकर आर्डिनेंस नंबर 3 सन 1948 दिनांक 29.8.1949 द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित की गयी तथा खंडपीठ जयपुर के साथ उदयपुर में रखी गयी। उस समय जब एकीकरण हुआ तब भी हमारी खंडपीठ वहीं रही जयपुर में भी खंडपीठ रही तत्पश्चात् उदयपुर की खंडपीठ 22.5.50 से और जयपुर की खंडपीठ 14.7.58 को समाप्त कर दी किन्तु जयपुर को तो फिर से आपने देखा होगा कि 31.1.77 से फिर से उनको हाइकोर्ट मिल गयी। हम अपनी हाइकोर्ट के लिए तब से लेकर आज तक चिल्ला रहे हैं पर हमारा क्षेत्र क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र है गरीब लोग रहते हैं उनकी मांग और उनकी बात को शायद हमारी सरकार ठीक तरह से समझती नहीं। लगातार हम इस बात को मान्यवर, इस संभाग की जनता कोई नवीन खंडपीठ की मांग नहीं कर रही है हम कोई नयी खंडपीठ नहीं मांग रहे, दुर्भाग्य यह है कि हर समझने वाला सोच रहा था कि हम कोई नयी चीज मांग रहे हैं हम नयी चीज नहीं मांग रहे हैं अपितु खंडपीठ दिनांक 22.5.50 को जो आदेश 8.5.50 के द्वारा यहां से समाप्त की गयी उसकी पुनःस्थापना की मांग करते हैं और इस मांग को लेकर 1983 से उदयपुर संभाग का सारा का सारा कोर्ट का काम हर महीने की सात तारीख को नहीं होता बहिष्कार होता है।

कैलाश/अरुण 13.07.2009 12.50 (1) 1m

1983 से लेकर आज तक लगभग 25-26 साल से यह आंदोलन चल रहा है । विभिन्न चरणों में आंदोलन चला । कई बार गिरफ्तारियां हुई, लाठीचार्ज हुए और कई प्रकार के आंदोलन हुए । उदयपुर नहीं संपूर्ण संभाग कई बार बंद हुआ । हम इस मांग को बार बार करते हैं और पूर्व मुख्य मंत्री जी जब वहां पर बार के कार्यक्रम में गई थी आपको भी कई बार उन्होंने ज्ञापन दिया । आपने मन रख कर उदयपुर के लिये एक पत्र लिख कर हाई कोर्ट को भेजा कि वास्तव में इस आदिवासी क्षेत्र की यह मांग बहुत वाजिब है और इस मांग के आधार पर इस पर विचार होना चाहिये । आप के पत्र पर अभी जिस प्रकार से सरकार ने जवाब भेजा है उससे उदयपुर क्षेत्र की जनता बहुत उद्वेगित है। 7 दिन से लगातार उदयपुर के सारे के सारे न्यायालयों का बहिष्कार है। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करे, कृपया इन्टरफेयरिंग नहीं । माननीय कटारिया जी, बीच में कोई माननीय सदस्य इन्टरफेयर नहीं करे, आप चालू रखें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मुझे बहुत अफसोस है कि आपने देखा होगा बिहार में जो कोर्ट बनी थी ...

श्री अध्यक्ष: आप उधर देखते हैं जब गडबड होती है इधर ही देखें आप ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं कभी भी किसी को न इंटरवीन करने का प्रयास करता हूं न कभी किसी को छेड़ने का प्रयास करता हूं ।

श्री अध्यक्ष: कृपया इंटरवीन नहीं । कृपया डिस्टर्ब नहीं करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं यह कह रहा हूं कि बिहार में जिस कोर्ट की स्थापना हुई उस समय उसका जो आधार लिया था वह मैं आपको यहां उद्धृत कर रहा हूं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन क्षेत्र के व्यक्तियों को कम खर्चीले एवं शीघ्र न्याय दिलाने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने हेतु भारत सरकार को बल पूर्वक सिफारिश की । इसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार में आदिवासियों के अधिकार और हितों की रक्षा करने के लिये तथा उन्हें जल्द एवं सस्ता न्याय प्राप्त हो इसके लिये दिनांक 6.3.1972 से रांची में सर्किट बेंच की स्थापना की । ... (व्यवधान)...

तत्पश्चात् खंड पीठ के रूप में संसद में इसका कानून पास हुआ ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): रांची की इस बेंच के लिये अधिनियम संख्या 57 सन 1976 दिनांक 8.4.1976 को परिणीत किया गया । अधिनियम के उद्देश्यों एवं कारणों में स्पष्टतः अंकित किया गया । उस समय हमारा जो अध्यादेश हुआ संसद से

उसमें The Bench was established to meet the needs of the adivasi population of the Chhota Nagpur area. इसके आधार पर बनी । जहां 7 प्रतिशत पापुलेशन है संसद ने उसके लिये कानून बना कर उनको कोर्ट उपलब्ध कराई ।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): हमारा दुर्भाग्य यह है कि 56 प्रतिशत आबादी का मेवाड आज अपनी मांग के लिये बार बार आग्रह कर रहा है और पूर्व मुख्य मंत्री जी ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए यह कहा कि निश्चित रूप से उदयपुर के लिये हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिये ताकि उस क्षेत्र के, 500 किलो मीटर से 3 जगह उसे जगह बदलनी पडती है । सीधी न कोई ट्रेन है न बस है । ठेठ आनंदपुरी और हमारा जो अंतिम छोर है कुशलगढ वहां से व्यक्ति जाता है ।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं आपको अफसोस के साथ कह रहा हूं उदयपुर की जेल में जाकर आप देखें तो जो आदिवासी जो आजीवन कारावास भुगत रहा है उदयपुर की सेंट्रल जेल में ...

श्री अध्यक्ष: कौन जाकर देखें ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप जाकर उसका पता करें कि अधिकांश वह लोग है मैं यह कह सकता हूं कि वह बेगुनाह अपनी अपील नहीं कर सकते, इतना खर्च नहीं दे सकते । इसलिए जहां से उनको सजा मिली वहां से लेकर बुढापे तक वह सजा भुगतता है ।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें कृपया ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): उसका एक मात्र कारण यह है कि उसको वहां सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध नहीं है । जब आप जयपुर में स्थापित कर सकते हैं उदयपुर का अपना हक था ।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वही हम मांगने के लिये 7 दिन से हमारे न्यायालय बंद है । मैं आपसे और सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि संवेदनपूर्ण विषय पर शांतिपूर्वक और न्याय के तराजू पर तोल कर निर्णय करें और पूर्व सरकार ने जो अपना पत्र लिखा है उस पत्र को आगे बढा कर हाई कोर्ट की बेंच उदयपुर में स्थापित हो ।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं तो यह आंदोलन लंबा चलेगा, अशांति पैदा करेगा ।

- श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। प्रक्रिया के नियम 295 पर श्री बाबूसिंह राठौड़।
- श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): 000
- श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000
- श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजे। श्री बाबूसिंह राठौड़। किसी का अंकित नहीं होगा। श्री बाबूसिंह राठौड़ शुरू करें।
- श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000
- श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000
- श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। मैं मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि जो अंकित नहीं होता है कृपया उसको मेंशन नहीं करे। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा। श्री बाबूसिंह राठौड़। ...(व्यवधान)...
- श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 000
- श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000
- श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा। श्री बाबूसिंह राठौड़, श्री बाबूसिंह राठौड़ आप शुरू करें पढ़ना।
- श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लें।
- श्री अध्यक्ष: आप शुरू करें। और किसी का अंकित नहीं हो रहा केवल आपका अंकित हो रहा है आप शुरू करें।
- श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000
- श्री अध्यक्ष: आप पढ़ते रहिए और किसी का अंकित नहीं हो रहा है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

जोधपुर के चामू में गौण मण्डी यार्ड की स्थापना

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जोधपुर (अनाज) मंडी क्षेत्र चामू में गौर मंडी यार्ड की स्थापना एवं निर्माण हेतु भूमि का चयन एवं आबंटन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत चामू के आस पास की घनी आबादी के गांव निवासी यहीं से दैनिक उपयोगी एवं आवश्यक सामान की खरीद करते रहने से यह एक व्यापारिक केन्द्र है। चामू क्षेत्र के आस पास चांदसमा, कलाऊ, जेठानिया, सेतरावा, तेना, सोमेसर, गुमानपुरा, देचु, चौरडिया, कनोडिया पुरोहितान, गिलाकौर, नाथडाऊ, बारनाऊ, लोडता अचलावता, देवातु, सेखाला, देडा, केतु कला, केतु मदां, कुई इन्दा, बालेसर सत्ता,

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

बेलवा राणाजी, वेलवा खत्रिया, गोपालसर बिराई, खुडियाला, बस्तवा, डेरिया, भालू राजवा, भालू अनोपगढ, गोदेलाई इत्यादि ग्राम पंचायतों में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप मुझसे चैम्बर में मिल कर जो बात कहना चाहते हैं वह कह दें कृपया व्यवधान न डालें ।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ): करीब 4600 ट्यूबवेल व चामू क्षेत्र के पास विधान सभा क्षेत्र ओसिया की ग्राम पंचायत पांचला, गंगाडी, चिराई, एकलखोरी, भेड, सामराऊ इत्यादि में करीब 400 ट्यूबवेल होने एवं पास में से इंदिरा गांधी नहर की नजदीकी एवं उपजाऊ जमीन होने से कृषि की बहुलता के कारण रबी एवं खरीफ की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में होती है । अभी हाल ही में ट्यूबवेल नये स्थापित होने से जीरा, रायडा, मिर्च, इसबगोल, मूंगफली, मूंग, मोठ, बाजरा, गेहूं, इरण्डी, सरसों, सूरजमुखी, लहसून, प्याज व सब्जियां इत्यादि फसल बहुतायत से हो रही है तथा आगे भी इनकी पैदावार एवं क्षेत्र में भी वृद्धि की संभावना है । ग्राम चामू कृषि जिन्सों की पैदावार एवं व्यापार की स्थिति को देखते हुए ग्राम चामू एवं उसके नजदीक के क्षेत्रों की कुल मंडी शुल्क से अधिक आय प्राप्त हुई है जो गौण मंडी यार्ड स्थापित करने हेतु दिये गये उक्त प्रकार का व्यवसाय निर्धारित मानदंडों से अधिक है ।

किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बेचने हेतु स्थानीय मंडी नहीं होने के कारण उनका उचित मूल्य किसानों को स्थानीय व्यापारियों से नहीं मिलता है । इस कारण किसानों को अपनी फसल बेचने हेतु अन्यत्र कृषि मंडी अर्थात् जौधपुर , फलौदी जाना पडता है । इस प्रकार फसल परिवहन पर व्यय होने के कारण किसानों के फसलों की लागत बढ़ जाती है एवं उन्हें आर्थिक हानि उठानी पडती है ।

अतः उक्त बिन्दुओं पर व्यक्तिगत रूप से गौर फरमाते हुए कृषि उपज मंडी समिति अनाज, जौधपुर के मंडी क्षेत्र के ग्राम चामू में गौर मंडी यार्ड स्थापित करवा कर स्थानीय कृषकों को राहत प्रदान करवाने का श्रम करावें, धन्यवाद । ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000⁰⁰⁰

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): 000

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा । आप बोलिए ।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप हाउस को आर्डर में लीजिए ।

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए और किसी का अंकित नहीं हो रहा, आप बोलिए ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000⁰⁰⁰

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष: और किसी का अंकित नहीं होगा । ... (व्यवधान)... आप बोलिए वरना मैं पढा हुआ मान लूंगा । ... (व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष जी, आप हाउस को तो आर्डर में लीजिए । ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप बोलिए और किसी का अंकित नहीं हो रहा ।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री ज्ञानचन्द्र पारख (पाली): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ व तीर्थराज पुष्कर के कारण अजमेर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान रखता है किन्तु शनैः शनैः अजमेर शहर ... (व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल, माननीय सदस्य विराजिए आप ।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजिए आप । मंत्री जी विराजिए आप ।

ans/akt 13.00 1n 13.072009

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल, माननीय सदस्य आप बिराजिये, मंत्री जी बिराजिये (व्यवधान) श्रीमती अनिता भदेल। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब आ जाने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: जवाब नहीं है, आप पढ़ दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मंत्री जी जवाब देना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं पढ़ना चाह रही हैं तो मैं अगले सदस्य का नाम पुकराने को विवश होऊंगा। आप पढ़िये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: और किसी का अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्या आप पढ़िये। आप नहीं पढ़ना चाहती तो मैं अगले सदस्य का नाम लूं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं पढ़ना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़िये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सदस्यों की बात सुनिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जाए। अंकित नहीं हो रहा, आप बिराज जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: आप बिराज जाए। माननीय सदस्य, आप बिराज जाए। श्रीमती अनिता भदेल। अंकित नहीं हो रहा। मैं अलाऊ नहीं करूंगा, कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

पुष्कर में नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने विषयक

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ व तीर्थराज पुष्कर के कारण अजमेर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान रखता है, किन्तु शनै शनै अजमेर शहर अपनी पहचान को भुलाता हुआ नशीले पदार्थों की खरीद फरोस्त व उपयोग के कारण नशीले पदार्थों की अवैध मण्डी के रूप में देश व दुनिया में जाना जाने लगा है।

पुष्कर व अजमेर की दरगाह शरीफ के चारों ओर इन नशीले सौदागरों का जाल बिछा होने के कारण सामान्य किशोर अवस्था के बालक इस नशीले पदार्थों की जद में आ रहे हैं, साथ ही विदेशी भी इन नशीले पदार्थों का सेवन कर कई बार तीर्थ स्थलों की मर्यादाएं लांघ चुके हैं। प्रिन्ट मीडिया व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रति दो तीन दिन में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बेचान आदि के मामले प्रकाश में आते रहते हैं

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

किन्तु अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लगा एक बड़ा हिस्सा वह भी है जो पुलिस की जद में नहीं आते व अपना व्यापार धडल्ले से करते रहते हैं।

आज सरकार ने सिगरेट के पैकटों पर भले ही उसके परिणाम को दर्शाने के लिए कम्पनियों को बाध्य कर दिया है किन्तु इन सिगरेटों से कहीं अधिक घातक वे नशीले पदार्थ हैं जिनके अवैध कारोबार को यदि नहीं रोका गया तो यह आतंकवाद से भी कहीं अधिक खतरनाक होगा।

इसके सेवन से आने वाली नस्ल समाप्त हो जायेगी क्योंकि इसके सेवन करने वालों में किशोर व युवा वर्ग अधिक है।

अतः मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि वे अजमेर में बढ़ते हुए इस नशे के कारोबार को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही कर अजमेर व इसके आसपास युवाओं को इसके दुष्परिणामों से बचाकर उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने में इसका सहयोग करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि माननीय सदस्यों के काफी स्थगन प्रस्ताव आते हैं, हम विपक्ष में हैं तो हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं आती हैं हम उनके स्थगन प्रस्ताव यहां पर देते हैं। आप कृपया करके चार-पाँच माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर भी देते हैं और मंत्री वक्तव्य देना चाहे तो आप दिलाते हैं इसके लिए तो आपका आभार है लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप ज्यादा बोलने की परमीशन नहीं देते, जैसे पाली के हमारे माननीय सदस्यों के सबके हैं कि राशन की दुकान पर राशन नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर माननीय सदस्य सरकार का ध्यानाकर्षित कर देते हैं तो समस्याओं का समाधान हो जाता है। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि जिन स्थगन प्रस्तावों को आप निरस्त करें उनको कम से कम दो-दो मिनिट बोलने का अवसर दें एक। दूसरा, जिन स्थगन प्रस्तावों पर आप तुरंत बोलने नहीं दे तो कृपया करके उन स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार की जानकारी के लिए दे दें। कई समस्याओं का समाधान तो राज्य सरकार से जब जानकारी आती है तो वह जानकारी आते ही कार्यवाही हो जाती है और विधान सभा एक महीने, डेढ़ महीने चलने का असर आम जनता को लाभ मिलता है और विपक्ष के पास आपके माध्यम से इनको उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपनी व्यवस्था, अध्यक्ष तो अपनी व्यवस्था पर, अध्यक्ष महोदय तो पुनर्विचार भी कर सकते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप ...

श्री अध्यक्ष: बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज के बाद आगे भी, आज भी जो भी माननीय सदस्य हैं उनकी बात सुन ले एक बार।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बात सुनकर अगर आवश्यक लगे तो इस पर जरूर निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष: कृपया बिराजे। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): 000

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) आपके दल के माननीय सदस्य बोल रहे हैं, कृपया उन्हें बोलने दें। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आवाज ही नहीं आ रही क्या बोलूँ मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस तरह मैं अलाऊ नहीं करूँगा। इस तरह से मैं अलाऊ नहीं करता। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो पढ़ दूँगा आवाज नहीं आयेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। आप पढ़िये, और किसी का अंकित नहीं हो रहा, आप पढ़िये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आवाज भी तो नहीं जा रही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप पढ़िये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आवाज नहीं जा रही किसी को। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपके दल के माननीय सदस्य आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं (व्यवधान) श्री हनुमान बेनीवाल, मैं अगले माननीय सदस्य का नाम लेने को विवश होऊँगा। हां बोलिये। पढ़िये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान सम्पूर्ण राजस्थान के अंदर पंयजल की कमी... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, चैम्बर में मिलना मुझसे। बिराजे बिराजे, आप बिराजे। (व्यवधान) श्री हनुमान बेनीवाल। माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

राजस्थान में पेयजल संकट दूर करना

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत में आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री जी का ध्यान सम्पूर्ण राजस्थान में पेयजल की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और उस पर विशेष रूप से मेरे क्षेत्र की समस्या के बारे में उल्लेख करूंगा। आज इंदिरा गांधी नहर एरिया में पानी की सप्लाई कम होने से पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है, हम कल्पना कर सकते हैं कि बाकि राजस्थान का क्या होगा। मानसून की कमी ने कोड में खाज का काम किया है और गांवों में पानी को लेकर रोज आपस में झगड़े हो रहे हैं और आये दिन छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक आंदोलन शुरू हो गये हैं और कहीं कहीं तो ये आन्दोलन हिंसक रूप भी ले रहे हैं और यदि यही स्थिति रही तो इस सरकार को सम्पूर्ण राजस्थान में सिर्फ पेयजल की कमी के कारण भंगकर कानून व्यवस्था की स्थिति का सामना करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि जो सम्भाले नहीं सम्भालेगी। इसके लिए समय रहते सम्पूर्ण राजस्थान में पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए।

पहले यह व्यवस्था थी कि आकस्मिक निधि से पानी की कमी वाले गांवों में नये ट्यूबवैल स्वीकृत किये जाते थे सरकार ने बन्द कर दिये हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र खींवसर में 12 ट्यूबवैल बन्द हो गये हैं उनको नये बनाये जाने हैं और 50 ट्यूबवैल नये खुदवाने की स्वीकृति हो चुकी थी जिसको भी सरकार ने लम्बितकर दिया है। इस सरकार ने पूरे राजस्थान में एक भी नया ट्यूबवैल आकस्मिक निधि से स्वीकृत नहीं किया है। सिर्फ जो फैल ट्यूबवैल हैं उनकी जगह कुछ सीमित मात्रा में नये ट्यूबवैल खेलने की इजाजत दी है। जैसे खींवसर में 2 ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये हैं जबकि 24 ट्यूबवैल की मांग कलक्टर और मंत्री महोदय को प्रस्तुत की गई थी जिससे जनता को शुद्ध पेयजल मिल सके परन्तु एक भी ट्यूबवैल स्वीकृत नहीं किये गये हैं। पिछली सरकार के समय जो ट्यूबवैल GLR स्वीकृत किये थे को लम्बित करके मंत्री महोदय ने साबित कर दिया है कि वे पानी की समस्या के प्रति कितने संवेदनशील है।

अतः मेरी जन स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मांग है कि कृपया खींवसर में कम से कम 24 ट्यूबवैल नये स्वीकृत करें और जो ट्यूबवैल फैल हो गये हैं उनकी जगह भी नये ट्यूबवैल तत्काल खुदवाये जाए वरना पेयजल के लिए त्राही-त्राही मचने वाली है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पेयजल के मामले में कम से कम मेरे क्षेत्र के अंदर....

श्री अध्यक्ष: लिखा हुआ ही पढा जाता है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजे, लिखा हुआ ही पढा जाता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्योंकि मेरा खींवसर विधान सभा क्षेत्र इनके विधान सभा क्षेत्र से लगता हुआ है और यह जानबूझकर....

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम कोली।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसे दबाने के लिए मेरे इलाके के अंदर जो मेरी योजना है....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, केवल लिखा हुआ पढ़ा जाता है। श्री सुखराम कोली, श्री सुखराम कोली, शुरू करिये।

पुरानी हो चुकी विद्युत लाइने बदलने विषयक

श्री सुखराम (बसेडी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत बिजली के कारण हुई मौतों के संबंध में मैं माननीय ऊर्जा मंत्री एवं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि धौलपुर जिले में अधिकांश लाइनें बहुत पुरानी हैं जिनको बार बार अनुरोध करने के बाद आज तक बदला नहीं गया है। महोदय इन लाइनों एवं नीचे रखे ट्रांसफार्मरों से आज तक कई मौतें हो चुकी हैं। चाहे बसेडी ममोधन बाया सलेमपुर लाइन से हुई मनीराम की मौत हो चाहे 8 भैसों को मरने या दौपुरा एवं सलेमपुर के लोगों के जलने की घटना हो या कुशवाह गांव की मौत हो, श्रीमान जी इन लाइनों से अन्य कई लोग भी मौत के शिकार हो चुके हैं। इतने होने के बावजूद इन लाइनों को आज तक बदला नहीं गया है।

दुर्गा/त्रिपाठी 130709 1310 10

श्रीमानजी, खरगापुरा के एक ही गांव के 7 लोग बिजली विभाग की लापरवाही के कारण मौत का ग्रास बन चुके हैं। परन्तु आज तक उक्त ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है सिर्फ 20-20 हजार रुपया मुआवजा देकर इतश्री कर ली। श्रीमानजी, यह संवेदनशील सरकार की संवेदनशीलता का एक जीता जागता प्रमाण है कि गरीब असहाय किसान परिवार को विखण्डित होने से बचाने के लिए उन गरीब परिवारों को कम से कम 2-2 लाख रुपया देने की व्यवस्था करें। तथा लापरवाह ठेकेदार एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। श्रीमानजी, बिजली विभाग की लापरवाही का एक नमूना यह भी है कि जिस समय राज्य में आचार संहिता लगी हुई थी परन्तु कांग्रेस प्रत्याशी सांसद को जिताने के लिये धौलपुर जिले के 22 गांवों में चुनाव से एक दिन पहले ट्रांसफार्मर रखे गये जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ऐसा क्यों

हुआ? दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। जिस समय आचार संहिता लगी हुई थी उसी रात को...।

श्री अध्यक्ष: केवल लिखा हुआ पढ़ें, माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): श्रीमानजी, जब मौके पर..। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल लिखा हुआ पढ़ें, माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): लिखा हुआ ही है, श्रीमानजी।

श्री अध्यक्ष: बस।

श्री सुखराम (बसेड़ी): तो यह है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। (व्यवधान) कैसे चुनाव से एक दिन पहले ट्रांसफार्मर रखे गये।

श्री अध्यक्ष: केवल लिखा हुआ पढ़ें। भाषण नहीं, भाषण नहीं, केवल लिखा हुआ।

श्री सुखराम (बसेड़ी): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल गर्ग।

कृषि उपज मण्डी, बिलाड़ा में संचालक पद पर विधायक के मनोनयन बाबत

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा (जोधपुर) में दो कृषि उपज मण्डी समिति क्रमशः बिलाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति एवं पीपाड़ कृषि उपज मण्डी समिति आती है। दोनों समितियों में संचालक वर्तमान में बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों के ही चुनिंदा जन प्रतिनिधि हैं था दोनों समितियों का कार्यक्षेत्र अधिकार भी बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों व नगर पालिकाओं से बना हुआ है।

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बिलाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति के अन्दर संचालक पद पर जिनका कार्य क्षेत्राधिकार बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र न होकर लूणी के माननीय विधायक महोदय को...।

श्री अध्यक्ष: आप लिखा हुआ पढ़ें, माननीय सदस्य। लिखे हुए की प्रति मेरे सामने भी है। आप कृपया लिखा हुआ पढ़ें।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बिलाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति में माननीय विधायक लूणी (जोधपुर) का संचालक पद पर मनोनयन किया गया है जबकि लूणी विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव, ढाणी बिलाड़ा कृषि उपज मण्डी समिति के कार्य क्षेत्राधिकार में नहीं पड़ता है।

में इस नियम के द्वारा माननीय कृषि मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि राजस्थान में हाल ही में 113 कृषि उपज मण्डी समितियों/ अनाज मण्डी समितियों/ फल एवं सब्जी

मण्डी समितियों व अन्य समितियों में एक ही विधायक को 3-4 समितियों में जिनका विधान सभा क्षेत्र का एक भी गांव समितियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता हो, उनका संचालक पद पर किस नियम व नीति के तहत मनोनयन किया गया। क्या राज्य सरकार इन समितियों में अपने मनमाने ढंग से विधायक व अन्य संचालकों का मनोनयन कर समिति अध्यक्षों को अल्पमत में लाकर बर्खास्त करना तो नहीं चाहती।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये, हो गया पूरा आपका। श्री ओटाराम देवासी।

सिरोही विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सिरोही विधान सभा क्षेत्र में पेयजल के बारे में जो पानी-पानी के लिये बहुत बड़ी किल्लत है, उसके लिये सिरोही शहर और आसपास के गांवों को पेयजल की बहुत बड़ी तक तकलीफ है उसके लिये और शिवगंज क्षेत्र में गोडाना-धबाणा, 5 गांवों की जो स्कीम बनी हुई थी...।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़िये इसको।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): इसके लिये मैंने आपके पास भिजवाई है, उसको चालू करके जो हमारे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में एक कालकाजी का तालाब, करीब 2 साल से उसकी स्कीम बनी थी, और उस स्कीम में अभी कालकाजी तालाब को पुनः जोड़ने के लिये 5.77 करोड़ रुपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये हैं, यह बहुत बड़ी तकलीफ है और पूरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की बहुत बड़ी तकलीफ है, इसके लिये आने वाले समय में जिस तरह से पेयजल के बारे में पूरे विधान सभा क्षेत्र में आज गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में पहले भी देखा जाए तो जिस तरह से राम भी रुठा हुआ है और राज भी रुठा हुआ है, यह बहुत बड़ी तकलीफ है। इसको ध्यान में रखते हुए आप पेयजल की सुविधा के लिये, मैंने 295 में...।

श्री अध्यक्ष: यह कहां लिखा हुआ है?

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): जी?

श्री अध्यक्ष: यह कहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ पढ़िये आप पहले।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): आपके पास है।

श्री अध्यक्ष: आप लिखा हुआ पढ़िये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जो लिखा हुआ था, वह आपको दे दिया, इसलिये अब वही बोल रहे हैं जो याद रह गया इनको।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): नहीं, पेयजल की समस्या के लिये मैंने लिखकर दिया है। यह राम और राज रुठा हुआ है, यह मैंने उसमें नहीं लिखा हुआ था।

श्री अध्यक्ष: चलिये, आगे पढ़िये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): और जिस तरह से यह पेयजल की जो बहुत बड़ी दिक्कत है उसके लिये मैंने आपको लिखकर दिया है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बहादुर सिंह।

बैर विधान सभा क्षेत्र में वल्लभगढ़ से कटारियापुरा तक सड़क निर्माण

श्री बहादुर सिंह (बैर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बैर के कस्बा वल्लभगढ़ से कटारियापुरा की लम्बाई लगभग 2 किलोमीटर है। इस सड़क के निर्माण से वल्लभगढ़ व वैर भुसावर आने-जाने का रास्ता बयाना से जुड़ जाता है। बरसात के दिनों में यह रास्ता बंद हो जाता है। करीब 30 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है जिसके कारण बहुत परेशानी होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूंगा कि अगर यह सड़क निर्माण करा दिया जाता है तो 50 गांव इस रास्ते से सीधे जुड़ते हैं जिससे आम जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री महावीरप्रसाद जीनगर।

जहाजपुर, पंडेर, शाहपुरा क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना

श्री महावीर प्रसाद जीनगर (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर, पंडेर, शाहपुरा क्षेत्र के लगभग 95 गांव एवं ढाणियों की एक योजना 2002-03 में वर्तमान मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक गहलोतजी के समय फ्लोराइड एवं खारे पानी से किल्लत के कारण बनाई गई उसके बाद प्रदेश में आज तक भाजपा सरकार आने के बाद 5 साल तक इस योजना को पूर्ववर्ती सरकार के समय बनी योजना को खटाई में डालकर लगभग 1 लाख से ज्यादा जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। इससे सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता में उल्टा रोष व्याप्त हो गया था। इसके बाद जनता ने वर्तमान सरकार के गठन के बाद यह अपेक्षा की कि फिर से प्रदेश में नई सरकार आने के बाद पूर्व में लम्बित इस योजना की स्वीकृति हो सकेगी। मेरा अनुरोध है कि बीसलपुर नगोडिया आदि के जन स्रोत से 50 करोड़ की लागत की इस योजना को, जिसमें सारे कार्य पूर्ण होकर लम्बित हैं, जलप्रदाय मंत्री महोदय इस क्षेत्र

की विषम जल समस्या को देखते हुए अब आगामी पी.पी.सी. की बैठक के एजेण्डे में सर्वोच्च प्राथमिकता देकर स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर खण्डेला।

खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में सड़क मरम्मत/नवीनीकरण

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में खण्डेला-उदयपुर वाटी रोड से रामपुरा तक सड़क व खण्डेला से रोयल सड़क इतनी टूट गई है कि सड़क पर साधन तो क्या पैदल भी चलने में परेशानी होती है।

Vps-akt- 13.07.2009-13.20-1p-1

उक्त दोनों सड़कों के अवशेष भी बचे हुए नजर नहीं आते हैं व खण्डेला कांवट रोड से चला वाया चौकड़ी सड़क भी बहुत खराब है। इसको अतिशीघ्र ठीक करायें, ताकि लोगों को आने-जाने में असुविधा न हो सके। साथ ही केरपुरा वाया आभावास से तपिपल्या ग्राम तक मात्र तीन किलोमीटर ग्रवल रोड है, उसे भी डामरीकरण करायें ताकि खाटूश्यामजी के लिए एक और रास्ता सही हो सके। अतः मंत्रीजी से निवेदन है कि समस्या को अविलम्ब समाप्त करायें।

श्री अध्यक्ष: श्री गंगासहाय शर्मा।

जयपुर-चन्दवाजी-दिल्ली 6 लाइन के कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही

श्री गंगा सहाय शर्मा (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर-चन्दवाजी-दिल्ली 6 लाइन के कार्य में ठेकेदार द्वारा की जा रही लापरवाही से मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान जयपुर-चन्दवाजी-दिल्ली 6 लाइन पर चल रहे कार्य में ठेकेदार द्वारा हो रही लापरवाही के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, हाल ही में उक्त मरम्मत/ दीवार निर्माण कार्य के दौरान गांगावाली पुलिया मानपुरा माचेड़ी, तहसील आमेर के पास दीवार निर्माण के दौरान दीवार धस जाने से पाँच मजदूर बुरी तरह से घायल हुए जिसमें एक महिला मजदूर मंजू पुत्री जोधराम की मौके

पर ही मृत्यु हो गयी तथा चार अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये जिनका सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। महोदय, उक्त निर्माण कार्य के दौरान जे.के.जे. तथा के.एम.सी. कम्पनी के ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। मौके पर सुरक्षा के कोई इन्तजाम नहीं है। दुर्घटना के दौरान पुलिस भी काफी देर से पहुंची जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। मृतक तथा घायलों को कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की कोई सहायता अभी तक नहीं दी गई है और न ही उनका इलाज करवाया जा रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के दौरान मजदूरों की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयत्न करे जिससे दुर्घटना होने की सम्भावना नगण्य हो। यह जिम्मेदारी निश्चित रूप से ठेकेदार की हो कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा हो वहां फर्स्ट एड की व्यवस्था हो तथा कार्य नॉर्म्स के आधार पर हो।

अतः निवेदन है कि उक्त मामले की जांच करवाकर मृतक को आर्थिक सहायता तथा घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए तथा निर्माण कार्य कर रही कम्पनी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे जिससे भविष्य में ऐसे हादसा नहीं हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, Point of information.

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुन लीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट बाद।

कवास बाढ़ पीड़ितों को सहायता

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत कवास बाढ़ पीड़ितों को सहायता बाबत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्रीजी का ध्यान एक जन हित के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूँ।

अगस्त, 2006 में मेरे विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के कवास ग्राम में आई विनाशकारी बाढ़ में कई लोगों की जानें चली गईं और हजारों लोग बेघर हो गये। तत्कालीन राज्य सरकार ने बाढ़ राहत के नाम पर बाढ़ पीड़ितों के लिए कवास के पास मगरा में आवास बनाये। विडम्बना है कि एक तरफ तो कवास के लोगों पर बाढ़ ने कहर

बरपाया वही दूसरी ओर तत्कालीन राज्य सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बने आवासों की आवंटन प्रक्रिया में अड़चनें पैदा कर दीं।

अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन राज्य सरकार ने केवल उन बाढ़ पीड़ितों को ही निःशुल्क आवास आवंटित किये जो बी.पी.एल. सूची में चयनित थे तथा अन्य के लिए लागत का 25 परसेंट मूल्य तय कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्रीजी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि क्या 22 अगस्त, 2006 की आधी रात को आई विनाशकारी बाढ़ ने केवल बी.पी.एल. परिवारों को ही उजाड़ा था? हकीकत यह है कि उस विनाशकारी बाढ़ में चाहे अमीर हो या फिर गरीब, सभी की स्थिति बी.पी.एल. से भी बदतर हो गयी थी। उन्होंने तो केवल अपनी जान बचाई थी बाकी सब कुछ बाढ़ में बह गया और उसके बाद लगभग डेढ़ वर्ष तक इस क्षेत्र में पानी का भराव रहा था।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय आपदा राहत मंत्रीजी से यह मांग करता हूँ कि बाढ़ पीड़ितों में सभी वर्गों को एक श्रेणी में मानकर निःशुल्क आवास आवंटित किया जाए तथा बी.पी.एल. के अलावा जिनसे लागत का 25 प्रतिशत मूल्य लेने का प्रावधान है, उनको विलोपित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

सूचना

सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे कार्मिकों का वेतन भुगतान नहीं होना

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत खण्ड प्रभारी, संकुल प्रभारी एवं संदर्भ व्यक्तियों का एक साक्षात्कार के द्वारा सरकार ने चयन किया था और इनको अलग-अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया था। इन लोगों को पिछले पाँच महीने से वेतन नहीं मिला है। न इनको भत्ते मिले हैं और उलटा सरकार ने दिनांक 30.06.2009 को एक आदेश प्रसारित किया है जिसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि इनका यह कार्य अतिरिक्त होगा और यह अध्यापक के रूप में अपने स्थानों पर काम करेंगे। कोई भी व्यक्ति दो प्रकार का काम कैसे निर्वहन कर सकता है? उसकी नौकरी कहीं है, यह काम अलग है लेकिन यह दोनों कामों के कारण आज 2159 ऐसे कर्मचारी हैं। इस समय शहीद स्मारक, जो गवर्नमेंट हॉस्टल के पास में है, वहां धरने पर बैठे हैं। उनके घर का चूल्हा नहीं जला है। उनकी तनख्वाह जमा नहीं हुई है इसलिए जुलाई में उनके बच्चों की फीस भी जमा नहीं हुई है। आज उनके मन में आक्रोश है। आज यदि किसी व्यक्ति को एक भी महीने का वेतन नहीं मिले तो वह अपना जीवन कैसे

जीएगा? पाँच महीने से वेतन नहीं मिला। साल भर से उनको टी.ए., डी.ए. का नहीं हुआ। उनको उपार्जित अवकाश नहीं मिला। आज इस सरकार से उनके मन में वह त्राहि-त्राहि मची हुई है। वे कर्मचारी सरकार के हैं। सरकार ने उनको पूर्णकालीन यह जिम्मेदारी दी थी। यह सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गर्त वर्ष भी समस्या आयी थी। सरकार ने 53 करोड़ का एक उनको लोन देकर के उनका वेतन भुगतान किया था। सरकार का दायित्व है कि उन्होंने काम लिया है, वेतन कहां से दिया जाए, यह कर्मचारी का रोल नहीं होना चाहिए। कर्मचारी को तो एक महीना पूरा होते ही उसको वेतन मिले।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार उनकी समस्याओं का तुरन्त समाधान करे। उन्हें पाँच महीने का वेतन दिलाये। टी.ए., डी.ए. दिलाये और 30.06.2009 को जो जारी आदेश है, एक तुगलकी आदेशक है, उसे तुरन्त निरस्त करे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी समस्या है। राज्य सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय, आप तो खुद ही इतने संवेदनशील आदमी हैं। यह इतने दो हजार जो लोग लगे हुए हैं वे इण्टरव्यू के आधार पर लगे हैं। यह अध्यापक हैं सबके सब, इनको दूसरा काम दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान की स्कीम के अन्तर्गत है। इनको वेतन नहीं मिल रहा है। यह पद खतम करना है तो खतम करके इनको टीचर बना दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन इनको वेतन मिले, इस बात की व्यवस्था तो आपको करनी चाहिए। यह मेरा आपसे आग्रह है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात के निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिये गये हैं कि जहां पद रिक्त है, वहां से उस अध्यापक का वेतन उठाकर और जो इधर चयनित किये हुए लगे हुए हैं, इनको दे दिया जाए। इस बात के आदेश जारी हो गये हैं, आज से तीन-चार दिन पहले, पाँच दिन हो गये होंगे। सबको सैलेरी मिल जाएगी, इसमें चिन्ता की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

नियम-295 के तहत विशेष उल्लेख

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के नगरपालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत जनहित के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताव की सूचना पर निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के नियमों में प्रावधान भी किया था। इस फैसले के अनुरूप दिनांक 25.3.2008 को पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल पारित कराया गया था। तत्पश्चात् 01 अक्टूबर, 2008 को शहरी निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया गया। इसके बाद नई सरकार सत्ता में आयी। उसने अध्यादेश का रिप्लेसिंग बिल सदन में 07 जनवरी, 2009 को रखा। (नगरपालिका विधेयक, 2009) खण्ड-6 के उप खण्ड-7 के तहत 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान रखा लेकिन उसके पास नहीं करवाया क्योंकि इनकी मंशा महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने की नहीं थी।

इस बिल को सत्र प्रारम्भ होने की तिथि से (01 जनवरी, 2009) से 42 दिन में पास कराना जरूरी था लेकिन इससे पहले ही इन्होंने 10 फरवरी, 2009 को अध्यादेश जारी करके पुराने नगरपालिका अधिनियम, 1959 को पुनर्जीवित कर दिया और महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण समाप्त करके 33 प्रतिशत कर दिया। राजस्थान नगरपालिका (निरसन और पुनः प्रवर्तन) नियम के अनुसार सरकार महिलाओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है। इस संबंध में अब तक कोई न्यायोचित कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय के प्रस्ताव से नगरीय विकास मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ और इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कोई जवाब तो दिलवाओ। इतना महत्वपूर्ण मामला है और आप जवाब नहीं दिलवाओ। ... (व्यवधान)...

शिव/Akt/13.07.2009/13.30/1q

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जवाब तो दिलवाओ, बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आप जवाब नहीं दिला रहे हो। आप महिला विरोधी हो क्या?

श्री अध्यक्ष: आज दिनांक 13 जुलाई, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुई थीं जिनकी श्लाका द्वारा पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:- श्री रामनारायण मीणा- वर्षा में देरी के कारण ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बिजली-पानी एवं कर्ज की भयंकर परेशानी के संबंध में। डॉ० विश्वनाथ मेघवाल, खाजूवाला विधान सभा

क्षेत्र के गांव भांडसर 452 आर.डी. एवं खारवाली में हुई 9 मौतों के संबंध में। श्री अभिषेक मटोरिया, नोहर तहसील के चक राजासर में हुए सामूहिक हत्याकाण्ड के संबंध में। श्री रामनारायण मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पानी की समस्या

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले दो-तीन दिनों से मैं गांवों में घूम रहा था, उसके बारे में जो मैंने अपस्वतः निष्कर्ष निकाला है, वह मैं अर्ज करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, गांव में बरसात नहीं हो रही है। पीने का पानी नहीं है। एक गांव आकोडिया है। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग मुझे आग्रह करके ले गये। राजस्थान में उस गांव को कुबड़ियों का गांव कहते हैं। माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, सुबह उठते ही आप चाहे छह बजे चले जाइये, इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य, किसी भी दल का चले जाये। राम का नाम नहीं लेते हैं, चिल्ला-चिल्लाकर घंटे भर तक बोलते हैं, उनकी कूबड़ ठीक नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीमार रहते हैं। वहां पास में पानी है, 10 लाख की स्कीम से पानी आ जाये। यह आज की स्थिति नहीं, यह 50 साल से, 60 साल की उम्र के जो लोग हैं, वहां 40 साल के बाद में तो मर जाते हैं। जहां यह स्थिति हो रही है, बरसात नहीं है, फिर भी लोग फसली ऋण के लिये आवेदन पत्र देते हैं। फसली ऋण आवेदन पत्र को मंत्रीजी दर्ज नहीं किया जाता और बैंकों में दर्ज नहीं करने से दरवाजे पर जाकर आदमी को बैठा रहना पड़ता है। अपन जानते हैं, वास्तविकताएं हैं और बैठा रहना पड़ता है तो दलाल आते हैं और मंत्रीजी 15 प्रतिशत दलाली पर बैंकों में लोन मिल रहा है। को-ऑपरेटिव बैंक में भी हम ठीक-ठाक स्थिति नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का बहुत अहित हो रहा है। बैंक कुड़क करके टैक्टर्स को ले जा रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और सवाल यह नहीं जो फाइलें आती हैं, दर्ज नहीं होने के बाद में उन फाइलों को वापस लौटाकर जब दलाल के माध्यम से जाते हैं, मैं जूंडवा गांव में गया, वहां व्यक्तिशः मुझे बताया गया। कुछ अधिकारियों को मैंने निवेदन किया। उन्होंने कहा हमारा बैंकों में नियन्त्रण नहीं है तो जब बैंकों में हमारा नियन्त्रण नहीं है तो राजस्थान का किसान लुटेगा। नेशनलाइज बैंकों में नियन्त्रण नहीं है तो को-ऑपरेटिव बैंकों में कोई इस तरह का सिस्टम करें। यह सही है कि भारत सरकार ने, मनमोहन सिंहजी ने 7 प्रतिशत ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देने का आदेश दिया है, लेकिन कर्ज का जो पैसा है, उससे ज्यादा उनको दलाली में देना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड का सवाल है। जिन किसानों को क्रेडिट कार्ड मिला है, आप

जाकर बैंकों में पूछ लीजिये अमूमन 80 प्रतिशत, 85 प्रतिशत को पैसा देना पड़ रहा है। खैर, जो भी स्थितियां बनी हुई हैं। मैं तो आपके माध्यम से संक्षेप में एक ही निवेदन करना चाहूंगा हमारे इलाके में सहकारी बैंक भी है, यहां मंत्रीजी बैठे होंगे, सहकारी बैंक में 22 करोड़ का घोटाला टोंक में हुआ है और आज इससे ज्यादा हो रहा है। जिला परिषद की मीटिंग में हमने एम.डी.को बुलाया, एम.डी.नहीं आया और उसने आने की जरूरत इसलिये नहीं समझी कि सरकार का थोड़ा शिकंजा ढीला है, इसमें कोई दोराय नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं कृपा करके इन हालात को ठीक करें। हालात को ठीक करके किसानों को बचायें और किसान तभी बच पायेगा जब बैंकों में फाइलें रेस्टोर नहीं होंगी। बैंकों की मीटिंग भी नहीं हो रही है। 6-6 महीने से नेशनलाइज बैंकों की मीटिंग हो रही है। कलेक्टरस मीटिंग नहीं बुला रहे तो विधायक जाकर किससे कहे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। बहुत संक्षेप में बात कही है, इससे ज्यादा गंभीर स्थिति किसानों के साथ हो रही है, इसको ठीक करने के लिये सरकार को कोई न कोई ऐसी कार्यवाही करे जिससे सरकार दलालों के चंगुल से मुक्त हो और 15 प्रतिशत उनको दलाली नहीं देना पड़े। कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, आप जांच करवा लीजिये सदन के किसी भी सदस्य को, किसी भी अधिकारी के माध्यम से कमेटी बिठाकर कर दीजिये। मैं नाम लेना इसलिये उचित नहीं समझता कि इस पवित्र सदन में नाम लेकर मैं उदाहरण दूं। एक उदाहरण नहीं मैं आपको 10-20-50-100 उदाहरण दे सकता हूं। इसलिए, मैं अध्यक्षजी, आपसे अनुरोध करता हूं इसके बारे में कोई व्यवस्था की जाये। यही मुझे कहना है, धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सत्ता रूढ़ दल के माननीय सदस्य ने सहकारी विभाग पर भ्रष्टाचार का इतना गंभीर आरोप लगाया है। सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने लगाया है। ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: श्री विश्वनाथ मेघवाल। कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था पूरी शिरोधार्य है, पर सरकार का उत्तर आना चाहिये। आरोप लगाया है वरिष्ठ सदस्य ने। ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक वरिष्ठ सदस्य ने इतना गंभीर आरोप लगाया, सहकारी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आरोप नहीं लगाया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आरोप लगा है। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): आरोप नहीं, सलाह दी है सरकार को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उत्तर दिलाओ न साहब। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। श्री मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इतना वरिष्ठ सदस्य बोल जाये। पूरे सिस्टम पर आरोप लगा जाये, जवाब आना चाहिये साहब।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): यह पिछली बार उनको बिगाड़ दिया, उनको सुधारने की सलाह दी है। आपने पिछली बार बिगाड़ दिया। (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: आप दूसरे माननीय सदस्य को भी बोलने दीजिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): 15 प्रतिशत का सिस्टम आपका डवलप किया हुआ है, उसको ठीक करने के लिये कह रहे हैं यह।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजें। श्री मेघवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जिम्मेवारी आपकी है।

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में हुई 9 मौतें

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से पिछले पाँच-सात दिनों में करीब 9 मौतें हो गयी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, 5 जुलाई को खारावाली पंचायत में कुआ खोदते हुए श्रवण कुमार प्रजापत की एक दर्दनाक मौत हो गयी थी। 12 घण्टे बाद उसको बड़ी मुश्किल से निकाला। अध्यक्ष महोदय, 6 जुलाई को खरबारा पंचायत के भांडसर गांव में पानी की डिग्गी में लड़कियां पानी लेने के लिये गयी थी। अध्यक्ष महोदय, लड़की का पैर फिसला और पानी में डूब गयी। अध्यक्ष महोदय, दूसरी लड़की ने उसको निकालने का प्रयास किया, वह भी उसके अंदर डूब गयी। फिर तीसरी लड़की ने प्रयास किया, वह भी उसके अंदर डूब गयी। ऐसे करते करते करीब 5 लड़कियां और एक औरत 6 तारीख को भांडसर गांव में एक बड़े दर्दनाक घटनाक्रम में मृत्यु हो गयी। अध्यक्ष महोदय, इसी 10 तारीख को खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र के आर डी 542 पर एक सी एफ टी गांव में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां से डायरेक्ट जो मैन कैनाल है, उसमें भी पीने का पानी लेने के लिये जाते हैं, वहीं से पानी लेकर आते हैं, वहां पर पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहां भी यही घटना हुई। एक 15 साल की लड़की पानी लेने के लिये गयी, वह उसमें डूब गयी। दूसरी लड़की उसको बचाने के लिये गयी, वह भी उसमें डूब गयी। अध्यक्ष महोदय, ऐसे करते करते उसमें 4 लड़कियां डूब गयीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि पानी की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। सीधे नहर से पानी लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसमें दो लड़कियों को निकाल लिया गया,

लेकिन दो लड़कियों की वहां दर्दनाक मौत हो गयी। अध्यक्ष महोदय, खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की डिग्गी बनी हुई है, उनमें भी कोई सेफ्टी नहीं है। कोई सेफ्टी पाइंट उसका नहीं है। उनकी दीवारें नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, उनमें गंदगी भरी है, कुत्ते हड्डियां ले जाते हैं। वह पानी पीने लायक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, डिग्गियों की चारदीवारी नहीं है और डिग्गी में नीचे उतरने के लिये जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उसके पास भी कोई सुरक्षा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वहां रेलिंग होनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसी दर्दनाक मौत जहां पानी नहीं मिल रहा है, पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से जो यह मौतें हुई हैं, उसके लिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाये और उनके परिवार में एक एक आदमी को नौकरी दी जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी दर्दनाक घटना है। 5-7 दिन में 9 मौतें हुई हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए सरकार से मांग करता हूं कि उनको 5-5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाये और उनके परिवार में एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाये। अभी पाँच हजार दिये हैं और वह भी दो-तीन जगह नहीं दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, भांडसर गांव में सरकार की तरफ से अभी 5-5 हजार रुपये सहायता दी गयी है और 20 हजार का प्रावधान है फिर भी 5-5 हजार ही दिये हैं। मैं 5-5 लाख रुपये देने की सरकार से मांग करता हूं। इस संवेदनशील सरकार से मांग करता हूं। आप बतायें मुझे कि कितना पैसा सरकार देना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक मटोरिया।

Pcs/usc 13.07.2009 13.40 2a

चक राजासर, तहसील नोहर सामूहिक हत्याकाण्ड विषयक

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आपके समक्ष जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह कोई मामूली अपराध न होकर एक बहुत बड़ा सामूहिक हत्याकाण्ड है। सदन में गत दिनों से हत्याकाण्डों पर बड़ी चर्चा हो रही है उसी विषय में गत 21 जून को सुथार समाज के एक ही परिवार के चार सदस्य जिनमें से दो तो मात्र पाँच छः साल की बच्चियां थीं। अध्यक्ष महोदय, धारदार हथियारों से उनको मध्य रात्रि में नृशंस हत्यारों ने मौत के घाट उतार दिया साते हुए।

अध्यक्ष महोदय, यह परिवार कोई व्यापारी वर्ग का नहीं था, सर्विस लाइन से जुड़ा हुआ नहीं था और निहायत ही गरीब आदमी थी। वह डेली विजेज पर काम करके अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके बाद लगभग तीन महीने बात जाने

के उपरान्त पुलिस विभाग द्वारा ऐसी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गयी तब मजबूर होकर तीन तारीख को समस्त नोहर शहर ने, अध्यक्ष महोदय, चक राजासर की घटना का मैं यहां पर उल्लेख कर रहा हूं, वह नोहर शहर से मात्र एक किलोमीटर की दूरी पर है, नोहर एक बहुत बड़ा कस्बा है, समस्त शहर ने सभी वर्गों ने, व्यापारियों ने, सभी धर्म एवं जाति के लोगों ने बन्द का आह्वान किया। बन्द कामयाब हुआ। सारी गतिविधियां ठप्प हो गयीं। लोगों ने यह जताने के लिए बन्द किया था कि प्रशासन को यह बता दिया जाए कि इस हत्याकाण्ड के बाद उस क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। शहर के नजदीक एक छोटे से चक में यदि इतना बड़ा हत्याकाण्ड पुलिस की नाक के नीचे हो जाए तो शहर का आदमी कहां सुरक्षित है, शहर का आदमी कहां जायेगा। व्यापारी डर गया, आम आदमी डर गया क्योंकि सुथार समाज के जिस आदमी मैं उल्लेख कर रहा हूं, वह निहायत गरीब आदमी था और मरने वाली दो छोटी बच्चियां पाँच और छः साल की, उनके हत्याकाण्ड से लेकर अग्नि देने तक पूरे दिन मैं वहां पर था। वह दृश्य यदि कोई मानव देख ले तो उस दिल दहलाने वाले दृश्य में, दो चारपाई पर वो चारों प्राणी साये हुए थे। वो एक कमरे में जीवन यापन करते थे और मात्र चार सदस्य उस परिवार में जिनकी दो बच्चियां थीं। तीसरी बच्ची सौभाग्यवश अपने ननिहाल गयी हुई थी इसलिए वह बच गयी।

अध्यक्ष महोदय, हत्याकाण्ड के सिलसिले इन दिनों जिस प्रकार चल रहे हैं वह पिछले दिनों सदन में गूंजा था और अभी भी गूंजा। आदरणीय सदस्य सुन्दर लालजी ने अपनी बात रखी। उस समय माननीय गृह मंत्रीजी सदन में मौजूद थे उन्होंने लम्बी चौड़ी व्याख्या कर दी कि किस प्रकार कितनी टीमों गठित की गयीं, इन्टर स्टेट कार्यवाही हुई। सात जिलों के एस.पी. उसमें सम्मिलित हो गये। टावर की काल्स डिटेल्ड निकाली गयी। हमारे माननीय सदस्य उस बात से सहमत थे उस पर कार्यवाही हो रही है।

अभी कुछ समय पूर्व मंगल मुकेश हत्याकाण्ड पर चर्चा हुई। वह भी एक बहुत बड़ा चर्चित हत्याकाण्ड था। जयपुर शहर में हत्याकाण्ड हुआ अध्यक्ष महोदय। सभी ने उस पर अपनी बातें रखीं, हमारे माननीय सदस्यों ने भी उस पर अपने विचार रखे तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उस पर भी एक बार बताया कि चार टीम गठित हो चुकी हैं। उसमें भी इन्टर स्टेट कार्यवाही हो रही है। भयंकर रूप से पुलिस लगी हुई है। अध्यक्ष महोदय, हम तो नये सदस्य हैं, गांव से चुनकर आने वाले हैं। हमारे वाले मामले में क्या होगा? क्या हमें आप सुनिश्चित करेंगे? न तो यहां गृह मंत्रीजी मौजूद हैं और न यह मामला किसी और विधायक का है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज उस एरिये में धरना शुरू हो गया है। लगभग बीस तीस आदमी वर्तमान में धरने पर बैठे हुए हैं। इस मांग को लेकर बैठे हैं कि उनके क्षेत्र का विधायक सात

तारीख को विधान सभा शुरू होने के बाद वह उनकी आवाज उठायेगा। आठ दिन से मैंने उनको रोका हुआ था। आज मेरा नम्बर पर्ची के माध्यम से आया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और अन्त में अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आप स्पेशल केस मानते हुए इसमें भी चार नहीं, तीन नहीं तो दो टीम तो गठित हो जाए और कम से कम इन्टर स्टेट कार्यवाही हो। पुलिस सामूहिक ताकत लगाकर इस केस की छानबीन करे। उस परिवार में एकमात्र जो लड़की बची है वह सात साल की है, मानवीय दृष्टि से यदि उनको मुआवजा मिल जाए क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची है। मैं समझूंगा कि सरकार की इसमें बड़ाई होगी। अध्यक्ष महोदय, इन मांगों के सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इसमें आप हमें राहत प्रदान करें तो बड़ा अच्छा होगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 26.06.2009 को श्री मनीराम जाति खाती निवासी चक राजासर ने रिपोर्ट दी कि मेरा लड़का लालचन्द, उसकी पत्नी व दो पोतियां मकान के आँगन में सो रहे थे। सुबह आठ बजे पड़ोस के सुरेन्द्र ने लालचन्द को दूध लेने के लिए बुलाया तो उसे आँगन में चारपाई के नीचे खून ही खून नजर आया। चारों मृत अवस्था में चारपाई पर पड़े हुए थे। अभियोग संख्या 239/2009 के अन्तर्गत धारा 302 और 450 में दर्ज कर तफतीश प्रारम्भ कर दी गयी है। महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, बीकानेर एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और अभियुक्तों की पतारसी के लिए उप अधीक्षक, पुलिस, नोहर के नेतृत्व में दस सदस्यों की विशेष टीम गठित कर मुलजिम्ओं की पतारसी की जा रही है। घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड ले जाकर खोज दिखाये गये और एफ.एस.एल. की मोबाइल टीम को बुलाया जाकर फोटोग्राफ लिये गये, फुट प्रिन्ट उठाये गये। बरतनों के चांस प्रिन्ट मिलने की सम्भावना पर जब्त किया जाकर एफ. एस. एल. जयपुर से मिलान कराने हेतु भिजवाया गया। मौके के पास की तलाशी में आला ए जर्म दो कुल्हाडिया बरामद की गयी हैं। मौके पर की गयी पूछताछ से मृतक का श्री रामचन्द्र खाती निवासी चक राजासर से रुपयों के लेनदेन की जानकारी मिली है जिसके आधार पर संदिग्धों एवं पड़ोसियों से भी अनुसंधान किया जा रहा है। मृतक के दोस्तों और पिछले एक वर्ष में उसके द्वारा जहां-जहां कार्य किया गया उनसे भी तफतीश की गयी है। संदिग्ध लोगों की काल्स डिटेल निकलवाकर विश्लेषण किया जा रहा है। वैसे मृतक के परिवार का कोई भी कीमती सामान चोरी होना अभी तक नहीं पाया गया है।

मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने पुलिस की एक टीम गठित कर रखी है आई जी के नेतृत्व में, लेकिन वह कह रहे हैं कि टीम गठित की जाए तो डी एस पी, नोहर और एडीशनल एस पी, नोहर दोनों की अलग अलग, एक डी एस

पी, नोहर के और एक एडीशनल एस पी, नोहर के नेतृत्व में, दोनों की दो टीम गठित करके यथाशीघ्र मुलजिर्मों का पता लगाया जाएगा, तलाश की जाएगी ताकि माननीय सदस्य ने जो पीड़ा रखी है उसका समाधान हो सके।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने जो कार्यवाही बतायी, ऐसा नहीं है कि मैं सिरेय से खारिज क दूं और यह कह दूं कि कुछ भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से एडीशनल एस पी, नोहर का आप जो फरमा रहे हैं, वह एकचुअल पर एडीशनल एस पी हनुमानगढ़ जिले के हैं। हमारे एस पी चालीस दिनों की ट्रेनिंग पर बाहर गये हुए हैं, इसलिए उन्होंने उनका चार्ज सँभाला हुआ है। उनके नेतृत्व में वह कार्यवाही हो रही है। आई जी साहब भी वहां पर आये थे। मेरा निवेदन है कि एक एक्सपर्ट टीम चन्द दिनों के लिए अगर आप जयपुर से या कहीं और से लगा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। साथ ही साथ अगर उस बच्ची के लिए मुआवजे का आप प्रावधान करेंगे तो मैं निश्चित रूप से मानवीय दृष्टि से आपको धन्यवाद दूंगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस पी, हनुमानगढ़ बाहर ट्रेनिंग पर गए हुए थे और कल ही वापस लौट गये हैं इसलिए एस पी का चार्ज तो वापस एस पी के पास आ गया। हमारा विभाग निर्देश जारी कर रहा है कि एडीशनल एस पी के नेतृत्व में एक और टीम गठित कर दी जाएगी दोनों टीमों गठित होने के बाद निश्चित रूप से पता लगाया जाएगा। जहां तक मुआवजे का सवाल है, मुआवजे के लिए मैं चाहूंगा, नियमानुसार जो मुआवजा मिलता है वह दिया जा सकेगा।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के पांचवे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 जुलाई, 2009 को मध्याह्न पश्चात् 6.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 16 जुलाई, 2009 से 28 जुलाई, 2009 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार जाय :-

गुरुवार, दिनांक 16 जुलाई, 2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 से संबंधित अनुदान की मांगों पर
--------------------------------	---

शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2009	विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 18 जुलाई, 2009 रविवार, दिनांक 19 जुलाई, 2009	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 20 जुलाई, 2009 मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई, 2009 बुधवार, दिनांक 22 जुलाई, 2009 गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 25 जुलाई, 2009 रविवार, दिनांक 26 जुलाई, 2009	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 27 जुलाई, 2009	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 से संबंधित अनुदान की शेष मांगों मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 27 जुलाई, 2009 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।	
मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई, 2009	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2009 ; एवं 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2009 ; - पर विचार एवं पारण।

महेन्द्र/चौहान/1350/2b/13072009/1 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता हूँ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पांचवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट की गयी।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री गुलाब चंदजी कटारिया।

**समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापना
जन लेखा समिति, 2009-2010 के ग्यारह प्रतिवेदन**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2009-2010 के निम्नांकित 11 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूँ:-

1. जनलेखा समिति, 2007-08 के 202वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन ;
2. जनलेखा समिति, 2007-08 के 212वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन ;
3. जनलेखा समिति, 2007-08 के 243वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन ;
4. जनलेखा समिति, 2007-08 के 257वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन ;

5. जनलेखा समिति, 2007-08 के 215वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का पाँचवा प्रतिवेदन ;
 6. जनलेखा समिति, 2008-09 के 265वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का छठा प्रतिवेदन ;
 7. जनलेखा समिति, 2008-09 के 271वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का सातवां प्रतिवेदन ;
 8. जनलेखा समिति, 2004-05 के 65वें एवं 75वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का आठवां प्रतिवेदन ;
 9. जनलेखा समिति, 2006-07 के 190वें (बारहवीं विधान सभा) तथा जनलेखा समिति, 2007-08 के 255वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट राजस्व विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का नवां प्रतिवेदन ;
 10. जनलेखा समिति, 2007-08 के 258वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का दसवां प्रतिवेदन ; एवं
 11. जनलेखा समिति, 2007-08 के 222वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जनलेखा समिति, 2009-2010 का ग्यारहवां प्रतिवेदन ।
- श्री अध्यक्ष: श्री भगवान सहाय सैनी।

याचिका समिति, 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में याचिका समिति, 2009-2010 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ।

शासकीय वक्तव्य राज्य में पेयजल की स्थिति

श्री अध्यक्ष: जल संसाधन मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका, माननीय सदस्य, श्री देवी सिंह भाटी एवं विपक्ष के समस्त माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्थान की सबसे ज्वलंत समस्या पर मुझे वक्तव्य देने का मौका दिया है।

माननीय सदस्य, श्री देवी सिंह भाटी की तो इन्द्र देवता ने भी सुन ली, बीकानेर समेत पिछले दो-तीन दिन में राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बरसात हुई है। मैं आप सभी की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राजस्थान पर ईश्वर कृपा बनाये रखे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या पर माननीय सदस्यों व सदन की चिंता वाजिब है एवं जनता हम सभी की ओर देख रही है कि जल संकट की इस घड़ी में उनके प्रतिनिधि इस समस्या का क्या हल निकालते हैं।

मुझे यह कहते हुए कोई संदेह नहीं है कि पेयजल की समस्या राजस्थान में साल दर साल, दिन ब दिन गम्भीर होती जा रही है। माननीय सदस्य समस्त आंकड़ों से अवगत हैं कि पिछले 62 वर्षों में प्रत्येक सरकार में पेयजल हेतु खूब योजनाएं बनीं व लागू की गयीं। यदि पिछली सरकार के जलदाय मंत्री के पिछले पाँच वर्षों के विधान सभा में पेयजल पर हुई मांगों पर बहस में किये गये वक्तव्य को ध्यान से पढ़ें तो यह तो आश्चर्य होने लगता है कि इतना पैसा खर्च करने, हजार छोटी-बड़ी योजनाओं की स्वीकृति, हजारों ट्यूबवैल व एक लाख 33 हैण्डपम्प लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धियों के दावे के बावजूद पिछले 6 महीने में ऐसी क्या परिस्थितियां बन गयीं कि आज इतना बड़ा जल संकट हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि उनके भाषणों को पढ़ें और मनन करें कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इतने बड़ा आधारभूत ढांचा करने के बावजूद भी स्थिति क्यों बनी? इस सदन में, सदन के बाहर हैण्डपम्प और ट्यूबवैल की स्वीकृति हुई, जनता की गाढ़ी कमाई और धन खर्च हुआ लेकिन नतीजा हम सब लोगों के सामने है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व सरकार के मंत्री का भी आभारी हूँ, उन्होंने इस सदन में अपने ज्ञानवर्धक भाषणों से राज्य में पेयजल की समस्या के कारणों पर पिछले पाँच वर्षों

में प्रत्येक सत्र में विस्तार से प्रकाश डाला व सदन को बारबार अवगत कराया कि भू-जल का स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है। गिरते भू-जल से पानी की गुणवत्ता की समस्या बढ़ी है। दुनिया में दो ही चीज फैक्ट्री में नहीं बनती, पानी और खून। I am quoting. प्रकृति अगर बरसात कर देगी तो पानी आयेगा। पानी के प्रबंध और उसमें जन भागिता की आवश्यकता है ताकि लम्बे समय तक उपयोग राजस्थान की जनता के लिए हो सके और गर्मियों में पेयजल की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति और जनसंख्या की निरन्तर बढ़ोतरी के चलते राजस्थान में पानी की वास्तव में स्केरसिटी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के पानी की स्थिति के अधिक आंकड़े प्रस्तुत न कर सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्तमान जल संकट में वही कारण हैं जो पूर्व मंत्री सदन में बारबार दोहराते रहे हैं। स्थिति दिन पर दिन चिंता जनक होती जा रही है। वर्ष 1984 में राज्य के 12 खण्ड डार्क जोन में थे जिनकी संख्या 2004 में बढ़ कर 186 हो गयी और 2008 में यह संख्या 195 हो गयी।

अध्यक्ष महोदय, हम भू-जल के उपलब्ध भण्डारों का आंकलन करवा रहे हैं। प्राथमिकता के तौर पर जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार हमारे बहुत से भण्डार अगले दस वर्ष में ही समाप्त होने की स्टेज पर पहुंच जायेंगे। मौसम तंत्र में जिस तरह से बदलाव हो रहा है उससे हमारी चिंता और बढ़नी स्वाभाविक है। पिछले 15 वर्षों से राज्य में कुल वर्षा में कमी और वर्षा की पद्धति में कमी आयी है। एक दिन में पर्याप्त वर्षा के अभाव में बांधों, तालाबों में पानी की आवक नहीं होती जिससे सूखने वाले तालाबों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, अन्तरराष्ट्रीय मापदण्ड के अनुसार प्रति व्यक्ति दो हजार घन मीटर जल प्रति वर्ष उपलब्ध होना चाहिए, उसकी तुलना में राजस्थान में 660 घन मीटर जल ही उपलब्ध है। पूर्णतः कमी वाला प्रदेश बन गया है। विकास की दृष्टि से अति चिंता जनक स्थिति है और राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों का 76.88 उपयोग कर चुके हैं व अन्तरराज्यीय समझौतों के अन्तर्गत उपलब्ध जल का 98.5 उपयोग हम कर चुके हैं। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान की जल उपलब्धता की स्थिति नाजुक मौड़ पर पहुंच गयी है। उपलब्ध जल का 83 प्रतिशत उपयोग कृषि हेतु होता है, 11 प्रतिशत पेयजल हेतु, 6 प्रतिशत औद्योगिक व अन्य उपयोग हेतु किया जा रहा है। जल राजस्थान के 70 प्रतिशत लोगों की आजीविका का आधार रहा है जो अपना जीवन यापन कृषि और पशुपालन पर कर रहे हैं।

दूसरी ओर, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में 91 प्रतिशत व शहरी क्षेत्र में 85 प्रतिशत पेयजल योजनाएं भू-जल पर आधारित हैं। यही कारण है कि गर्मी के महिनों में सामान्य वर्षा वाले वर्ष में भी अब हजारों गांव और ढाणियां व अनेक शहरों में

पेयजल की व्यवस्था परिवहन से करनी पड़ती है। जिस वर्ष वर्षा कम हो उसकी स्थिति और विकट हो जाती है "magnitude of the situation" है यह।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त राज्य में एक लाख 22 हजार 250 गांवों व ढाणियों में से 34183 में पेयजल की गुणवत्ता की समस्या है जो गिरते हुए भू-जल की ओर बढ़ रही है। राजस्थान की आबादी 18 लाख की बढ़ोतरी हो रही है, पशुधन की संख्या भी निरन्तर बढ़ रही है। जीवन शैली के बदलाव में पानी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गहराई से पानी निकालने की नयी तकनीकें आने से कृषि के क्षेत्र में पानी का अंधाधुंध तरीके से उपयोग हो रहा है व इस मांग का कोई अंत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस बढ़ते औद्योगीकरण व शहरीकरण से भी मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह एक ओर जल की निरन्तर घटती उपलब्धता और दूसरी ओर बढ़ती मांग, जो एक गम्भीर असंतुलन की स्थिति बनती जा रही है। वर्तमान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आवश्यकता के अनुसार क्रमशः 3383 व 2778 मिलियन लीटर प्रति दिन आंकी गयी है जिसके विरुद्ध उपलब्ध क्रमशः 1310, 1862 मिलियन लीटर ही प्रति दिन है। यह कमी आबादी की बढ़ोतरी के साथ-साथ बढ़ती जायेगी और 2040 तक यह कमी 7484 मिलियन लीटर प्रति दिन का अनुमान लगाया जा रहा है। गुणवत्ता, मापदण्ड के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति और पेयजल स्रोतों की विश्वसनीयता की भी समस्या के पूर्ण समाधान हेतु वर्तमान में स्वीकृत 21 हजार करोड़ की योजनाओं के अतिरिक्त 29 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। लगभग 50 हजार करोड़ रुपये की इस मांग के विरुद्ध अगले पाँच साल में राज्य व केन्द्र से सहायता की वर्तमान दर को रखना है तो दस हजार करोड़ रुपये उपलब्ध होने की संभावना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पृष्ठभूमि में चालू वर्ष में राज्य की मानसून की देरी से समस्या और भी विकट हो गयी। वर्ष 2008 में इसी वर्ष के दौरान 28 जिलों में सामान्य वर्षा हो चुकी थी।

Ars/usc/1400/2c/13072009/1

जबकि इस वर्ष सिर्फ चौदह जिलों में सामान्य वर्षा हुई और 19 जिले अभी तक वर्षा की कमी वाले हैं। उधर नहरी क्षेत्र में इस वर्ष पोंग और भाखड़ा बाँध का जल स्तर पिछले चौदह वर्षों के न्यूनतम जल स्तर पर है। पोंग में इस समय छब्बीस हजार क्यूसेक्स पानी की आवक के विरुद्ध 2200 क्यूसेक्स पानी ही आ रहा है जिसके कारण राज्यों के जल के हिस्से में भारी कटौती की गयी है। इंदिरा गांधी नहर में तो 23.6.09 से पेयजल हेतु पानी उपलब्ध हो रहा है। उधर पंजाब भी राजस्थान के हिस्से का पूरा

पानी रिलीज नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान अकेला नहीं, समस्त उत्तरी भारत पेयजल की गम्भीर समस्या से जूझ रहा है। पड़ोसी राज्य में पेयजल को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं, हम सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ी। मैं राजस्थान की जनता को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस संकट की घड़ी में धैर्य बनाये रखा! अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों में राज्य की पेयजल आपूर्ति को यथा संभव बनाये रखने का प्रयास किया है। सरकार ने राजस्थान के 222 कस्बों, एक लाख बाईस हजार दौ सौ पचास गांव, ढाणियों के एक लाख तैंतीस करोड़ घरों में हमने पानी पहुंचाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें धन की कमी नहीं आने दी। (व्यवधान) I will let you know अभी लेंगे, पानी के लिए कमी नहीं आने देंगे. I will later on tell you. विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूँ जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया।

अध्यक्ष महोदय, नई सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही पेयजल की समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिला स्तर पर स्थिति का आंकलन कर आकस्मिक योजना पर कार्य आरम्भ किया। हैण्ड पम्प अभियान 1 दिसम्बर, 2008 से आरम्भ किया। आकस्मिक योजना हेतु शुरु में 72 करोड़ रुपया राज्य योजना मद से व 12 अभावग्रस्त जिलों के पेयजल परिवहन हेतु लगभग 37 करोड़ रुपया आपदा प्रबन्ध और सहायता विभाग से स्वीकृत कर कार्य आरम्भ कराया गया। इन कार्यों की प्रगति निम्नलिखित है।

वर्तमान में 71 शहरों, कस्बों और 10768 गांव और ढाणियों में टैंकर से जल की आपूर्ति की जा रही है। दो शहर भीलवाड़ा और पाली में रेल द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस आकस्मिक योजना के तहत स्वीकृत 444 ट्यूबवैल में अब तक 414 ट्यूबवैल लगाये गये हैं। इसके अतिरिक्त राज्य योजनान्तर्गत 476 ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये थे उनमें से 190 पर कार्य किया जा चुका है।

आकस्मिक योजना के तहत 2742 स्वीकृत हैण्डपम्प के विरुद्ध 2335 हैण्डपम्प लगाये जा चुके हैं। राज्य योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी से अब तक 6359 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं।

कुल विद्यमान 350497 हैण्ड पम्पों में से 1,57,629 हैण्ड पम्प खराब चिह्नित किये गये थे जिनमें से 1,50,824 की मरम्मत कराई जा चुकी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): +++ है बिल्कुल (व्यवधान) खराब पड़े हैं पूरे।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): पहले सुन तो लीजिए।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष: पहले सुन तो लीजिए। (व्यवधान) यह माननीय सदस्य ने जो + + + शब्द कहा है उसको एक्सपंज कर दीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह तो प्रगति प्रतिवेदन में आ जायेगा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप सुनिये, देखिये आप ही के लिए आऊंगा मैं बाद में।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री जी इधर।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): इस कार्य में वर्तमान में 531 किराये के वाहन से 2534 कान्ट्रेक्ट लेबर कार्यरत है।

ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनाओं के सुधार हेतु विशेष कार्य प्रारम्भ किया गया। इनमें से 1043 योजनाओं में सेवा स्तर पचास प्रतिशत से कम था। अब तक 604 योजनाओं में सेवा स्तर से सुधार किया गया है। शेष पर कार्य प्रगति पर है।

पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के हेतु विभागीय प्रयोगशालाओं व चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा समस्त जिलों में नमूने लेकर परीक्षण किया जा रहा है। आकस्मिक योजना की क्रियान्विति में कोई व्यवधान नहीं आए इस हेतु आपातकालीन स्थिति में पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु प्रत्येक जिला कलैक्टर को तीस लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है एवं पन्द्रह लाख तक की स्पॉट क्रय की शक्तियां भी जिला स्तर पर दी गई हैं।

आकस्मिक योजना की प्रभावी क्रियान्विति व मानीटरिंग हेतु प्रत्येक जिले में सचिव स्तर के अधिकारी को जिला प्रभारी नियुक्त किया गया है। जिला स्तर व उप खण्ड स्तर पर जिला कलैक्टर व उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में समितियां गठित हैं जो प्रति सप्ताह कार्य की समीक्षा करती हैं। प्रत्येक सम्भाग हेतु मुख्य अभियन्ता को प्रभारी बनाया गया है। मुख्यालय व जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष खोले गये हैं जो रात दिन कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से लेकर प्रत्येक स्तर पर पेयजल की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जा रही है।

वर्तमान में स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। नहरी क्षेत्रों में अचानक पानी की कटौती के दौरान भी पेयजल व्यवस्था को बनाये रखा गया है। कोलायत व गजनेर लिफ्ट योजनाओं में वर्ष 2008 में माह मई में क्रमशः 527 व 1230 क्यूसेक्स, जून में 464 व 784 क्यूसेक्स की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2009 में यह आपूर्ति मई में 2866 व 2451 व जून में 1637 व 1425 क्यूसेक्स रही जो पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि वर्ष 2009 का वर्ष मानसून

*** शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

कमजोरी के साथ प्रारम्भ हुआ है। 19 जिलों में वर्षा सामान्य से कम है। पौंग व भाखड़ा बांधों में पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा और भविष्य में भी पानी की उपलब्धता वर्षा पर निर्भर करेगी। यह परिस्थितियां हमारे सबके लिए चिन्ता का विषय है। राज्य सरकार ने दिनांक 8.7.2009 को ही समस्त जिला कलेक्टर को पत्र भेजकर आकस्मिक योजना तैयार करने के निर्देश दे दिये हैं। मुझे आशा है कि अगले एक सप्ताह में फील्ड की स्थिति का पूर्ण आंकलन हो जाएगा व आवश्यकतानुसार आकस्मिक योजना स्वीकृत कर दी जाएगी। चालू बजट में इस हेतु 96.74 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है जिसमें आवश्यकतानुसार बढ़ोतरी कर दी जाएगी।

इन्दिरा गांधी, गंग व भाखड़ा नहर में पानी कम आने की स्थिति में पेयजल हेतु नहरों व इनकी शाखाओं में पानी के भण्डारण की योजना तैयार की गई है जिसको तकनीकी रूप से अंतिम रूप दिया जा रहा है। पंजाब सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर पूरा पानी रिलीज करवाने के निरन्तर प्रयास किये गये हैं जिसमें कुछ सफलता भी मिली है।

आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार निजी कुओं व ट्यूबवैलों को भी किराये पर लेगी। बांधों व तालाबों में उपलब्ध पानी को पेयजल हेतु प्राथमिकता पर आरक्षित किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो भू जल के दोहन को भी नियंत्रित करने हेतु आवश्यकत कदम उठाये जाएंगे। शहरों में पाइप लाइनों में पानी की चालीस से साठ प्रतिशत तक लीकेज होती है। इसके कम करने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है जिसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कनेक्शनों से वैध कनेक्शन की तुलना में चार गुना अधिक पानी लिया जाता है व दूसरी ओर राजस्व में भी रिसाव हाता है। इसमें टेल पर स्थित कालोनियों व मोहल्लों में पानी की समस्या रहती है। इन अवैध कनेक्शनों की राज्य सरकार की नीति अनुसार एक माह की अवधि में नियमित नहीं कराये जाने की स्थिति में काटा जाएगा व शास्ति लगाई जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाये रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय सदस्यगण के सुझावों अनुसार भी अतिरिक्त हैण्ड पम्प व ट्यूबवैल लगाने की आवश्यकता होगी तो उनके सुझाव अनुसार स्थापित किये जायेंगे।

भू-जल की नवीनतम स्थिति का भी आंकलन कराया जा रहा है जिसके आधार पर संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित कर कार्यवाही की जाएगी। योजना के अन्तर्गत कार्यों में भी गति लाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक कार्य पूरे हो सकें। हैण्ड पम्प से कवर्ड जिन ग्रामों में जल स्तर साठ मीटर से नीचे चला गया है, में सिंगल फेस मोटर आधारित

पम्प व टैंक योजना लागू की जाएगी। केन्द्रीय भू जल विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से खोदे हुए लगभग 100, 150 गहरे ट्यूबवैल उपलब्ध हैं इन्हें शीघ्र प्राप्त कर चालू किया जाएगा। कनिष्ठ अभियन्ताओं के पिछले कई वर्षों से चले आ रहे 248 रिक्त पद भी इस माह के अन्त तक भर दिये जायेंगे।

vns/usc/14.10/13.7.2009/2d/1/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

शहरों में पेयजल की आपूर्ति और बढ़ती मांग के चलते जल वितरण की असामान्यता के कारण बड़ी चुनौती है। टेल पर स्थित बस्ती और मौहल्लों में पानी बहुत कम पहुंचता है क्योंकि ऊपर के लोग मापदंड से कहीं अधिक पानी का उपयोग कर रहे हैं इन परिस्थितियों के चलते किसी भी योजना का सुचारु चलाना संभव नहीं हो सकता। महात्मा गांधीजी ने कहा था कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो संसाधन हैं लेकिन लालच की पूर्ति नहीं होनी। राष्ट्रपिता की यह सोच अब हमारा मार्गदर्शक बननी चाहिये।

इसी सन्दर्भ में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी का कथन भी मैं सदन में उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा जो व्यक्ति पानी की समस्या का समाधान कर सकता है निश्चित ही वह दो नोबल...

श्री अध्यक्ष: गांधीवादी समाजवाद में तो आप भी विश्वास करते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तो वह गांधीजी के बारे में तो..(व्यवधान) दिखा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखें मंत्रीजी।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): जो व्यक्ति पानी की समस्या का समाधान कर सकता है, उसको निश्चित ही दो नोबल पुरस्कार मिलने चाहिये। एक वन फोर पीस और वन फोर वाटर मैनेजमेंट..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसमें तो फिर आपका ही नम्बर आयेगा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपका, आपकी पार्टी वालों का।

श्री अध्यक्ष: माननीय, वह तो आसन तय करेगा।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त समस्त कदम अल्पकालीन ही हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु हमें सबको मिलकर विचार करना होगा। मैं मानता हूँ कि जल के अन्दर राजनीति नहीं होनी चाहिये। हम विपक्ष का भी सहयोग लेना चाहेंगे। विपक्ष में बैठे माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि राजस्थान सरकार ने जल संसाधन क्षेत्र में सुधार हेतु वर्ष 2006 में यूरोपियन संघ

की सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता किया था व इसके तहत 450 करोड़ रुपये का अनुदान जल अभियान, जल संग्रहण, जल प्रबंधन में जनभागीता इत्यादि गतिविधियों हेतु मिलना था। इस समझौते के अनुसार राज्य में संशोधित जल नीति, जल दरों में बढ़ोतरी व भू-जल के नियंत्रण हेतु कानून, कृषि हेतु बिजली दरों को युक्तिसंगत बनाने के नीतिगत बिंदुओं पर सरकार को निर्णय लेना था। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार इन बिंदुओं पर निर्णय लेने का साहस नहीं दिखा सकी। अगस्त, 2008 से यूरोपियन कमीशन ने सहायता बंद कर रखी है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण में ही जल नीति का उल्लेख कर दिया है। हम सब जानते हैं पैसा खर्च करके भी पानी पैदा नहीं कर सकते। केवल ट्यूबवेल, हैंड पम्प की मांग रखने और लगाने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। जल सम्बन्धी समस्त योजनाओं में जनभागीता सुनिश्चित करनी होगी। हमने वर्ष 2002 में इस सम्बन्ध में कानून बनाया जो अभी तक प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ है। पेयजल वितरण में भी जनता को भागीदार बनाना होगा। इस सम्बन्ध में हमारे प्राचीन इतिहास सुनहरी है जब पानी की व्यवस्था स्वयं समुदाय करता था। राजस्थान देश के सामने इसके कुओं, बावडियों, टांकों, पोखरों, नाडियों पर आधारित पेयजल के लिये एक उदाहरण था।

भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर भी हमें योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना होगा। इस हेतु मास्टर प्लान तैयार कर कार्य आरम्भ कर दिया है। सतही व भू-जल के आंकलन हेतु बेसिनवार योजना तैयार करने का कार्य भी आरम्भ कर दिया है। शहर, कस्बों और गांवों में पानी की प्रत्येक बूंद को हार्वेस्ट कर उपयोग में लाना होगा। सीवरेज और औद्योगिक पानी के पुनर्चक्रीकरण की योजनाएं लागू करनी होगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-2007 में 400 करोड़ रुपये के लगभग 10 लाख कुओं को रिचार्ज करने हेतु उपलब्ध कराये थे। पिछले 3 वर्षों में एक पैसा खर्च नहीं हुआ। अब माह फरवरी, 2009 से इस योजना का कार्य आरम्भ हो गया है व लगभग दो लाख प्रार्थना पत्र तैयार कर इस कार्य को आरम्भ किया जायेगा।

मैं सदन से अनुरोध करना चाहूंगा कि समस्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करे, माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम भविष्य की दिशा तय कर सकें।

प्रारम्भिक मानसून, इंदिरा गांधी, गंग, भाखड़ा नहरों की स्थिति के सम्बन्ध में। प्रारम्भिक मानसून उत्तरी भारत में प्रायः सभी स्थानों पर कम रहा है। पौंग व भाखड़ा बांधों में जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षा से कहीं कम वर्षा होने से और बर्फ न पिघलने से प्राप्त होने वाले पानी में कमी से दोनों बांधों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसको ध्यान में रखते हुए भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने दिनांक 21/6/2009 से राज्य के हिस्से के पानी में भारी कटौती कर दी जिससे विशेष तौर पर इंदिरा गांधी नहर में

सिंचाई के पेयजल की भयंकर समस्या पैदा हो गयी। वर्तमान में पौंग व भाखड़ा बाँध में जल स्तर पिछले 14 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर है। दिनांक 9/7/2009 को भाखड़ा डेम में इस समय आने वाले पानी की मात्रा 45,869 क्यूसेक्स के विरुद्ध 33215 क्यूसेक्स पानी आ रहा है व पौंग में 26,615 क्यूसेक्स के विरुद्ध 2772 क्यूसेक्स पानी ही आ रहा है। यदि अगले दो-तीन दिनों में भारी वर्षा नहीं हुई तो पानी की अधिक कटौती संभव है। इन परिस्थितियों में पेयजल हेतु पानी ही मिल सकेगा।

दूसरी ओर पंजाब द्वारा हमारे निर्धारित हिस्से का पानी हरिके व रणजीत सागर डैम में नहीं छोड़ा रहा। वर्तमान में हमारे हिस्से 7918 क्यूसेक्स के विरुद्ध 5259 क्यूसेक्स पानी उपलब्ध हो रहा है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जी के स्तर पर इस मामले को पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रधान मंत्रीजी व केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री तक प्रभावी ढंग से उठाया जिससे जून में आपूर्ति में कुछ सुधार आया है। अब भी हम पूरा पानी प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं लेकिन पंजाब पूरा पानी नहीं दे रहा है।

राज्य सरकार लगातार पंजाब से इस सम्बन्ध में सम्पर्क में है और पूरा पानी रिलीज करने हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। रणजीत सागर बाध व हरीके बाँध पर पंजाब का नियंत्रण होने के कारण भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड भी प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थ है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को भी समय-समय पर राज्य सरकार ने पत्र लिखे हैं व इन हैडवर्कस का नियंत्रण बी.वी.एम.बी. को सौंपने हेतु याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।

अब राज्य सरकार के पास एक ही विकल्प है कि पंजाब द्वारा कम पानी देने को लेकर याचिका दायर की जाए। लेकिन पुराना अनुभव यह रहा है कि न्यायालय के निर्णय में बहुत देरी होती है और इससे अन्तरराज्यीय रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है। इन परिस्थितियों में आपसी बातचीत से ही इस मामले का हल निकालने का भरसक प्रयास राज्य सरकार निरन्तर कर रही है।

जब से पानी में कटौती हुई है राज्य सरकार ने जल वितरण परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों व जन प्रतिनिधियों से समय-समय पर विचार विमर्श किया है व उन्हें स्थिति से अवगत कराया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः सदन का आभारी हूँ कि मुझे वक्तव्य पढ़ने का मौका दिया और मैं आशा करता हूँ कि सदन से इस समस्या के समाधान हेतु बहुमूल्य सुझाव आयेंगे और सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वस्त करता हूँ कि जलदाय एवं सिंचाई विभाग पेयजल व सिंचाई संचालन में कोई ढील या कमी नहीं आने देगा। इन दोनों विभागों ने पूर्व में भी समस्याओं की नजाकत के मद्देनजर अच्छा कार्य किया है एवं भविष्य में भी

हम इस कार्य को और बेहतर बनार्येंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: बोल रहे हैं जिन्होंने इस प्रश्न को..

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो हम आसन के आभारी हैं कि ऐसे पेयजल के संकट के संवेदनशील विषय के ऊपर आपने सब सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधि पी एच ई डी मिनिस्टर को वक्तव्य देने के लिये अनुरोध किया और आज हमें उत्तर मिला।

यह भी सही है संयोग है अध्यक्ष महोदय, कि यहां ऐसे संकट के ऊपर ऐसी गंभीरता से विषय उठाया और भावना को धरने के रूप में आए और इस बात को मालिक ने भी सुना और वहां एक राहत के छींटे जरूरत इस राजस्थान में पड़े हैं। बीकानेर में भी खूब बरसात हुई। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर अन्य स्थानों पर...

श्री अध्यक्ष: जहां चाह वहां राह।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मेरी सबसे बड़ी चिन्ता थी राज्य सरकार की ओर से प्रशासन को कोई सचेत होकर तैयारी करने के लिये संकेत नहीं दिये गये। अकाल की छाया पड़ चुकी थी उसके बावजूद भी चिन्ता नहीं थी इसलिये सबसे ज्यादा हम चिंतित थे और इस बात का नोटिस लेना चाहिये राज्य सरकार को। इतना बड़ा लवाजमा है पी एच ई डी का और उसके बावजूद भी संकट को देखते हुए तैयारी नहीं। पाकिस्तान से, चीन से लड़ाई नहीं हो लेकिन हम तैयारी तो अपनी करके रखें। यह सबसे बड़ा चिन्ता का विषय था।

श्याम/चौहान 13.07.2009 14.20 2e

मैं आभारी हूँ कि इस विषय को उठाने के बाद मैं मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने नोटिस लिया, मंत्री जी ने हमें पर्सनली आश्वस्त किया कि इसकी अब पूरी तैयारी करेंगे। कल मुख्यमंत्री जी ने सब अधिकारियों को बुलाकर के इस बारे में चर्चा की और निर्देश भी दिये, यह बहुत अच्छा संकेत है और हम थोड़े आशान्वित हुए हैं कि सरकार अब इसके लिए चिन्ता कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बीकानेर जिले की बात करूंगा, जैसा आपने कहा हमारे बांधों में पानी की आवक बहुत कम है, पानी का संकट है लेकिन रोटी एक हो और खाने वाले चार हों तो उसको हम बांटकर ले सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा संकट है कि नहरों का जो रेगुलेशन है उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। जिसने चाहा पानी अधिक

चला लिया, जिस नहर की बारी नहीं है उसको चला दिया और जो रेगुलेशन तय आपने किया था उसकी कहीं पालना नहीं होती। यह विषय कई बार उठ चुका है लेकिन मैं पिछले दस वर्षों से देख रहा हूँ कि इसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है, मनमर्जी चल रही है, जितना आप किसानों को या अन्य को छूट देंगे तो वह उतना लाभ इसका उठाएँगे। लेकिन संकट तब खड़ा होता है जब टेल पर बैठा हुआ जो किसान है, जिनकी डिगिंगियां बनी हुई हैं चकों के अंदर वहां तक पानी नहीं पहुंचता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपको अब कम मात्रा में पानी मिल रहा है उसके लिए पूरी तैयारी करे जहां भी आपको पहुंचाना है, मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि जब तक आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग नहीं लेंगे आप टेल पर पानी नहीं पहुंचा पायेंगे। यह मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ क्योंकि किसान की एक अलग इच्छा होती है, उसके खेत में फसल होती है तो वह फसल को नहीं जलने देगा इसलिए वह मनमानी करेगा, वह अपनी फसल में पानी लगायेगा तो उधर पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जायेगी, इसलिए आप पुलिस और प्रशासन का भी इसमें सहयोग लें। कई जगह स्थिति ऐसी है, माननीय वीरेन्द्र जी इस बात पर एतराज नहीं करें, लेकिन यह सही है कि हमने इस रेगुलेशन में पीएचईडी की जो योजनाएं हैं उनको भी शामिल कर रखा है। उसके ऊपर आश्रिम हैं हम, लेकिन इस पेयजल के नाम पर यह नहरें बराबर बारह महीने चलती हैं। हम कहते हैं कि रेगुलेशन है जितना शेयर तय कर दिया उतना उनको मिलना चाहिए, टेल पर पानी पहुंचे, बीकानेर में पानी पहुंचे, लेकिन कंवरसेन लिफ्ट के अंदर भी बराबर इसी प्रकार से पानी चलता रहता है, जो न तो पूरा किसान को मिलता है और जो भी वहां मेन कैनाल के पास में हुए उनके ही मोगे चलते हैं और उसके अंदर यह भेदभाव रहता है और टेलों पर पानी नहीं पहुंचता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी आपकी माइनर हैं जिनसे पीएचईडी की स्कीम्स जुड़ी हुई हैं, लेकिन जब नहर में पानी चलता है आपका नियंत्रण नहीं रहता है और लोग उसमें मनमानी करते हैं। आप इस बात को दिखवायें, आप यह प्रशासन की सख्ती नहीं लेंगे तब तक यह पानी टेल तक नहीं पहुंचेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा सबसे बड़ा संकट यह है कि पानी की मात्रा हमें कम मिल रही है और हरियाणा क्षेत्र से जब यह इंदिरा गांधी नहर निकलती है तो उसके अंदर कल-कारखानों का जो केमिकल है वह छोड़ा जाता है, उसमें सीवरेज और गंदे नाले जोड़े हुए हैं, उससे नहर के अंदर जो शुद्ध पानी है उसकी आवक कम होगी वह वह मात्रा बढ़ जायेगी तो आज के दिन भी जब वह नहरों का पानी जमीन पर गिरता है तो वह जमीन काली हो जाती है, मैं आगाह कर रहा हूँ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी यहां नहीं बिराज रहे हैं, कि इसमें पीलिया रोग हनुमानगढ़ से लेकर के ठेठ जैसलमेर, बाड़मेर तक

फैलेगा, इसलिए आप यह भी थोड़ा ध्यान रखें कि पानी को आप कहीं भी हैल्ड अप करायें, उसके बाद में इस अनुपात में चलायें कि उसमें वह कम से कम मार करे, अशुद्धियां जो उसके साथ में आती हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा संकट है कि हमें पूरा पानी नहीं मिलता है और गंदा पानी हमें मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा कि जहां नहरी क्षेत्र है, जहां पर सीपेज से जल स्तर ऊपर आ गया है वहां पर आपको 20 फीट, 25 फीट और 40 फीट पर मीठा पानी, शुद्ध पानी मिल रहा है, वहां कम से कम आप हैंड पंप कंटीनर्जेंसी में शामिल करते हुए विशेष प्रोग्राम चलायें और आपने यह उदाहरण देखा है, प्रमाण है जहां-जहां हैंड पंप आपके लग गये, इस प्रकार के पीएचईडी ने बोर वैल्स भी वहां पर लगाये हैं, वह शुद्ध पानी चाहे वह एक किलोमीटर से ग्रामीण लाता है, अपने पशुओं को दो किलोमीटर से लाकर के पानी पिला लेता है। यह यदि आप व्यवस्था कर देंगे तो इस संकट से थोड़ा हम निकल सकेंगे। इसके लिए आप अलग से वित्तीय व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, पानी के साथ में बिजली का संकट हो गया है, अभी जो भी हाइडल हैं, चाहे वह हिमाचल में हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे पंजाब में हैं, वहां से हमें बिजली कम मात्रा में मिल रही है, उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा है। बस में थोड़े से सुझाव देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूंगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आप ऐसी बड़ी योजनाओं पर पूरे राजस्थान में ऐसे जनरेटर सैट्स रखवायें, उसके लिए खरीद आपको करनी पड़ेगी, बिजली आपको नहीं मिलेगी, आज के दिन नहीं मिल रही है, आपने स्वयं ने अपने वक्तव्य में कहा कि बिजली की उत्पादकता कम है, बाँध खाली हैं इसलिए आप अभी से तैयारी कर लें, थोड़ा आगाह भी कर दें, जब यह बड़ी खरीद होती है उसमें भारी कबाड़े भी होते हैं तो आप एक ऐसी उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर के स्वयं इसकी सारी खरी करें, एक दफे आप भी यह मसला उठा चुके हैं तो जनरेटर सैट्स जब तक आपके नहीं होंगे तो आप इसका सामना नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां भी आप कट करते हैं, बिजली की कमी है, कटौती होती है, कटौती उस पूरे क्षेत्र में लागू होती है और उससे पीएचईडी की स्कीम्स प्रभावित हो जाती है। इसके लिए मेरा अनुरोध है कि आप इसका एक अलग से प्रोग्राम बनायें, आने वाले समय में धीरे-धीरे ही सही पीएचईडी की लाइनें आप अलग रखें जिससे हमारी पीएचईडी की स्कीम्स को पूरी बिजली की सप्लाई मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, एक सबसे बड़ा संकट यह है कि जैसा अभी बताया कि मौसम ने भी अब साथ देना छोड़ दिया है, बरसात कम है, लेकिन जो भी बरसात आती है या नहीं आती है उसके पहले जबरदस्त तूफान आता है और ऐसी आंधियों में आपको रिपोर्ट भी मिली होगी, एक साथ 50-50, 100-100 पोल धराशायी हो जाते हैं, कुछ तो मेटेरियल

ठीक नहीं है, क्वालिटी ठीक नहीं है, उसके बाद में वह सीमेंट पोल ऐसे हैं, इसमें मेरा सुझाव यह है कि यही स्थिति गुजरात में है, वहां भी बार-बार जबरदस्त तूफान आते हैं तो वहां पोल का जो डिजाइन है, आप विद्युत विभाग को यह सुझाव दीजिये कि वह जो सीमेंट के पोल हैं उसमें आप होल्स, छेद रखे जाते हैं जिससे हवा की जो वेलोसिटी है वह उससे पास हो जाये और वह खंभे गिरते नहीं हैं। इससे हमारी स्कीम्स बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं पिछले दिनों के अंदर, हमारी स्कीम्स 15-15, 20-20 दिन तक बंद रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा अनुरोध है कि आप नरेगा के अंदर, अन्य योजनाओं में निजी जल कुंड और डिग्गियों के लिए भी सुझाव दें जिससे उसके पास जल स्रोत हो जाये और वह पानी का संकट उसके ऊपर आये ही नहीं। टैंकर्स की व्यवस्था आप वर्षों से करते आये हैं, टैंकर्स में जब मोटे स्तर पर काम शुरू होता है तब लूट मचती है तो उसके लिए थोड़ा आपको ताइद करूंगा कि जहां पीएचईडी सोर्स हैं वहां पर रजिस्टर मेनटेन हो, जहां जिस स्रोत में ले जाकर वह पानी डालेगा उसके लिए भी अलग से आप रजिस्टर रखें जिसमें जितना भी पानी का लेवल हुआ है वह दर्ज हो, वापिस जाये तब भी उसके अंदर दर्ज हो, आप सरकारी कर्मचारियों से, चाहे वह पटवारी है, मास्टर है, इनको भी आप इनवाल्व करें, इनका भी जब तक सर्टिफिकेशन या इनकी ताइद नहीं हो तब तक यह भुगतान नहीं हो। 20 टैंकर्स जाते हैं और 100 का पेमेंट उठता है तो यह भी मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर आप विशेष नियंत्रण रखें।

अध्यक्ष महोदय, भू-जल स्तर की जहां आपने बात कही है, बात तो हम सारे ही करते हैं लेकिन इसमें इच्छाशक्ति चाहिए। कई बार यहां विधान सभा में जो सब कमेटी बनी हुई हैं उसमें मसला उठता है, हम कहते हैं कि इसको लागू करो। इसके ऊपर नियंत्रण हो कि इसको ज्यादा दोहन नहीं हो लेकिन इच्छाशक्ति नहीं है। अगर इच्छाशक्ति हो तो इसको आप लागू कीजिये। यह जिम्मेवारी हमें ही पूरी करनी पड़ेगी, बाहर से कोई नहीं आयेगा सलाह देने के लिए। अगर आप यह कर लो तो आने वाले वर्षों में पानी का, पेयजल का बहुत ज्यादा संकट है, अब वक्तव्य जरूर आया है।

श्री अध्यक्ष: आपके सुझाव भी आ गये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आश्वस्त भी किया है लेकिन आज के दिन वहां इसका समाधान तुरंत हो उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, यह आपने संकेत नहीं दिया है। इन्होंने तो लॉग टर्म के लिए जो भी आगे के लिए योजना है उसके लिए बताया है, आज के दिन हमारे ऊपर संकट है आप तुरंत चाहे टैंकर्स से आप किसी भी सोर्स से तो करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी तो इन्होंने सोर्स भी चिन्हित नहीं किये हैं कि हम पानी के संकट में कहां-कहां से पानी लायेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी आप जो भी सोर्सज हैं उन्हें चिह्नित कीजिये और हमें पानी पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप कह रहे हैं कि हम चार-पाँच दिनों के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, विषय ही मेरा वही है ... (व्यवधान)... अभी तक उस समस्या का समाधान कहां हुआ, यह तो आने वाले समय में हम इस सारी व्यवस्था के लिए चिह्नित करें, आपको आगाह भी किया है लेकिन आज के दिन हमारे ऊपर संकट है, अभी तक तो लाइनें गिरी हुई हैं, वहां भी हम स्कीम्स चालू नहीं कर पा रहे हैं।

jyg/usc/13.7.9/14.30/2f

तो मेरा अनुरोध है कि कम से कम तुरन्त उसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए मुझे आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: विराजो। अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)... मैं आपको समय दूंगा। ... (व्यवधान)... अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पाइण्ट ऑफ ऑर्डर। ... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: पाइण्ट ऑफ ऑर्डर। पाइण्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विनम्रतापूर्वक मेरा पाइण्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि जिस समय यह व्यवस्था हुई थी उस समय मैंने आपसे आग्रह किया था कि आपके जो निर्देश होते हैं वक्तव्य देने के, माननीय सदस्यों द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्रों के लिए उठाई गई पेयजल की जो समस्याएं हैं उन पर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए और उस पर हम चर्चा करें। आज हुआ क्या है, मैं धन्यवाद दूंगा मंत्रीजी को, बहुत विद्वान हैं, उन्होंने भगवान पर भी छोड़ दिया और जनता पर भी छोड़ दिया है, इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष: और आपका भी सहयोग चाहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, हम भी सहयोग करेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि यह भी भेदभाव न करें। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से देखें, मैंने

कहा था, आप प्रोसीडिंग मंगवा लें, जिन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव दिए हैं, जिन माननीय सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं, जिन्होंने 295 लगाए हैं, यह सारे काम के हैं और उनका व्यू आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि अधिकारियों ने उन सब बातों का अध्ययन नहीं किया और यह केवल भविष्य की रूपरेखा बताई है। आज हम चिंतित हैं इस बात पर कि हमारी क्षेत्र में जो आग लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कब्जा कर रहे हैं जगह-जगह सरकारी कार्यालयों पर, उसके लिए व्यवस्था का क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि सरकार उस व्यवस्था के बारे में जवाब दे। सरकार यह कहकर नहीं टाल सकती कि हम भगवान पर छोड़कर प्रार्थना करते हैं। करेंगे भगवान से प्रार्थना, हम रोज-रोज सुबह कहते हैं, यन्तु नदियों वर्षन्तु प्रजन्या, रोज प्रार्थना करते हैं लेकिन उससे पार नहीं पड़ेगी। जिस समय हमने भगवान से प्रार्थना की थी उस समय कांग्रेस के लोगों ने यहां खड़े होकर कहा था कि साम्प्रदायिक है, ये मंदिरों में जाकर पानी चढ़ा रहे हैं, उससे बरसात नहीं होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आदरपूर्वक व्यवस्था चाहता हूँ, आप निर्देश दें कि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के मुद्दे यहां लगाए हैं, उनका जवाब सरकार दे कि उनका क्या करना चाहते हैं। यह कहें, जैसा माननीय सदस्य, देवीसिंहजी भाटी ने कहा है, आश्वासन हो गया, विवरण हो गया, इस पर चर्चा डिमाण्ड के टाइम पर भी हम करेंगे पर आज की स्थिति में क्या निराकरण किया है, 10 करोड़ रुपए कण्टीन्जेंसी में देकर राजस्थान की जनता को पीने का पानी मांगने का मुंह बंद करना चाहते हैं? इसलिए मैं चाहूंगा कि आप व्यवस्था कर जिन-जिन माननीय सदस्यों के आपके पास आए हैं उनका जवाब दिलवाया जाए, उन सभी माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दें और उनका समाधान करें, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: विराजे कृपया।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): जिन माननीय सदस्यों ने 295 लगाए हैं, ध्यानाकर्षण दिए हैं उन सभी का जवाब माननीय मंत्री महोदय देंगे। जयपुर शहर में पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है, पीने के पानी के लिए हाहाकार हो रहा है, आखिर 40 लाख की जनसंख्या को पानी कैसे पिलाएंगे?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): तैयारी करके आपने उनको निर्देश दिए हों ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। कम से बता दें कि हम ऐसा तुरन्त कर देंगे।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह कहते थे कि यह सरकार पूजा अर्चना में लगी हुई है, आज भगवान पर भरोसा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजे। अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। ...(व्यवधान)...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में पीने के पानी की बहुत गम्भीर समस्या है। पानी के लिए हाहाकार मच रहा है, प्रशासन सो रहा है। ... (व्यवधान)...

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्षजी, अभी माननीय मंत्रीजी ने पानी के संकट पर अपना वक्तव्य दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस वक्तव्य को इन्होंने पेश किया है, मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर के माननीय सदस्यों की एक परामर्शदात्री कमेटी बनी हुई है और पानी के संकट पर, पानी के रेगुलेशन पर हम हमेशा उस मीटिंग के अंदर जाते हैं। दो-तीन बार हमारी परामर्शदात्री कमेटी की मीटिंग हुई है, हमने सरकार को, चीफ इंजिनियर को इसके बारे में अवगत करवा दिया था कि पानी का अगर संकट आने जा रहा है तो कम से कम फसलों का रेगुलेशन आप तय कर दें, किसान को आप इस बारे में मैसेज दे दें, किसान अपने दो बीघा में, या तीन बीघा में उस फसल की बुवाई करे ताकि आने वाले समय में किसान और सरकार आमने-सामने न हो।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे बार-बार परामर्श देने के बावजूद भी इन्होंने उस कमेटी के फैसलों को इन्कार किया है और आज दुःख और तकलीफ की बात यह है कि सरकार इस बात के लिए कह रही है कि पानी नहीं है। अगर जिस किसान की सवा लाख हैक्टेयर की फसल आज खड़ी है वह बरबाद हो रही है।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): मैं समझता हूँ कि सरकार पानी नहीं है तो कम से कम उनको मुआवजे का प्रावधान तो करे। 18 हजार रुपए प्रति बीघा पर किसानों का खर्च आया है। माननीय अध्यक्षजी, सरकार पानी के लिए तो हाथ खड़े कर रही है और इससे भी दुःख और तकलीफ की बात यह है कि वह जो किसान पानी मांग रहे हैं उन पर मुकदमा दर्ज कर रही है। पानी नहीं दें तो मुकदमे तो मत दर्ज करो। लगभग 4 हजार मुकदमें दर्ज किए हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजे, विराजे।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसलिए माननीय अध्यक्षजी, सरकार मुकदमे वापस ले, पानी के संकट पर हम इनसे बात करने को तैयार हैं, हमारे किसान तैयार हैं और किसानों की जो फसल बिजाई है उसका मुआवजा और मुकदमा वापस लेने के लिए सरकार को निर्देश देने की आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष: विराजे। विराजे। दिगम्बर सिंहजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आपने अखबारों में किसानों को यह सूचित करवाया कि हमारे पास सिर्फ पेयजल उपलब्ध है, आप कृपया

सिंचाई न करें। पहले तो अखबारों से यह सूचित करवाया उसके बाद नहरों के अंदर पानी किसने चलवा दिया। आपने अधर बीच में किसान को मरवा दिया। पहले कह दिया तो बिलकुल ठीक था कि हमारे पास पानी कम है लेकिन उसके बाद में यह किसके आदेश से हुआ है कि आपने नहरों का पूरा संचालन करवा दिया, बिजाई करवा दी, अब बिजाई की है तो किसान मर गया है, बरबाद हो गया है, इतना भारी खर्चा है, मैं बताऊं आपको, आप जांच तो कराओ।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज बहस छिड़ी है। माननीय मंत्रीजी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, मैं भी मानता हूँ कि पानी के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए परन्तु आज अगर सबसे बड़ा टेण्डर पाइपट किसी पॉलिटिशियन का है तो पानी का है। मैं जिस जिले से आता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जिला कभी पानी से परेशान रहता था क्योंकि भरतपुर के लिए कहते हैं कि वह बॉउल शेप में है भौगोलिक स्थिति से, चारों तरफ का पानी इकट्ठा होता था परन्तु आज वह जिला पानी के लिए परेशान है, वहाँ का जन प्यास है, वहाँ का जानवर प्यास है, वहाँ की जमीन प्यासी है। मुझे ताज्जुब भी होता है, हमारे कई माननीय सदस्य, जैसे लमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में नहरों से सिंचाई की बात करते हैं, वहाँ के पानी की बात करते हैं, हमारे यहाँ तो न तो नहर है, न सिंचाई की व्यवस्था है न पीने के पानी की व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएन्सी डीग है, मैं जब सातवीं कक्षा में पढ़ता था तो डीग के अंदर तब भी वहाँ पीपे से पानी बिकता था, आज की तारीख में भी वहाँ चार रुपए में एक पीपा पानी का बिकता है। एक पीपा पानी की कीमत चार रुपए, आप अंदाजा लगा सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि गरीब लोग कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे?

माननीय अध्यक्ष महोदय, डीग पैलेस के दोनों तरफ दो कुण्डे बने हुए हैं, एक पक्का तालाब कहलाता है, दूसरा कच्चा तालाब कहलाता है। उनके पास दो बड़े-बड़े कुए थे, उनसे पूरे डीग की जनता पानी भरती थी। आज उन कुओं में पानी नहीं, वहाँ हैण्डपम्प लगा दिए 15, उनमें पानी नहीं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजे। कृपया विराजे। आसन पावों पर है। कृपया विराजे।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): हां, मैं वही कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष: सदन के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उठाई गई समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए सरकार से आग्रह करूंगा कि एक दिन इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी और आप सबको बोलने का अवसर दिया जाएगा। ... (व्यवधान)... चर्चा समाप्त। ... (व्यवधान)... मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि एक दिन इस पर पूरी चर्चा हो जाएगी

फिर उसके बाद चर्चा नहीं होनी चाहिए। कृपया सहयोग करें। कृपया सहयोग करें।
...(व्यवधान)... कृपया सहयोग करें। ...(व्यवधान)... अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई छोटी बात नहीं है, पूरा राजस्थान त्रस्त हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 पर अद्येतर सामान्य वाद-विवाद होगा श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर चुका हूँ पूरे दिन इस पर चर्चा करने का सरकार को निर्देश दे चुका हूँ। इसके बाद चर्चा समाप्त। कोई चर्चा नहीं होगी। वाद-विवाद पर चर्चा करें, श्री गुलाबचन्दजी कटारिया। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... चर्चा हो चुकी है, उसके बाद सरकार की तरफ से आपको पता लगेगा ...(व्यवधान)... । श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।
...(व्यवधान)... कृपया चर्चा समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखें। आपके दल के नेता बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, कृपया विराजे। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्य, विराजे। अंकित नहीं होगा। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया। ...(व्यवधान)... आपके दल के सदस्य आपको बोलने नहीं देना चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यदि हाउस कण्ट्रोल में नहीं होगा तो मैं बोलूंगा कैसे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

Gpc/akt/13072009/1440/2g

अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: बिलकुल छोटा मत करो, बड़ा ही रहने दो।

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: अब आप चर्चा समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाबचंद जी कटारिया। ... (व्यवधान)... शुरू करिए। आप शुरू करिए। ... (व्यवधान)... कृपया विराजें, विराजें। माननीय मंत्रीजी, विराजें। ... (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आपको तो अपने काम से काम करना है, मेरे सवाल का जवाब दे देना।

श्री अध्यक्ष: इधर देखकर माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप शुरू करें।

परिवर्तित आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट की चर्चा करते हुए मुझे इस बात पर दुःख है कि जब पिछली बार चंदनमल जी ने पिछली सरकार जब आयी थी अशोक जी गहलोट उस समय मुख्यमंत्री बने थे और बजट के सवाल पर जो बहस प्रारंभ की मैं उसको फिर से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ और वो के वो बिन्दु इस सरकार ने आज फिर से उपस्थित कर दिये जिसके बारे में वे आलोचना करते हैं, लेकिन वो कभी भी यह झांककर नहीं देखते कि जो विषय हमने खड़े किये थे और उस समय चंदनमल जी का जो भाषण हुआ था मैं उसी को उद्धृत कर रहा हूँ और मैं उसी के अनुसार आपसे फिर उत्तर चाह रहा हूँ कि 1998-99 में आपकी सरकार बनी थी और आपने जिस प्रकार के आश्वासन और जिस प्रकार से ठण्डे छींटे दिये थे वे आज भी वो के वो मौजूद हैं और आज भी मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि जो सबसे बड़ी आलोचना इस बजट की हुई वह यह है कि पिछले साल भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया था और जो मैंने आलोचना की थी कि आपने राजस्व घाटा बढ़ा दिया, आपने कर्जा बढ़ा दिया, आपकी ब्याज की राशि बहुत बढ़ी हुई है, आपके राजस्व खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, यह चंदनमल जी का भाषण है।

(बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

आज आप यह बता दें, आज अशोक गहलोट जी ने जो भाषण दिया क्या इसमें कोई नया परिवर्तन आ गया, कोई नई चीज आ गई। वापस वही की वही स्थिति है। 1998-99 का जो पहला बजट भाषण रखा और उस समय हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आपकी

⁰⁰⁰ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सरकार ने यह कर दिया, हमको कर्ज में डूबो दिया, हम ब्याज में डूब गये, हम दिवालिया हो गये। एक श्वेत पत्र और जारी किया और उस श्वेत पत्र पर बड़ी बहस की थी कि आपने किस तरह से 23 हजार करोड़ के कर्ज में लाकर राजस्थान को खड़ा कर दिया।

मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी आमदनी तो है अठन्नी और खर्चा आप बता रहे हैं एक रुपया। कहां से लाओगे? मैं इस सवाल को इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि जो आपकी संपूर्ण आय है, टोटल आय है वो 38268 करोड़ रुपये की है और आपका जो खर्चा है वो खर्चा 27300 करोड़ रुपया तो मात्र इस बात के लिए है, मेरी बात का जवाब देना, जब वित्त मंत्री जवाब दें कि आपकी टोटल आय है 38268 करोड़ रुपये और आपका 27300 करोड़ रुपया तो महज वेतन है, पेंशन है, कर्जा है और ब्याज चुकाने के लिए होगा। बाकी बची राशि का बड़ा हिस्सा सरकारी कार्यालय में या अन्य गैर विकास की गतिविधियों में खर्च हो जाएगा। हालत आपने वापस वहीं पहुंचा दी और उसके बाद भी आपने 1408 करोड़ रुपये का घाटे का बजट पेश कर दिया। कहां से आएगा पैसा? 38 हजार करोड़ में से 27300 करोड़ रुपये तो केवल वेतन, पेंशन, भत्ते और ब्याज में जा रहा है। क्यों जनता को मूर्ख बनाते हो? क्यों तालियां पिटवा रहे हो कि हमने बहुत अच्छा बजट पेश किया। यह तो तस्वीर आपकी है और दुर्भाग्य से आपने अगर इसको नहीं पढ़ा हो तो यह बारहवें वित्त आयोग की जब रिपोर्ट आयी थी उस रिपोर्ट में जो सजेशन आपको दिये थे, चंदनमलजी जिसकी यहां बहुत वकालत करते थे उस बारहवें वित्त आयोग ने अपनी बात में बहुत कहा था कि आप प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत अपना राजस्व घाटा घटाओगे और अंत में जीरो राजस्व घाटे में लाओगे। वो आपके समय में जो मैंने सारे आंकड़े निकाले ठेठ 1999 से लेकर अब तक आपका जो पूरा पाँच साल का कार्यकाल रहा उस पाँच साल के कार्यकाल में आपने राजस्व की जो इनकम की वो 62850 करोड़ रुपये की की और पाँच साल में आपने राजस्व खर्चा कितना किया 80277 करोड़ रुपया। इसका मतलब राजस्व घाटा 5 साल में आपके कार्यकाल में कितना किया था? आपने किया 17427 करोड़ रुपया राजस्व घाटे में डाल दिया। अब आप यह कह देते हो जब आपकी कमाई नहीं है, जो अपने यहां कहते हैं घी खाओ, उधार लो, मजे करो और उसके बाद भी हम तालियां बजा रहे हैं, वाह क्या बजट पेश किया। खाओ घी। बिना पैसे के आ रहा है क्या? कर्ज में डूबोकर आप राजस्थान को यह वाहवाही की तालियां बजाना बहुत आसान है, लेकिन बजट को समझकर बात करने का प्रयास करिए। हमने राजस्व घाटे को घटाया। घटाया नहीं, हम राजस्व बजट में प्लस में लेकर आये। यह मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ कि हमारी जो राजस्व प्राप्तियां थीं वो 2007-08 में 25592 थी और हमारा खर्चा था 24953 करोड़ रुपया। हमने 638 करोड़ रुपया राजस्व

का प्लस किया, बचाया। यही नहीं उसके बाद 2007-08 में हमने 1652 करोड़ रुपये राजस्व में बचत की। पिछले साल जो हमारे राजस्व का था उसमें हम जरूर 283 करोड़ वापस माइनस में गये, लेकिन जो वादा हमने किया इन दो सालों में इसी कारण से केन्द्र सरकार ने हमको 270 करोड़ रुपया अतिरिक्त दिया अच्छे मैनेजमेंट के कारण से कि हमने राजस्व व्यय को घटाया, राजस्व को बढ़ाया। आपने वापस वहीं पहुंचा दिया। पाँच साल में जो कुछ हमने कमाया, राजस्व का जो हमारा है वो एक लाख 29 हजार 360 करोड़ रुपये हमने अर्जित किया राजस्व प्राप्ति। हमारा यह है। जो हमारा राजस्व का खर्चा है पाँच साल का, पूरा टोटल बता रहा हूँ वो एक लाख 30 हजार अतिरिक्त। पाँच साल में राजस्व घाटा हमारा कितना रहा, केवल 795 करोड़ जो आपने 17 हजार करोड़ पर राजस्व घाटा छोड़ा था उसको पाँच साल में हमारे बजट को ठीक करने में हमें केवल 795 करोड़ का घाटा छोड़ा और इस सरकार के आते ही पहले साल में 1408 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा आपने अपने इस बजट में दिखाया। यह है आपका मैनेजमेंट। इसलिए आपने तालियां बजायीं। किस बात पर बजायी? आपने यही नहीं कहा कर्ज के बारे में भी आप बड़ी ऊंची-ऊंची बातें ठोकते थे चंदनमल जी ने उस समय, मैं यहीं मेम्बर था, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने डुबो दिया, श्वेत पत्र जारी हुआ, भैरोंसिंह जी ने इतना कर्जा ले लिया, लेकिन अब आप इसको देखिए हमने जब आपको सरकार दी थी 1999-2000 में तब राजस्थान का कर्जा था 24169 करोड़ रुपये और आज की तारीख में जब आपने हमको सरकार दी थी पिछली बार तब आपने कर्जा छोड़ा था 54903 करोड़ रुपया। यह जो आपकी कर्ज की बढ़ोतरी है यह 120 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई कर्ज की। हमने आपसे लिया था ...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आज कितना कर्जा है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): वह मैं बता रहा हूँ। मैं कोई चीज नहीं छुपा रहा हूँ, अगर मेरी कमजोरी है तो भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। हमने 2004 से लेकर 2008 तक जो हमने कर्जा लिया, आपने हमको छोड़ा था 54903, हमने छोड़ा कर्जा 78114 करोड़ रुपये पर। यह जो बढ़ोतरी है यह बढ़ोतरी 42 परसेंट है। आपकी बढ़ोतरी है 120 परसेंट कर्ज की। हमारे कर्ज की बढ़ोतरी मात्र 42 परसेंट है। आप आश्चर्य करोगे केवल इस साल के बजट में आपने अभी जो दिखा रखा है वो इस साल का 7 हजार का कर्जा दिखा रखा है यह 7 हजार का नहीं होगा, यह 7 हजार का कर्जा बढ़कर कहा जाएगा, यह तो साल के अंत में पता लगेगा। यही नहीं आप थोड़ा सा विचार करिए कि जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है वो एक लाख 91 हजार करोड़ रुपये की है। उसके अगैस्ट में आज की तारीख में हमारा कर्जा है 85 हजार करोड़ रुपये। इसका मतलब लगभग 41 परसेंट जितनी हमारी आमदनी साल

की है उससे कर्जा लगभग 41 परसेंट पर आ गया और 50 परसेंट पर आने के बाद वो राज्य दिवालिया राज्य घोषित कर दिया जाता है, आप उसी रास्ते पर बढ़ रहे हो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए।

मोहन/चौहान/13072009/1450/2h

इसी तरह से, यह आप, दुर्भाग्य है, बजट को समझने के लिए माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूँ, केवल आलोचना और भाषण देकर अपने मन को संतुष्ट नहीं करिए। हकीकत पर जाने का प्रयास करिए, यह जितने बजट बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? विकास के लिए बनाने हैं, जनता को कुछ मिले, इसीलिए न? जनता से तो सारा पैसा निकलवाएं और हम कुछ लोगों को देकर के केवल जनता के लिए टुकड़े छोड़ देते हैं बाद में। हम अपनी नीतियां नहीं बदल सकते? क्या हमारे विकास का है, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि आपने जो विकास का जो किया है 99 से लेकर 2003 तक जो विकास का आपने खर्चा किया है। मेरे पास यह सारे आंकड़े विकास पर कितना हुआ और गैर-विकास पर हमारा खर्चा बजट का कितना हुआ? आप चाहो तो मैं एक एक साल का दे सकता हूँ, आप चाहो तो पाँचों साल का का, आपके विकास का जो खर्चा हुआ, वह हुआ 54233 करोड़ रुपये पाँच साल में आपने विकास के लिए खर्च किया और गैर-विकास के लिए कितना हुआ? वह 35922 करोड़ रुपये इसका मतलब आपने विकास पर खर्चा किया 60 प्रतिशत और गैर-विकास पर खर्च किया लगभग 40 प्रतिशत, एकाध पाइंट का अंतर हो सकता है, एक्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ और हमने 5 साल में इस राजस्थान के विकास को, बजट को ज्यादा बढ़ाया। मैं आंकड़ों से आपको बता रहा हूँ, 1 लाख 1 हजार 600 करोड़ हमने विकास पर खर्च किया पाँच साल में, जो आपने 54 खर्च किया वह हमने जस्ट इसके डबल के पासपास पर आये थे और हमारा गैर-विकास में जो खर्चा हुआ वह 53 हजार 600 करोड़ रुपये हुआ। इसका मतलब विकास पर हमारा प्रतिशत से हिसाब से निकालें तो कितने हमने 65 प्रतिशत अपने बजट का खर्चा विकास पर किया और गैर विकास का हमने बजट घटाया। यह आंकड़े आपकी किताबों से दिये हुए निकाले हैं, मैंने अपने मन से कोई भी नहीं निकाले हैं, एक एक आंकड़ा मैंने आपकी पुस्तक से और आपने जो कुछ डाक्यूमेंट मुझे दिये उस आधार पर मैंने आपके सामने रखा। मुझे बहुत मन से कट है और मेवाड़ के सारे के सारे विधायकों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ, पार्टी हो सकती है, आप अपनी पार्टी को मदद करो लेकिन मेवाड़ की अनदेखी अगर आप करोगे न, तो मेवाड़ की उस गरीब जनता की हाय से मर जाओगे। इतना अन्याय हमारे साथ हो रहा है और उस अन्याय को भी आपने केवल किसी सरकार बनाने

की बात करते हो। मेवाड़ को सरकार बनाने का बहुमत मिलता है, किसी भ्रष्टा पार्टी को तो मेवाड़ से मिलता है, तभी सरकार बनती है। पिछली बार हमारे 21 विधायक थे, हमारी सरकार थी, इस बार 20 विधायक आपके हैं, इस कारण से आपकी सरकार है लेकिन आपने उस मेवाड़ के प्रति जिस प्रकार का दुर्लक्ष्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा अपमान मेवाड़ का हो सकता है। केवल एक योजना के लिए 32 करोड़ रुपये जरूर आप कह सकते हो, जो भीखा भाई और हमने प्रारंभ की थी, उसकी समाप्ति के लिए आपने उसी बजट को जो पहले से दिया हुआ था उसको पूरा करने के लिए वह जरूर डाला है, बाकी उसके लिए आपने इसमें क्या डाला है? आपने इसमें दिया है उदयपुर को और उदयपुर डिवीजन को मैं गिन कर बताता हूँ। पन्नाधाय महिला चिकित्सालय पर आपने एक करोड़ रुपये दिये, जननी सुरक्षा योजना पर 3 करोड़ रुपये दिये, उदयपुर संभाग में बांसवाड़ा जिले में एक इंजिनियरिंग कालेज के लिए 6 करोड़ रुपये दिये, उदयपुर संभाग में सागवाड़ा, तलवाड़ा, घाटोल की बालिका छात्रावास के लिए आपने 3.06 करोड़ रुपये दिये। सारे मिला कर कितना मिला? 12 करोड़ रुपये। यह है उदयपुर के प्रति सम्मान। है न? उदयपुर की जनता के प्रति सम्मान है न कि। व जनता आज मन को कितना कुरेद रही होगी? ऐसा क्या अपना किया हमने, 20 एमएलए जिताने कि हमने एक जिले को एक करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये हमारे इस सारे के सारे बजट में पांती आते हैं और उसके बाद आपने केवल जोधपुर योजना को, केवल जोधपुर के अन्दर ही आपने यह जो पेज 11 पर जो 47 और 50 आपका लिया, यह बजट है इसको आप थोड़ा सा पढ़े बजट ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मरने का तो विचार मत करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, नहीं। मरेंगे अपने आप ही, मुझे नहीं मारना पड़ेगा। यह आप इसमें देखिए। आप दोखिए, जोधपुर शहर की पुनर्गठन योजना एवं पांचला, भदवासिया शामिल हैं। इसमें आपने 59 करोड़ रुपये दे रखा है यानी एक योजना पर आपने 59 करोड़ रुपये और दूसरा इसी पेज पर आप पढ़ें। 21 पर आपने लिखा है कि केवल जो वाटर लाइनिंग हो गई। जोधपुर में एक तरफा वाटर लाइनिंग हो रही है यानी 15 फीट पर आपको पानी मिल रहा है, लोग तबाह हैं उसके लिए, आपने 12 करोड़ रुपये का इसमें प्रावधान कर रखा है। एक आपने नई पानी की योजना के लिए जोधपुर के लिए 59 करोड़ रुपये की योजना इस बजट में रख दी है तो हमारा क्या पाप और दोष है जिसके कारण से हम अपने बजट को देख कर रोयें नहीं तो और क्या करें। मन को दुःख होता है, एक समय पर जो जो कभी कभी आप 156 भी आये थे तब भी आपने इसी प्रकार के भाषण ठोके थे, जनता ने 56 पर लाकर टिका दिया। यह अभिमान मत करो, केवल 94 हो, कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं दी जनता ने लेकिन इस अभिमान

के आधार पर अगर मेवाड़ का अपमान किया न तो मेवाड़ की अपमान मेवाड़ की जनता कभी भी बरदाश्त नहीं करती। इस बात को समझने की कोशिश करना आप। आपने यही देखा है न और इसी से आप इस बजट को लेकर, सभापति महोदय, इस बजट को लेकर सम्पूर्ण देश की जनता हाहाकार कर रही है। केन्द्र की सरकार आपकी, राजस्थान की सरकार आपकी, केन्द्र का बजट आपकी सरकार ने रखा, राजस्थान का बजट आपने रखा, महंगाई की दशा को देख कर जनता त्राहि त्राहि कर रही है आज की तारीख में।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सदस्य, नहीं, पिछले पाँच साल का झालावाड़ के भी बजट के आंकड़े बता देते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह काम आप पर छोड़ रहा हूँ न? आप भी तो कुछ मेहनत करोगे, नहीं करोगे?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): वह तो हम करेंगे, पर आप भी थोड़ा बता देते तो ठीक था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप अपना काम कर लेना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो सवेरे एक विषय उठा था कि आपने वेट को साढ़े 12 परसेंट कर दिया। वेट कौन चुकाएगा? वेट व्यापारी चुकाएगा? वेट तो चुकाएगी जनता, आम आदमी चुकाएगा और उस वेट के कारण से आपने केवल यों ही कह दिया कि हमने डेढ़ परसेंट वेट बढ़ाया। डेढ़ परसेंट वेट का मतलब आपको समझ में आया कि क्या वेट का असर हुआ है। आपके कारण से जो हमारे जीवन के सामान्य उपयोगी आप और मेरे घर में और किसी गरीब के घर में काम में आती है। अभी आपने कहा हमने तम्बाखू पर वेट बढ़ा दिया, कितना हो गया, 20 परसेंट। सभापति महोदय, आप भी गांव से आते हैं और मैं भी गांव से आता हूँ। अगर आपने तम्बाखू का प्रचलन देखा होगा तो उस गरीब मजदूर को बीड़ी फूंकते हुए देखा होगा। गांव में कितने आदमी बीड़ी फूंकते हैं, कितने आदमी हुक्का करते हैं और कितने आदमी एक रुपये की फांकी लगाते हैं। आपका यह असर उस गरीब पर और उस मजदूर पर जाएगा कि नहीं जाएगा? आपने केवल वाहवाही ले ली इस बात की कि हमने यह तम्बाखू पर बढ़ा दिया। जैसे तम्बाखू कोई शराब या अफीम है। अगर बढ़ाते तो आप अफीम को बढ़ाते, बढ़ाना चाहते तो और किसी पर बढ़ाते जिसका गरीब आदमी, आज यह आपकी जितनी पुडियां बिक रही हैं न, बाजार में जिस प्रकार से इनका कंट्रोल तो नहीं हो पा रहा है और एक गरीब तम्बाखू पीता है उस पर आपने अपनी ताकत की आजमाइश कर डाली कि हमने साढ़े 12 परसेंट से 20 परसेंट कर दिया। कोई बहुत बड़ा, मैं चाहता हूँ अगर आप चाहो तो उस गरीब की बीड़ी और उसका तम्बाखू निकाल दो।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): उसके फेफड़े की चिंता तो करनी चाहिए। गरीब आदमी के फेफड़े की चिंता आप नहीं करोगे तो कौन करेगा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, मेरी केवल आपसे इतनी प्रार्थना है(व्यवधान).....

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति जी, बीड़ी पीने वाला व्यक्ति अपने खुद का 15 परसेंट नुकसान करता है और नहीं पीने वाले का 85 परसेंट नुकसान होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय बड़ी सादड़ी से आने वाले सदस्य, बिराजो(व्यवधान).....

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, बीड़ी पीने वाला व्यक्ति अपना 15 परसेंट नुकसान करता है, शरीर का, लेकिन 85 परसेंट नुकसान नहीं पीने वाला व्यक्ति का होता है(व्यवधान).....

श्री सभापति: बिराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेरा आग्रह इतना ही है कि उस गरीब की बीड़ी को छोड़ दो, उसकी फांकी को छोड़ दो जिसको एक रुपये में वह लगा कर वह अपनी दिन भर की मजदूरी करता है बाकी बड़े लोगों के लिए तम्बाखू पर आप इससे 10 गुना बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा दो, मुझे कोई चिंता नहीं, उस पैसे वाले की जेब काट कर भी अगर गरीब का भला हो सकता है तो आप जरूर करो, मैं आपके पक्ष की बात करता हूँ। आपने बिजली का सामान महंगा होगा, यह किससे सर्व साधारण आदमी काम में नहीं लेता? आपने टायर ट्यूब जो है, सर्व साधारण आदमी काम में नहीं लेता है। आपके यह जो जितने भी रेस्टोरेंट में भोजन है, छोटा मोटा उसके ऊपर लगने वाला टैक्स भी क्या गरीब आदमी रोटी नहीं खाता है। इसी तरीके से आपने बेटरी, तेल, साबुन, शैम्पू, मंजन, यह सारे सस्ते होंगे आपकी और दुर्भाग्य क्या है कि वेट हमारे राज्य में और पास के राज्य में भिन्न होने के कारण हमारी व्यापार खिसक कर के पास में चला जाएगा। एक तरफ व्यापारी व्यापार से नुकसान भुगतेंगे और दूसरी तरफ यह गरीब जो आदमी उसकी जेब काटकर 14 परसेंट वसूली होगी, इसमें कोई बहुत बड़ा आपने तुरा नहीं मार लिया कि वेट बढ़ा कर हमने कोई कीर्तिमान स्थापित किया और सस्ता कौन सा किया आपने? सस्ता किया आपने विमान का इंधन। आप में से कितने लोग बैठते हैं महीने में एक बार विमान में, वह गरीब आदमी विमान में बैठता है, वह उस विमान में यात्रा करता है?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभी नेता एक जैसे होते हैं क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल आपने इस कारण से किया क्योंकि जितनी भी विमान आते हैं हमारे यहां से फ्यूएल नहीं लेते हैं, क्योंकि बाजू की स्टेट में

फ्यूएल पर टैक्स कम है तो वहां से भर कर आते हैं तो यहां आकर भी भरे हुए ही आते हैं। हमको उसका जो टैक्स मिलना चाहिए वह टैक्स नहीं मिलता। यह घाटा जरूर हो रहा है लेकिन उसकी आइ में वाहवाही लूटो कि हमने जो उनका फ्यूएल सस्ता कर दिया उसका कोई मायना नहीं निकलता उस गरीब के लिए। भवन निर्माण में आपने ईंट, गिट्टी, मिट्टी कर दिया जिसको अत्यन्त गरीब कहते हैं न, कितने लोग मकान बनाते हैं? आप में से कितने लोग हर साल मकान बनाते हैं, सारी जिंदगी में एक बार मकान बनाते हैं, एक बार, एक बार मकान बनाते हैं और गरीब के तो भाग्य में ही नहीं लिखा कि उसने एक झोंपड़े का मकान भी बना लिया, इस 60 साल की आजादी के बाद भी केवल यह फायदा होगा, यह जितने भी मल्टी स्टोरी मकान बना रहे हैं।

Skp/akt/13.07.2009/15.00/2j

जितने भी बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जो जमीनों का धंधा कर रहे हैं, आपने उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अगर उस गरीब को होता तो हमें कोई अफसोस नहीं होता लेकिन दुर्भाग्य से जिन्होंने इसको धंधा बनाकर के जमीन पर 10 मंजिले मकान बनाकर के बेचने का जो धंधा कर रहे हैं उनको आपने सीधा फायदा पहुंचाया।

यही नहीं, आप देखो इसमें लिखा है एम्ब्राइडरी, जरी, गोटा, सलमा, चुमकी, सितारा, अरे मेरी गरीब ने तो यह नाम ही नहीं सुना कि यह क्या चीज होती है, कौनसी साड़ी होती है। दुर्भाग्य से मेरे क्षेत्र के उस आदिवासी ने इनमें से एक का भी अगर नाम पूछो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वह नाम नहीं बता सकता कि आपने यह छूट दी इसका फायदा किसको होगा।

यही नहीं आपने अब इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रिक बॉट-माप, पुरानी कार, ये तो होगी सस्ती और हमारी सब्जी होगी महंगी। यही है न? यही है न जनता का बजट? यही है न गरीब का बजट? आपको लगा होगा कि कितना फर्क पडा केवल आपके दो बजट आने के बाद। मैं आपको भाव बताता हूं। अरहर की दाल का भाव जो गत महीने में 50 से 60 रुपये किलो था वह आज 75 से लेकर के 80 रुपये किलो है। अरे गरीब का बच्चा दाल की सब्जी भी नहीं खा सकता। यह आपकी सरकारों की बदौलत से भावों ने जिस प्रकार से आसमान छुआ है वह वास्तव में कितना दर्दनाक है। आलू जो 8 और 10 रुपये में मिलता था वह आज 18 और 19 रुपये में मिलता है। प्याज जो 6 और 8 रुपये में मिलता था वह आज 12 और 14 रुपये किलो में मिलता है। आटा जो 14 और 15 रुपये किलो में मिलता था, आपके इन दो बजट के बाद 15 और 17 रुपये किलो में आटा मिलता है। क्या यह आपका बजट इस गरीब को फायदा पहुंचायेगा? (समय समाप्ति)

सूचक घंटी) और गरीब के नाम पर दे ताली कि यह गरीब को समर्पित, गरीब को समर्पित। उसका तो आटा ही खा गये, समर्पित कहां से हो गया? उसके पेट की भूख उसको खा रही है, उसको झुंझला रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में आपने जिस तरह से आपने जिस तरह से क्या महंगा और क्या सस्ता यह देखा होगा।

आपने यह डीएलसी रेट बढ़ाई। भले आदमी कोई डीएलसी रेट के बारे में समझने का तो प्रयास करते, डीएलसी रेट आज भी राजस्थान के कई जिलों में जो वास्तव में मार्केट रेट है उससे ज्यादा है। मजबूरी में उसको रजिस्ट्री करानी पड़ती है डीएलसी रेट पर। आपके तीन साल पहले के जो जमीन के भाव थे और आज इस साल भाव है, आपमें से जितने लोगों ने भी कहीं प्लॉट लिया होगा, रेट घटी है या नहीं घटी है? (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, डीएलसी की रेट किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए बढ़ाई गई है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजिये। आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजें। आप विराजो तो सही। आप विराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): केवल सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों ने बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा):किसानों को फायदा देने के लिए बढ़ाई गई है पर इस बात को..... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले सत्तारूढ़ पार्टी के लोग बैठे हैं..... (व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): किसानों को जमीनों का फायदा देने के लिए डीएलसी की रेट में परिवर्तन किया गया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। राठौड़ साहब, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं, कोई हठधर्मी से नहीं, मैं हठधर्मी से नहीं कह रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब, विराजिये। राठौड़ साहब, विराजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बहुत आदरपूर्वक आसन के प्रति भी और माननीय सदस्यों के प्रति भी पूरे आदरभाव से कह रहा हूं डीएलसी रेट इन सात साल की इस पूरे के पूरे लोकतंत्र में कभी राज्य सरकार ने बढ़ाई है? कभी राज्य सरकार एक साथ डीएलसी रेट बढ़ाती है? स्थान-स्थान के आधार पर जमीन की कीमत बढ़ती है और

घटती रहती हैं और उसके आधार पर बढ़ती हैं। आपने तो एक फरमाननामा यहां से जारी कर दिया है कि जयपुर में 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा और बाकी जगह 10 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। वहां 10 प्रतिशत की बिक्री भी होती है या नहीं होती है? आपने तो सारा ही कर दिया और कहने के लिए क्या कि हमने स्टाम्प ड्यूटी घटाई। स्टाम्प ड्यूटी घटाकर आपने एक पाप और किया जिसको आपको भुगतना पड़ेगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी) पहले महिलाओं के नाम से तीन प्रतिशत का डिफरेंस करने के कारण से आप अपना रिकार्ड उठाकर के देखना जहां रजिस्ट्रियां हुई हैं और मैक्जिमम रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम से दर्ज हुईं। पहली बार महिलाओं को कम से कम इतना हक मिला कि प्रोपर्टी से उसको जोड़ा गया। आप फिर वापस उसी एक प्रतिशत पर ले आये तो कौन महिलाओं के नाम करायेगा? न आप करायेंगे न मैं अपनी पत्नी के नाम से कराऊंगा। एक प्रतिशत का जब सवाल है तो मैं अपने नाम से ही कराऊंगा, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। तो आपने महिलाओं के साथ न्याय किया है क्या? इस डीएलसी रेट को जिस ढंग से किया, फिर से विचार करिये, जिद्द मत करिये, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जिद्द मत करिये, फिर से विचार करिये और विचार करके इसको तय करने का करिये। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) सम-अप करें माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): बहुत जल्दी। मैं कभी भी समय की अवहेलना नहीं करूंगा। एक मिनट।

श्री सभापति: समय काफी हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं जल्दी कर रहा हूं। आपने 8 घंटे बिजली की घोषणा की है। पिछला घोषणा पत्र भी उठा लो 98 वाला और इस बात का भी घोषणा पत्र उठा लो, आपने 8 घंटे बिजली दी या नहीं दी? और उसके बाद भी आपने क्या कहा है कि चुनाव घोषणा पत्र दोनों का देख लें, मैं आपको आगे पढ़कर के बताऊंगा और आप सब लोगों ने बड़ी जोर से तालियां पीटी थी। आपको ध्यान है न 945 मेगावाट हम वर्ष 2010 तक नये जनरेशन कर देंगे। मुझे कृपा करके यह बता देना कि यह स्कीम कब शुरू हुई और इसका एंड कब हुआ। सूरतगढ़ की छठी इकाई कब प्रारम्भ हुई और कब उसका एंड हुआ? कोटा की सातवीं इकाई कब शुरू हुई और कब इसका एंड हुआ? छबड़ा की पहली और दूसरी इकाई कब हुई? यह कोई चार महीने और छह महीने में बिजली पैदा हो जाती है जो तालियां पीटी थीं 945 मेगावाट की? वो वास्तव में हमारी सरकार की उपलब्धि थी, केवल आपने अपने खाते में लिखने का प्रयास किया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। सम-अप करें साहब अब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दो मिनट।

श्री सभापति: आपके अलावा 11 सदस्य और बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप बोलेंगे इतनी देर में मैं खत्म कर बैठ जाऊंगा। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपने कहा न कि हम 77 हजार नौकरियां देंगे। 77 हजार नौकरियां और सब लोगों ने देखा कि अब राजस्थान के तो भाग्य खुल जाएंगे।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में कितनी योजनाएं स्वीकृत थीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये बोलने ही नहीं देंगे क्या? यह क्या तरीका है सभापति महोदय? (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): बाँध का शिलान्यास किया और 18 पशु मर गये और 50 हजार आदमियों ने..... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। माननीय सदस्य विराजो।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): भिण्ड बाँध योजना जो आपने बनाई...

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, यह 77 हजार नौकरियों की बात कह कर के राजस्थान के लोगों को जो भ्रम में डाला है, आप समय इतना ही दे रहे हैं, बाकी चंदन मल जी ने भी ऐसा का ऐसा भाषण दिया था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, हमने 58 साल की उम्र कर दी, रिटायरमेंट की एज हो गई, हजारों लोग नौकरी से निकलेंगे, एक चपरासी भी उस समय भर्ती हुआ हो तो मुझे उसका नाम बता देना मैं मान जाऊंगा कि आपकी सरकार ने वास्तव में भर्ती की या उस नौजवान को धोखा देने का काम किया। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे सीनियर मैम्बर बोल रहे हैं, हमारे समय में बोल रहे हैं। (व्यवधान) हमारा समय आप काट लेना। यह कोई बात हुई क्या?

श्री सभापति: सम-अप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं दो मिनट में करता हूँ। यह 77 हजार की जो भर्ती की बात करते हैं यह बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें 17229 शिक्षक हैं, इनकी भर्ती तो सर्व शिक्षा अभियान में जो पैसा हमें मिला था और हमने वैकेंसी निकाली थी। 84 हजार की भर्ती पहले कर दी थी, 37 हजार की भर्ती में हमने शिक्षाकर्मी को नियमित शिक्षक बनाया, पैरा टीचर को नियमित शिक्षक बनाया और यह वैकेंसी आरपीएससी में

उस समय से भेजी हुई है। बच्चों ने उस समय से फार्म भरे हुए हैं। इसमें आपने क्या नवाई है? आपने क्या किया इसमें कि आप अपने खाते में लिख दें 77 हजार। इसी तरह से आपने देखा होगा कि 16500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यह क्या तनखाह लेंगी? अभी तो आपने बजट में लिखा है कि हम 200 रुपये उस आंगनबाड़ी का बढ़ायेंगे और वो जो सहयोगी है उसका 100 रुपया बढ़ायेंगे तो जिसको आप पूरी तनखाह नहीं देते हो उसको आप 77 हजार में काउंट करके 16500 की गिनती उधर डाल दी। 11315 पंचायतों में पद भरेंगे, क्या हैं ये? सचिव है, पूरी तनखाह पर हैं या वैसे ही है 150-200-1500 या 2000 रुपये के, क्या हैं ये? यही भर्ती है न? इसी तरह से आपने 5000 एएनएम और 9184 कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदा में आयेंगे, ये हैं न 77 हजार की नौकरी में? इसी तरह से आपने देखा होगा कि 250 जेलर के बारे में कहा है तो जेलर की भर्ती तो हम निकाल चुके हैं, इंटरव्यू की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेने की तारीख तय हो गई थी और आपने अपने खाते में ले लिया। मैं आपको कह रहा हूँ कि 77 हजार में से 60 हजार भर्ती तो बेकार है जिसमें कोई 60 हजार भर्ती तो इस तरह से है। (समय समाप्ति सूचक घंटी) एक सैकण्ड, मैं कुछ नमूने के लिए बताता हूँ कि मैंने कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों का आप ही जवाब देना, मैं जवाब नहीं दूंगा। आपने अपने इस बार के घोषणा पत्र में लिखा है- पिछले पाँच वर्षों में भजपा सरकार की प्रमुख विफलताएं, पहली कौनसी, भाजपा सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वादा किया पर वर्तमान में 4-5 घंटे प्रतिदिन भी बिजली नहीं मिलती। हमारे टाइम पर एक भी आंदोलन नहीं हुआ। आप तो एक और दो घंटे भी नहीं दे रहे हो और घोषणा पत्र में हमेशा लिख रहे हो।.....

vkj/akt/13072009/1510/2k

हम आठ घंटे बिजली देंगे। सच आप बोलते हैं या सच हम बोलते हैं, इसका तो आप ही और सदन ही हिसाब निकालेंगे।

फिर दूसरी बात जो कही पेयजल संकट के बारे में, मैं पेयजल मंत्रीजी से कहता हूँ, आप अपने इस घोषणा-पत्र को पढ़ना और पढ़ने के बाद में राजस्थान की जनता से एक सवाल पूछना कि वास्तव में कई स्थानों पर सात दिन से एक बार पानी की आपूर्ति, पेयजल की पराकाष्ठा। यह हमारे टाइम में है? राजधानी जयपुर में भी प्रतिदिन शहर के लोगों को पीने के पानी के लिए आन्दोलन करना पड़ता है। प्रदूषित पानी की आपूर्ति लोगों के लिए गम्भीर समस्या बनी हुई है। दूषित पेयजल की आपूर्ति से अनेक व्यक्ति मृत्यु के शिकार हो गये तो भैया, यह आपने लिखा है, यह इसमें है, इसका जवाब आप

ही दे देना। आपके सात महीने से यह हूबहू प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। केवल शब्दों के लिखने से काम नहीं चलेगा, इसका हल निकालो। मेरी एक बात और है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। मुझे आपको बार-बार कहना, ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए निवेदन है आपसे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूँ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य। मैं आपसे सहयोग चाहूँगा। आपके अलावा 11 और माननीय सदस्य बोलने हैं। इनमें से या तो आप कट करके भेज दीजिये सचेतक महोदय कि कौन-कौन नहीं बोलेगा और उनका टाइम आपको दे दिया जायेगा। नहीं, यह कर दीजिये। नहीं, आप कर दीजिये। और फिर मैं आप जैसे वरिष्ठ सदस्य को नहीं कहता कि मैं बार-बार घंटी बजाऊँ लेकिन जो समय तय किया गया है, इसकी पालना तो आपको भी करनी पड़ेगी और आपको भी करनी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं आपकी भावना को समझकर यहीं बंद करता हूँ। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करके बजट की गहराई तक जाने का प्रयास करो और उसके आधार पर आलोचना करो, हमें कोई एतराज नहीं होगा यानी हमारे राज के कार्यकाल में और आपके राज का कार्यकाल जो पहले रहा है और इन्हीं मुख्य मंत्री का रहा है। उस पाँच साल की क्या दशा और दुर्दशा बनी, उसको ध्यान में रखकर और हमारे पाँच साल के कार्यकाल की तुलना करो, फिर उसकी आलोचना करो। लोगों को गुमराह करने के लिए यह डोकूमेंट बनाकर आप इसको भले ही प्रचारित कर सकते हो लेकिन सच इसमें नहीं है इसलिए मैं इस सदन से भी और प्रदेश से भी प्रार्थना करता हूँ और विशेषकर मेवाड़ की जनता से, उसका जिस तरह से अपमान हुआ है, जिस तरह से अनदेखी हुई है, निश्चित रूप से वह इस सरकार से यह सवाल पूछेगा कि मेरी जो देवास योजना थी, उसको आपने गर्त में डाल दिया। वह पानी तो समुद्र में जा रहा था, वह हम ला रहे थे टनल के द्वारा। जो पानी वेस्ट होकर समुद्र में जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए हम यह कह रहे थे। आप मुझे यह क्या कह रहे हैं? आप यह कह रहे हैं कि इस योजना को कोई आपने पैसा स्वीकृत नहीं किया। मैं आपको अभी चार्ट बताता हूँ कि हमने क्या इसमें किया है, क्या नहीं किया है। हर साल के बजट को आप उठाकर देखना, पाँच साल का जो बजट का पोथा है, उसमें 2006-2007 में 20 करोड़ रुपये का एलोकेशन है कि नहीं? उसके बाद 2007-2008 में 23 करोड़ रुपये का एलोकेशन है कि नहीं? उसमें से कितना खर्च हुआ और कितना आपने आर.ई. बनाया, वह सब उसमें खर्च है। 2008-2009 में भी हमने 1,300 करोड़ रुपये रखा है। अब तक हमने अपने बजट में

57 करोड़ रुपये रखा हुआ था और उसके अगैन्स्ट पाँच किलोमीटर की टनल बन गई, डैम का फाउंडेशन भर दिया। क्या आप चाहोगे कि आपने इस बजट में एक रुपया भी नहीं, एक पैसा भी नहीं रखा। उदयपुर की जनता के साथ और देवास योजना के साथ जिस तरह से राजनैतिक मखौल किया क्योंकि वह सुखाडियाजी ने योजना बनाई। इन सबके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि सुखाडियाजी आते हैं। मैंने उस योजना को सुखाडियाजी का नाम लेकर प्रारम्भ किया, कोई गुलाबचन्द कटारिया ने नहीं शुरू किया था 1965 में और वह भी समुद्र में जाने वाला पानी, जो साबरमती होकर समुद्र में जाने वाले पानी को डाइवर्ट करके 12 किलोमीटर की टनल से पानी ला रहे हैं और 1,400 एम.सी.एफटी. पानी डाइवर्ट होकर जिससे उदयपुर शहर ही नहीं, उदयपुर जिला ही नहीं, सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ और उसके नीचे मेजा तक को पानी की सप्लाई होगी। आप इस तरह से योजना को तो रसातल में डालते हो राजनैतिक वैमनस्यता के आधार पर। इस प्रकार से कभी भी प्रदेश का डवलपमेंट नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि इस पर फिर से विचार करो।

श्री सभापति: श्री कैलाश त्रिवेदी जी।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपकी सवाई माधोपुर की जो योजना थी, इसको पूरा नहीं किया। आपने अपने टाइम में क्या किया? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आप बोलो ना, किसने रोका है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, आप जब शिक्षा मंत्री थे और आपने जाखम का पानी बासोली में लाकर डालने की बात की थी, वह जाखम का पानी बासोली बाँध में कब आया? आप जब शिक्षा मंत्री थे, आपने कालेज खोलने की घोषणा की बड़ी सादड़ी में, तीन-तीन बार घोषणा की, क्या वह आपने पूरी की? आपने भिंड बाँध का शिलान्यास किया? क्या वह बाँध पूरा हुआ? आपने झूठे-झूठे वादे किये और आपने तो वह कहा... (व्यवधान) आपने तो छोटी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र को शोर्ट कर दिया उदयपुर संभाग से और फिर भी हम आपकी सेवा में तैयार हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान) प्रकाशजी, प्रकाशजी, आप बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। प्रकाशजी, बिराजिये। प्रकाशजी, बिराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): भैया, मैं सच बोलकर अपनी बात को कहता हूँ और पूरे मन से कहता हूँ। कोई ऊपर के मन से नहीं कहता हूँ। मैं जो घोषणा करता हूँ, उसको पूरी करता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। क्या बात करते हो आप।

श्री सभापति: बिराजिये, बिराजिये। बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, बजट पर बहस हो रही है और अभी माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से बोल रहे हैं। 2009-2010 का बजट भी मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया और इससे पूर्व भी बजट पेश हुए। उस बजट में और इस बजट में बहुत अन्तर है। अन्तर यह है कि उस बजट में शेर और शायरियां, हौंसले की उड़ानें, हवाई उड़ानें और इस बजट में जमीनी हकीकत। इस बजट में जमीनी हकीकत और मुख्य मंत्री ने धरातल की बात की है। यह इसमें और उस बजट में फर्क महसूस होता है और जो बजट यहां पेश हुआ है, इस बजट में एक आदर्श झलकता है। वह आदर्श झलकता है जो सभापति महोदय, आपके पीछे की ओर तस्वीर लगी हुई है जो हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके विचारों का आदर्श झलकता है, उनकी नीतियों का आदर्श झलकता है और इनकी नीतियों के तहत आम आदमी राजस्थान में कैसे इस बजट से लाभ प्राप्त करे, वह बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पेश किया है।

पूर्व के शासनकाल में सड़क के मामले में पूर्व सरकार ने 607 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इस सरकार ने 780 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और 5,000 किलोमीटर उन सड़कों को बनाया जायेगा जिन सड़कों पर पाँच साल में आपने भेदभाव किया। जो सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग 4 से 6 वर्ष में रिनुअल होने चाहिए, सुदृढीकरण का काम होना चाहिए लेकिन आपने राजनैतिक द्वेषता से उनको नहीं किया, वह 1,000 किलोमीटर सड़कें तो वह ली जायेंगी और 4,000 किलोमीटर सड़कों का इसमें जो प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान उन सड़कों का किया गया है जहां महात्मा गांधी का आम आदमी, गरीब बसता है, 4,000 किलोमीटर सड़कें ग्रामीण इलाकों में बनाई जायेंगी। ... (व्यवधान) बिराजो आप, बिराजो आप। बिराजो आप। 4,000 किलोमीटर सड़कें वहां बनेगी जो सड़कें आपने रिनुअल नहीं की। जो सड़कें गांव में गायब-सी हो गई, जिन पर सुदृढीकरण करने का, उन सड़कों को नवीनीकरण का काम किया जायेगा। 20 मार्च सोमवार के रोज मैंने इस विधान सभा में सवाल लगाया कि चित्तौड़गढ़ से पाली जाने वाली जो सड़क है, वह सड़क 11 वर्षों से रिनुअल नहीं हुई, न उसकी चौड़ाई बढ़ाने का काम हुआ, न उसका नवीनीकरण का काम हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि गुणावगुण और मंत्रीजी ने यह कहा कि आपका सवाल उपयोगी भी है, उपादेयता भी है, 50 से 60 किलोमीटर चित्तौड़गढ़-पाली की दूरी कम होती है लेकिन हमारे को भारत सरकार से पैसा मिलेगा तो ही इसकी चौड़ाई बढ़ायेंगे लेकिन इस बजट में जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसा रखा है, मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि इससे चित्तौड़गढ़-पाली की दूरी कम होगी और गंगापुर से करेड़ा होकर जो कौसल होकर रोड जा रहा है, इस रोड की चौड़ाई का कार्य जो पूर्व सरकार ने बार-बार मेरे आग्रह पर नहीं किया था, उस कार्य को किया जाये। पूर्व सरकार ने तो वह काम किये हैं... (व्यवधान)

शांति रखो, वह मंत्रीजी बैठे हैं, आप तो रुक जाओ, आपके पुराने समय के मंत्री बैठे हैं और अगर ज्यादा बोलते हो तो...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये। बिराजो आप। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये। बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बिराजिये आप। आपके शासन में मेरा जिला भीलवाड़ा, हमारे भीलवाड़ा जिले से हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे...

Jkj/akt/15.20/2I/13.07.2009

माननीय भीलवाड़ा के अभी वह सदस्य बोल रहे थे, कोई सड़क, कोई राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक धेला नहीं दिया गया। लेकिन मैं मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूँ कि भीलवाड़ा से जयपुर, बूंदी से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से कांकरोली की सड़क को करोड़ों रुपये इस बजट में जो प्रावधान किया है इसके लिए भीलवाड़ा जिले की तरफ से हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान) आप बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। आप बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): साथ ही मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अंदर धार्मिक स्थलों की सड़क को जोड़ने का काम किया है। वह धार्मिक स्थल जहां भगवान विराजमान हैं, जहां हर धर्म का, आस्था का केन्द्र बना हुआ है उन सड़कों को जोड़ने का बजट में प्रावधान किया है। आपकी सरकार ने घोषणाएं की थीं लेकिन कुदरत से आपके लोगों ने आपकी सरकार के मुखिया को खुद को ही भगवान बना दिया था, आप भगवान को ही भूल गये इसलिए भगवान ने आपको निपटा दिया और भगवान की पूजा और आस्था हमारे मुख्य मंत्रीजी ने रखी इसलिए हम इधर हैं और आप उधर हैं। साथ ही, सभापतिजी, जो बजट में राजस्थान रोडवेज की एक हजार बसें नई खरीदने का प्रावधान किया है, यह नई बसें उन गांवों में जायेगी जहां आज बसों की हालत खराब, न उनके शीशे, न उनकी सीटें हैं और यह आरामदायक सुविधा जो सरकार की नीति है उस नीति के तहत गरीब आदमी के गांव में जाये और वह भी उस अच्छी बस में यात्रा कर सके इसके लिए दो हजार कर्मचारी भी सरकार ने लेने का इस बजट में प्रावधान किया है, यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे जरूरी जो बात इसमें हुई है परिवहन विभाग में, माननीय सभापति महोदय, वह गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जो एक सपना लेता था कि मेरे बच्चे भी कार में बैठे, मेरे बच्चे भी कार के मालिक बनें, मैं भी कार का मालिक बनूँ लेकिन पूर्व सरकार के परिवहन मंत्री को मैंने कई बार लिख कर दिया,

उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्य मंत्रीजी का कि जो पुरानी कार दस लाख की गरीब आदमी अगर एक लाख में खरीदता था तो उसके ऊपर चार प्रतिशत टैक्स लगता था, चार प्रतिशत से बीस हजार रुपये और रजिस्ट्रेशन का लगने से वह मालिक नहीं बन सकता था लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने हजार सी.सी. की उस गाड़ी को दो हजार रुपये में मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के आदमी को उसके घर के बाहर खुद के नाम की गाड़ी खड़ी करने का जो तोहफा दिया है यह उनका स्वागत योग्य तोहफा है। इसके साथ ही मेरा एक निवेदन और भी है, पूर्व सरकार में भी मैंने मेरी इस बात को रखा था कि माननीय विधायक जो गाड़ी खरीदते हैं, माननीय आर्मी के आफिसर जो रिटायर्ड हैं, गाड़ी खरीदते हैं, केंट का जो रेट है तीस हजार रुपये या पैंतीस हजार रुपये या पच्चीस हजार रुपये लेकिन उस पर पाँच हजार टैक्स लेना या चार प्रतिशत से टैक्स लेना, यह न्यायोचित नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि माननीय विधायकों को जो वाहन मिले उस पर क्योंकि वह पुराना वाहन होकर के उसकी कीमत तय है तो जिस तरह से नये वाहन के ऊपर कर लगाया जाता है बिल को देख करके, वैसे ही उसकी इंडेंड को देख करके उसके टैक्स का रजिस्ट्रेशन हो ताकि वह हजार या आठ सौ रुपये में उसका रजिस्ट्रेशन हो सके, यह मेरा एक सुझाव है जिसको इसमें सम्मिलित करने का कष्ट करें।

बिजली के ऊपर माननीय सदस्य बहुत जबरदस्त बोल रहे थे। मैं आपसे निवेदन करूँ कि आपके पाँच साल के शासन में आपने कितनी बिजली पैदा की, अशोकजी गहलोट के पूर्व शासन में 1750 मेगावाट बिजली पैदा हुई और आपके पाँच साल के शासन में 330 मेगावाट बिजली आपने पैदा की और राठौड़ साहब, जाते-जाते आपको सम्पट आया कि जनता निपटा देगी तो तीन परियोजनाएं सेंक्शन की जो अब वह परियोजनाएं कम्पलीट होंगी और उससे वह 960 मेगावाट बिजली अब पैदा होगी, वह आप जाते-जाते कर गये जब आपको सम्पट आया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे खुद के सवाल के जवाब में आपकी सरकार के मंत्रीजी ने कहा है कि 1678 मेगावाट बिजली 2003-08 के बीच में पैदा हुई है। आपने मेरे सवाल के उत्तर में लिखा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नहीं है, आप देख लो। रिकार्ड देख लें। रिकार्ड देख लें। नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं टेबल कर दूँ। मैं टेबल कर दूंगा।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप प्रूव कर देना। आप प्रूव कर दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजो, बिराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): बिराजें। बिराज जाइये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द्र भिण्डा (विराट नगर): यह 1678 आपकी है..(व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें। आप बिराजें। (व्यवधान) बिराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): हमारी सरकार ने यह संकल्प लिया है और आते ही पावर के प्रोजेक्ट सेंक्शन किये और 2012 तक 5640 मेगावाट बिजली राजस्थान में पैदा होगी और वर्तमान में आज के हालात में सिर्फ 750 मेगावाट बिजली की राजस्थान के पास है जबकि 12 हजार मेगावाट बिजली आज हमको जरूरत है लेकिन 2012 में राजस्थान की वह स्थिति होगी कि कनेक्शन मांगते ही काश्तकार को कनेक्शन मिलेगा, बिजली जब हम पैदा करेंगे तभी यह व्यवस्था सुधरेगी। यह जो आज अस्त-व्यस्त व्यवस्थाएं हैं इसके जिम्मेदार आप हैं और थोप हमारे ऊपर रहे हैं, यह ऐसा चलेगा नहीं। माननीय सभापति महोदय, विद्युत के क्षेत्र में आप यह देखें, 72 घंटे में इन्होंने कहा कि हम ट्रांसफार्मर बदलेंगे, हालत यह रही कि ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलना बहुत बड़ी बात थी लेकिन एक ट्रांसफार्मर लगाते ही इनके घंटे-घंटे भर में जल रहे थे, आज भी इनके खरीदे हुए ट्रांसफार्मर की हालत यह है, जो सीएजी रिपोर्ट में भी आ गया है और उन ट्रांसफार्मर की हालत से किसान आज भी परेशान हैं। तो उस अटाले का कोई निपटारा हमारी सरकार करेगी, आप निश्चित रहो। साथ ही मेरा आपको यह कहना है कि विद्युत सुधार के क्षेत्र में 833 केवीए का जो बजट के अंदर प्रावधान किया, 833 केवीए के पावर ग्रिड स्टेशन बनाने का काम जो वर्तमान सरकार कर रही है जिससे काश्तकारों को बिजली की उपलब्धता पूरी होगी। इसके साथ ही हर पंचायत को उसमें से 11 केवीए की अलग से लाईन देने का जो बजट में प्रावधान है उस 11 केवीए की लाईन से किसान की लाईट की जो प्रोब्लम है वह दूर होगी और जो कटौती होती है, आज 15-20 पंचायतों में एक साथ कटौती होती है, वह कटौती पंचायतवार ही होगी, सिस्टम से होगी जिससे विद्युत में सुधार होगा।

हमारा आपसे यह निवेदन है कि पेयजल के मामले में पिछले पाँच साल से हम लोश आपको कह रहे थे कि भीलवाड़ा जिले की पेयजल की बड़ी हालत खराब है लेकिन भगवान की दया से न तो आपके मंत्रीजी, न मुख्य मंत्री साहिबा ने कोई ऐसी योजना भीलवाड़ा को दी, कभी गोंसुंडा से पानी ला रहे हैं, कभी कहां से लाने की बात कर रहे थे, वह कागजों में ही सिमटी रह गई लेकिन वर्तमान मुख्य मंत्रीजी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं भीलवाड़ा के लोग कि उन्होंने 1020 करोड़ रुपये की चम्बल से पानी लाने की योजना भीलवाड़ा जिले के 1600 गांव..(व्यवधान) बिराजो।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): चम्बल का पानी भीलवाड़ा को एक बूंद भी नहीं देने देंगे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): वह बाद की बात है, बिराजो आप। (व्यवधान) आपका वश चले, आप तो हमारे ऊपर गोलियां चला दो, और आपकी आदत में भी है और आपकी प्रेक्टिस में हैं आप लोग, ऐसी कोई बात नहीं। इस योजना से 60 कस्बे और 1600 गांवों को पेयजल की समस्या का निदान होगा। वर्तमान में गंगापुर की एक पेयजल योजना चल रही है वह अन्डरग्राउंड कुओं से पेयजल की सप्लाई होती है उस योजना में मेरे क्षेत्र की मांग है कि माननीय मंत्री महोदय, उस योजना में सरफेस वाटर जो है, एक फिल्टर प्लांट बना दें तो पेयजल की समस्या का काफी निदान हो सकता है, यह मेरा इसमें सुझाव है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): लगवा देंगे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या हुआ डाक्टर साहब? आप पाँच साल में एक डाक्टर नहीं लगा सके, आपको बोलने का राइट ही नहीं है। (व्यवधान) कुछ नहीं, आप खुद डाक्टर हो, बाकी डाक्टर लगाने में आप फेल हैं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगर पाँच साल में मैं डाक्टर नहीं लगा पाया तो आने वाले समय में कोई भी चिकित्सा मंत्री एक भी डाक्टर नहीं लगा पायेगा, असत्य बोलने से कोई फायदा नहीं है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): अब देखते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र चौधरी (बड़ी सादड़ी): आप जब डाक्टर थे, बड़ी सादड़ी में वह हालत थी उस हास्पिटल की, शायद आपके आने के बाद कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजें, बिराजें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): चिकित्सा के क्षेत्र में, डाक्टर साहब, आप बोल ही गये तो, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं आपसे निवेदन करूँ कि वह स्टेट बीपीएल जो इस सरकार ने घोषित किये.... (व्यवधान)

Lpm/akt/1530/2m/13.07.09

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ... (व्यवधान)... डॉक्टर को गांवों की झोंपड़ी में नहीं लगाये केवल महलों में लगाए हैं यह पीड़ा है हमारी, आज हमारे गांव के जो लोग हैं, शिक्षा के अभाव में आज भी मर रहे हैं, वह गांव का डॉक्टर गांव में नहीं गया, आकर शहर में ही रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो। माननीय सदस्य विराजो, माननीय कैलाश जी समाप्त करे आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कोई बात नहीं अब, आपकी सरकार में पूर्व बी.पी.एल सूचियां जारी हुई, पुराने बी.पी.एल जिनको कोई लाभ नहीं मिला, जिनको कोई व्यवस्था नहीं मिली, उन लोगों के नाम हटा दिए गए। स्टेट बी.पी.एल का इस बजट में प्रावधान रख कर और मुख्य मंत्री जी ने उनके इलाज की व्यवस्था की। साथ ही 537 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 540 डॉक्टर, 1400 पैरा मेडिकल स्टाफ, 5000 ए.एन.एम. यह सारा जो प्रावधान किया इससे चिकित्सा क्षेत्र में गांव के गरीब को कुछ लाभ हासिल होगा। इसके साथ ही आयुष भवन बनाने की बात आपने ने भी की लेकिन यह आयुष भवन जब इसमें सारे जो विभाग हैं, वर्तमान स्थिति यह है कि कहीं आयुर्वेद हॉस्पिटल भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, यूनानी भी हैं तीनों में डॉक्टर हैं और आयुष भवन बनने के बाद कम से कम सभी विभाग एक साथ होने से डॉक्टरों की जो समस्या है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

कहीं आयुर्वेद का है तो कहीं मेडिकल का है, अलग-अलग डॉक्टरों की व्यवस्था करके चिकित्सा सुधरेगी। साथ ही इसमें 9 आईसीयू, 18 ट्रोमा यूनिट, 24 जिला मुख्यालयों पर बर्न यूनिट के लिए जो प्रावधान है इससे भी आम आदमी को जो है चिकित्सा सुविधा में लाभ मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी के 26 नए ब्लॉक बनाने का जो प्रावधान रखा है इसमें 26 हजार 600 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति होगी, मानदेय में बढ़ोतरी की। साथ ही आंगनबाड़ी के अंदर जाने वाले बच्चे, स्कूल से कैसे जुड़े, स्कूलों में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए किया गया यह एक बहुत बड़ी इस बजट की खूबी है। साथ ही हरित राजस्थान योजना जो पक्ष और विपक्ष और पूरे राजस्थान की जरूरत है। उस हरित राजस्थान योजना में तरह-तरह की नर्सरियां लगेगी, तरह-तरह के प्लांटेशन के काम सभी के सहयोग से होंगे। लेकिन उन वनों जहां पर फोरेस्ट के अधिकारी नहीं पहुंच पाते वहां पर वन मित्र, जंगल के दोस्त बनाए जाएंगे, उनको मानदेय दिया जाएगा और जंगलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने का काम होगा। जिससे यह बारिश की प्रॉब्लम है, जो सभी की प्रॉब्लम है इसका समाधान होगा।

श्री सभापति: समाप्त करे माननीय सदस्य, समाप्त करे आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): वर्तमान में 1900 ग्राम पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय नहीं है। यह आपकी सरकार ने घोषणा की थी, आप कहते हो हम भेदभाव नहीं करते, मेरा आपसे यह कहना है कि आपने यह लिखा कि 3108 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें माध्यमिक विद्यालय खुलेंगे। राजस्थान की टोटल 3108 ग्राम पंचायतें यह थीं। आपने विद्यालय खोले, बहुत खुशी की बात है लेकिन उसको कौनसे तराजू में तोले?

इसका राजस्थान की जनता ने चुनाव में अंदाजा लगा लिया। आज स्थिति यह है कि 3108 के बावजूद भी 1900 ऐसे पंचायत हैडक्वाटर हैं या पंचायतें हैं जिनमें माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं। आपने मेरे इलाके में खोला, लिस्टे भी कालीचरण सराफ जी ने हम से मांगी लेकिन खोले कुछ नहीं। एक-एक पंचायत में राजनीतिक द्वेषता से तीन-तीन विद्यालयों को आपने क्रमोन्नत कर दिया लेकिन उन पंचायतों को आपने क्रमोन्नत नहीं किया। उसकी वजह से यह 1900 पंचायतों का इस बजट में प्रावधान रखा है। यह आपकी नीति की घोषणा, राजस्थान के उन गांवों को या जिसकी भरपाई यह सरकार कर रही है। 17 हजार 229 शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया आरंभ की, वह भी कर रही हैं, साथ ही एक हजार शारीरिक शिक्षक में यह सरकार से मांग करता हूं कि एक हजार नहीं, शारीरिक शिक्षक हर विद्यालय में माध्यमिक विद्यालय में हो। जिससे राजस्थान का बच्चा प्राइमरी स्टेज से ही एक शरीर के प्रति, खेल के प्रति एक रुझान पैदा हो और एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में राजस्थान का नाम रोशन करे और वह शारीरिक शिक्षक उसको बचपन से प्रशिक्षण दे। इसके लिए इस सरकार ने जो एक हजार शारीरिक शिक्षकों का प्रावधान किया है इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और हम यह चाहते हैं कि बाकी बची हुई ग्राम पंचायतों में सब जगह शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति हो।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करे आप। काफी सदस्यों को बोलना है, इसके अलावा 12 सदस्य और बोलने वाले हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): दो मिनट सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट का मतलब दो मिनट।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): स्टाम्प ड्यूटी के लिए माननीय वरिष्ठ सदस्य गुलाब जी कटारिया साहब डी.एल.सी दर के लिए कह रहे थे। मैं आपको निवेदन करूँ मेरे क्षेत्र में डी.एल.सी की दर आठ प्रतिशत, स्टाम्प ड्यूटी 8 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दी गई और 5 प्रतिशत की बजाए महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत की। इससे प्रति एक लाख मिलिक्यत के ऊपर पुरुष को 2500 रुपए का फायदा हुआ और महिलाओं को 600 रुपए का फायदा हुआ। मेरे यहां डी.एल.सी दर बढ़ने के बावजूद फायदा हुआ है। तो मैं यह मानता हूँ कि ...(व्यवधान)... एक लाख रुपए के ऊपर मेरे क्षेत्र में फायदा हुआ है.....

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य विराजो।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इसलिए इसको भी मैं स्वागत योग्य मानता हूँ। आप एनालिस करा ले, यहां हल्ला नहीं करे, एनालिस करा ले और उसके बाद मैं आप बोले ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजे। माननीय सदस्य विराजे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): नरेगा योजना, माननीय सभापति महोदय यह सोच कांग्रेस के उन नेताओं की है, हमारा हिन्दुस्तान, हमारा राजस्थान आजादी के बाद चाहे हमारी सरकारी रही हो, चाहे विपक्ष की सरकार रहे, विकास के काम करते-करते दो भागों में हो गया। एक गांव का राजस्थान, एक शहर का राजस्थान। उस शहरों और गांवों के फासले को मिटाने के लिए नरेगा योजना गांवों में लागू की गई ताकि नरेगा से आम आदमी का जीवन स्तर बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, उसको सारी सुविधाएं मिले...

श्री सभापति: मेरे पास घड़ी है, मेरे सामने घड़ी है। आप विराजे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): लेकिन मुझे दुःख इस बात का है कि तीन साल से आपकी सरकार में, आप लोगों ने इस नरेगा का पूरा भट्ठा बिठा दिया था, नरेगा योजना की वह हालत हो गई कि 40 प्रतिशत मेटेरियल राशि, 60 प्रतिशत लेबर कंपोनेंट तीन साल में न तो आप किसी जिला स्तर पर खर्च कर पाये, न आप किसी प्रदेश लेवल पर खर्च कर पाये, जो मंत्री महोदय ने आपको अपने बजट में दिया था....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

अब नरेगा के माध्यम से परिसंपत्तियां स्थापति हो यह प्रावधान इस बजट में रखा है। मेरा यह सुझाव है कि नरेगा में बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम बने, स्कूलों की चारदीवारी बने, सार्वजनिक कुआं बने, चरागाहों में कुएं बने और....

श्री सभापति: यह सब पंचायती राज की डिमाण्ड में बोल देना आप।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): और श्मशान घाट के अंदर ट्यूबवैल लगे। यह सारे काम इस नरेगा के अंदर बजट में जो परिसंपत्तियों का जो मुख्य मंत्री जी ने दिया है उसमें यह प्रावधान किया जाए।

श्री सभापति: वह डिमाण्ड पर बोल देना आप, अभी 12 और बचे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आप जिले से पड़ोसी, सीट के पड़ोसी फिर यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: पड़ोसी धर्म नहीं निभाना है, यहां कुर्सी का धर्म निभाना है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): कोई बात नहीं तो मैं आपका सम्मान करते हुए अपनी बात खतम करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नंद लाल मीणा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): डॉ. साहब पूर्व चिकित्सा मंत्री जी आप पाँच साल मंत्री रहे और धुआंधार मंत्री रहे। आपके दिल में कभी एक भावना नहीं आई कि क्या

हमारे गांवों में चुनकर आए हैं और 90 प्रतिशत लोग हैं, एक भी डॉक्टर को कभी आपने इंडिकेट किया क्या गांव में रहने के लिए?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह भी कहता हूं कोई सरकार, हिन्दुस्तान की सरकार गरीब के बारे में सोचकर के डॉक्टर को गांव में इंडिकेट नहीं करती ... (व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ... (व्यवधान) ... राजस्थान के इतिहास में यह पहला बजट होगा ... (व्यवधान) ... जहां एक भी पीएससी सेंक्शन नहीं की गई

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कभी नहीं कर सकती ... (व्यवधान) ... डॉक्टर साहब एक भी अगर नर्स दिखा दे ... (व्यवधान) ... एक नर्स भी नहीं रखी आपने ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजो, माननीय सदस्य विराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत...

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए आप।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): परिवर्तित बजट वर्ष 2009-10 में.....

भीम/अरुण/13.7.09/15.40/2n

राजस्थान के संवेदनशील क्षेत्र जिसमें जनजाति बाहुल्य संख्या है उसके लिए महाराष्ट्र पैटर्न के अन्तर्गत जो प्रावधान किये गये हैं वित्तीय प्रावधान उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र पैटर्न अनुसूचित क्षेत्र में ट्राईबल सबप्लान एरिया के पाँच जिलों में, माडा क्षेत्र के 18 जिलों में, माडा कलस्टर के 8 जिलों में और बिखरी हुई आबादी के राजस्थान के 31 जिलों में लागू है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में रहने वाली जनजातियों के बारे में आजादी के बाद से ही इनके शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार बराबर प्रयत्नशील रही है परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह महसूस किया कि इन आदिवासियों का शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास वर्तमान चालू बजट के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं है इनको विशेष पैकेज की आवश्यकता है और इस दृष्टि से उन्होंने 1992 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया। सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी यह महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो, आदिवासी क्षेत्रों का त्वरित विकास हो, इनका सर्वांगीण विकास हो इसके लिए 15 अक्टूबर, 2000 में

स्वर्गीय गुलाबसिंह जी शक्तावत की अध्यक्षता में राजस्थान में भी एक कमेटी गठित की गयी। राजस्थान में महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो, महाराष्ट्र पैटर्न का मतलब यह है कि राज्य के वार्षिक बजट का आठ प्रतिशत भाग राशि आदिवासी क्षेत्रों के लिए, आदिवासी जनसंख्या के लिए अलग से पृथक से जनजाति विकास विभाग को दी जाए ताकि उनका विकास हो सके। इसी तरह से राजस्थान में उस वक्त शक्तावत साहब कमेटी ने राजस्थान के बारह विभागों का चयन किया और इन विभागों में आठ प्रतिशत राशि जनजाति विकास विभाग को मांग संख्या 30 के माध्यम से आईडेंटिफाई की गयी, चिह्नित की गयी उनको ईयरमार्क किया गया कि यह जनजाति विकास विभाग के माध्यम से होगा और ट्राईबल एडवाइजरी काउन्सिल जिला स्तर पर जो समितियां बनेगी उन समितियों के माध्यम से योजना बनेगी और उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जनजाति विकास विभाग, राजस्थान उसकी स्वीकृति जारी करेगा।

सभापति महोदय आज स्थिति क्या है जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण के खंड 87 में यह कहा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जनजाति उप योजना क्षेत्र की योजनाओं की क्रियान्विति हेतु महाराष्ट्र पैटर्न हेतु सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अभी गुलाबचंद जी कटारिया साहब यह बता रहे थे सभापति महोदय कि किस प्रकार मेवाड़ के साथ पक्षपात हुआ इस बजट में, मैं भी उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है, संवेदनशील प्रश्न है जहां पर वो आदिवासी समाज जो अपनी समस्याओं के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, वो अपनी समस्याओं को और अपने साथ किये जा रहे भेदभाव को यहां तक सदन में अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकता केवल अगर आवाज पहुंचती है तो वहां के जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उनके माध्यम से पहुंचती है। मुझे यह कहते हुए बड़ी विडम्बना है इस बात की कि हमारे माननीय सदस्य जो भूतपूर्व मंत्री थे वर्ष 2000 में जनजाति विकास विभाग के मंत्री थे माननीय श्री दयाराम जी परमार साहब, परमार साहब ने भी अथक प्रयास किये और भी मंत्री आये, करते रहे परन्तु सभापति महोदय, ये प्रशासनिक अधिकारियों की नीयत का सवाल है। मैं किसी मंत्री पर यह आरोप नहीं लगाना चाहता कि उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया होगा। वर्तमान मंत्री भी महाराष्ट्र अभी फिर गये थे परन्तु सवाल सभापति महोदय, यह है कि आदिवासियों को जो पहले दया का पात्र समझ कर उनके विकास के लिए काम करते थे आज द्वेष की वजह से उनके लिए जो राशि का आबंटन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। अब मुख्यमंत्री जी ने केवल ट्राईबल सबप्लान के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया। अब मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 14 विभागों में आठ प्रतिशत राशि टीएसपी एरिया के लिए आरक्षित होनी चाहिए केवल सौ करोड़ रुपये आबंटित करके यह करने की

कोशिश की है कि जिसे कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। आज की तारीख में शिक्षा की दृष्टि से, सिंचाई की दृष्टि से उसके अलावा बिजली की दृष्टि से, माइनर इरिगेशन की दृष्टि से, फारेस्ट की दृष्टि से हर क्षेत्र में ट्राईबल सबप्लान का आदिवासी पिछड़ा है और योजनाबद्ध तरीके से अंग्रेजों के टाइम से लेकर रियासतों के टाइम तक और आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी योजनाबद्ध तरीके से उन लोगों को पिछड़ा रखने के प्रयास किये जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है सभापति महोदय, आठ प्रतिशत राशि नहीं दी जा रही है अब जो भी है जो जिलास्तरीय कमेटी होनी चाहिए जो प्लानिंग करेगी कि जिले में किस प्रकार के कार्यक्रमों को हाथ में लेकर आदिवासियों का उत्थान किया जाए, न इंगरपुर में है, न बांसवाड़ा में है, न प्रतापगढ़ में है, न उदयपुर में है, न सिरोही में है, न सहरिया क्षेत्र में है किशनगंज, शाहबाद, बारां में और ये जो माडा क्षेत्र का इलाका है माडा कलस्टर का इलाका है, बिखरी हुई आबादी का इलाका है यह सही है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है कि बिखरी आबादी के सारे इलाके को छोड़ कर जहां पर बिखरी आबादी के राजस्थान में 31 जिलों में से सबसे पहला जिला जोधपुर का चयन किया। जहां पर पूरे राजस्थान में बिखरी आबादी की 22 प्रतिशत पापूलेशन ट्राईबल्स की रहती है। इन्होंने वहां पर छात्रावास खोला। होना तो चाहिए था सागवाड़ा, इंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में होता और इसके हिसाब से सभापति महोदय, ये भी देखिये उदयपुर जिला कितना बड़ा है। उदयपुर जिले में शिक्षा की दृष्टि से किस ढंग से उत्थान किया गया है अब तक वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनजाति जनगणना के अनुसार बांसवाड़ा जिले में सभापति महोदय, कुल जितने भी छात्रावास हैं जिनमें 1650 विद्यार्थी छात्र स्वीकृत हैं उनमें से 550 लड़कियां हैं मतलब शिक्षा में लड़के और लड़कियों की असमानता है। तीस प्रतिशत केवल लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है बांसवाड़ा में, इंगरपुर में पढ़ाया जा रहा है बीस प्रतिशत, उदयपुर में पढ़ाया जा रहा है पैंतीस प्रतिशत और प्रतापगढ़ में पढ़ाया जा रहा है पैंतीस प्रतिशत और सिरोही में 28 प्रतिशत। सभापति महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां पर अगर बालिकाएं पढ़ी-लिखी नहीं होंगी अगर बालिकाएं पढ़ी-लिखी होंगी तो सात-आठ पीढ़ियां तरेंगी उसकी। सामाजिक असमानता पैदा करने का प्रयास ट्राईबल सबप्लान एरिया में सरकार कर रही है इसलिए मैं चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप यदि कर सकें तो इनमें शिक्षा में जिस तरह से अध्यापकों में समानीकरण कर रहे हैं उसी तरह छात्रावासों की सुविधा में भी अगर आप समानीकरण कर सकें तो इससे बहुत बड़ा फायदा इस इलाके में होगा।

सभापति महोदय, ये महाराष्ट्र पैटर्न के हिसाब से पैसे का मामला था इसके अलावा पिछले साल अप्रैल में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उदयपुर संभाग के वनाधिकार के मामले को लेकर काफी ढिंढोरा पीटा गया। वेणेश्वर में 2 अप्रैल, 2008 को

माननीय श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में एक विशाल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उदयपुर संभाग में सक्रिय किया गया कि 2006 में जो कानून बना है वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जिसमें जंगलात की जमीन पर उनके कब्जे हैं उनको खातेदारी हक दिया जाए। भारी तादाद में बेणेश्वर में सम्मेलन हुआ। हर जिले से लोग वहां पर पहुंचे परन्तु आज दस महीने होने को आये सभापति महोदय, मैं आपको एक-एक जिले के बारे में संख्या बताऊंगा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पंचायत स्तर तक जाकर जिन आदिवासी भाइयों के जंगलात की जमीन पर कब्जा था अथवा नहीं था उन लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित किया उकसाया गया और जिनके कब्जे नहीं थे उनको जंगलात की जमीन पर जबरन कब्जा कराया गया। ये प्रकाश चौधरी जी बैठे हुए हैं अपने सामने बड़ी सादड़ी के विधायक इन्होंने तो प्रतापगढ़ में धरना दे दिया जंगलात की जमीन पर सीता माता गेम्स सेंकचुरी में कब्जा कराया। आज क्या हुआ आवेदन ... (व्यवधान)...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति जी, ...।

श्री सभापति: विराजें-विराजें। आप बोलने तो दो। पूरी बात सुनो।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सदस्य, +++ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं।

श्री सभापति: पूरी बात सुनो।

कैलाश/अरुण 13.07.09 15.50 (1) 20

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, सदन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा 2006 में जब यह कानून बना उस समय तीन महीने में उन गरीब आदिवासियों को जमीन के पट्टे देने थे, दो साल तक पिछली सरकार सोती रही उन आदिवासियों का शोषण करती रही उसके बावजूद भी काम नहीं हुए। हमने धरना दिया, हमने चक्काजाम किया, हमारे पर 13 मुकदमें लगाये मुझे इस बात की चिंता नहीं है लेकिन हमने उन आदिवासियों के फार्म कम्प्लीट करवाये। हरेक फार्म के 800-800 रुपये इनके कार्यकर्ता ले रहे थे, इनके अधिकारी ले रहे थे। साढ़े चार हजार रुपये एक बीघा आबंटन करने का या फार्म भरने का इनके अधिकारी ले रहे थे। मुझे तकलीफ हुई मैंने गाड़ियां लगाई, गाड़ियां लगा कर उन आदिवासियों को जिला मुख्यालय पर पहुंचा कर जिनका कब्जा था उन सबको मैंने खड़े रह कर 15 दिन तक 25 गाड़ियां चला कर,

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

25 बसें और 40 ट्रैक्टर लगा कर मैंने उन आदिवासी भाइयों को सम्मानित करते हुए उनके फार्म भरवाये ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, किस ने ट्रैक्टर लगाये, किसने गाड़ी लगाई, कितनों को फार्म भरवाये उस पर मैं नहीं जाना चाहता परन्तु मैं इस बात पर जाना चाहता हूँ कि बांसवाडा जिले में इसी तरह से फार्म भरवा कर 16890 आवेदन आदिवासियों से वहाँ पर सब्जिट करवाये गये और आज 30 जून 2009 तक केवल बांसवाडा जिले में 646 आदिवासी काश्तकारों को खातेदारी राइट दिये गये हैं । 16 हजार में से 600 और इसी तरह से प्रतापगढ़ में 15777 आवेदन आये और 15777 के विरुद्ध केवल 178 आदिवासी काश्तकारों को खातेदारी राइट दिया गया । सभापति महोदय, इंगरपुर में 6285 आवेदन जिला कलेक्टर को प्राप्त हुए और इंगरपुर में केवल 1460 आदिवासी जो जंगलात की जमीन पर काबिज थे उनको खातेदारी राइट मिले । उदयपुर में 10442, यह ट्राइबल सब प्लान की बात कर रहा हूँ जिसमें गोगून्दा और यह शामिल नहीं है । चित्तौडगढ़ जिले में आपका इलाका और बड़ी सादडी का इलाका शामिल नहीं है। उदयपुर में 10420 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 398 काश्तकारों को खातेदारी राइट दिया । इसी तरह से सिरोही में 174 आवेदन आये परन्तु एक भी काश्तकार को खातेदारी राइट नहीं मिला । सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ आज की तारीख में जिन लोगों से आवेदन लिये गये एक एक आवेदक से प्रकाश जी के जो चले चाटी विधान सभा क्षेत्र पंचायतों में थे एक एक फार्म के लिये 200-200 रुपये वसूल किये गये और आज इसी का परिणाम है कि आजकल यह प्रतापगढ़ इलाके में आते नहीं है ।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादडी): सभापति महोदय, इसी का परिणाम है कि गुलाब चंद जी जैसे वरिष्ठ सदस्य बड़ी सादडी छोड़ कर भाग चुके हैं और सांसद श्रीचंद कृपलानी ने नोमिनेशन फाइल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी सादडी विधान सभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव लड़ने के लिये उन्होंने 15 दिन तक प्रचार किया उसके बाद इनके पूर्व मुख्य मंत्री जी के पाँव पड़े कि मेरे को 50 हजार से प्रकाश चौधरी सलटा देगा, सभापति महोदय, मुझे शर्म आती है यह बात कहते हुए कि आपके सामने भी 12 हजार से श्रीचंद कृपलानी सलट गये । आपके बड़े स्टार नेता मानते हैं आप जो बड़ी सादडी विधान सभा क्षेत्र छोड़ कर चित्तौड गये हैं । अगर ऐसी स्थिति हमारी होती तो आज कटारिया जी जैसे आदमी को फील्ड नहीं छोड़ना पडता, श्रीचंद जी जैसे आदमियों को फील्ड नहीं छोड़ना पडता और पूर्व जिला प्रमुख भैरोंसिंह जी जैसे व्यक्ति 27 हजार ... (व्यवधान)... और 84 हजार वोट मुझे नहीं मिलते । यह बात बिलकुल सत्य है। अगर यह सत्य है तो आप इसको मानिए । ... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आज सारे इलाके का डोडा चूरा ... (व्यवधान)...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): आपकी सरकार थी अगर प्रकाश चौधरी ने तस्करी की तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं उसको कठघरे में डाला, क्यों नहीं उसको जेल में बंद किया । ... (व्यवधान)... पिछली बार आपकी सरकार थी माननीय वसुंधरा जी मुख्य मंत्री थी और आप जनजाति मंत्री थे प्रकाश चौधरी ने गलत काम किया तो क्यों नहीं उसको जेल में डाला । इसका मतलब आप भी मेरे से मिले हुए थे ।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, इसको बंद कराओ ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सारे आदिवासी भाइयों को भ्रष्ट कर के चुनाव जीतने वाला (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य विराजिए ।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, प्रकाश जी चौधरी की बात पर ... (व्यवधान)... जो आरोप लगाये सदन में उसकी जांच करवाई जाये । ... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): ... (व्यवधान)... चुनाव हारने वाला ... (व्यवधान)... आ जाओ वहां प्रतापगढ़ में पता लग जायेगा ।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): आपने किया है, आपने किया है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य सचेतक महोदय खडे हैं आप विराजिए ।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): आपके मंत्री रहते हुए आपने भ्रष्टाचार किया है। ... (व्यवधान)... आपने ऐसी सड़के बनाई टाडा क्षेत्र में जो अगर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर पेशाब करे तो मेरे को ऐसा लगता है वह सारी सड़क टूट कर चली जाये । ... (व्यवधान)...

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): ... (व्यवधान)... डोडा चूरा का तस्कर ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आहूजा साहब विराजिए, आप विराजिए सचेतक महोदय बोल रहे हैं आप विराजिए । आपके वरिष्ठ नेता खडे हैं आप विराजिए । ... (व्यवधान)... आप विराजिए ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): उनको बैठाइए । पहले उनको बैठाइए ।

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए, राठौड साहब विराजिए । माननीय सदस्य विराजिए सचेतक महोदय खडे हैं विराजिए, विराजिए राठौड साहब, प्रकाश जी विराजिए । दोनों माननीय सदस्य विराजिए । ... (व्यवधान)...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): जिस सदस्य ने कहा है पहले यह साबित कर के बताये कि क्या प्रकाश चौधरी पर एक भी मुकदमा है या मैं साबित कर के बताऊंगा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप हैं । ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए आसन पैरों पर है विराजिए ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले सत्तारूढ पार्टी के सदस्य को बैठाइए ।

श्री सभापति: आहूजा साहब आप विराजिए ।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, ऐसे सदस्य को सदन में रहने का अधिकार नहीं है जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए । आसन पैरों पर है विराजिए ।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): इनकी सरकार थी यदि प्रकाश चौधरी तस्कर होता तो इनकी सरकार थी वह सो रहे थे, क्या कर रहे थे । ... (व्यवधान)...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ... (व्यवधान) ... हम ही सरकार चलायेंगे आपके बस की सरकार चलाना नहीं है । सरकार अब भी हम ही चलायेंगे । ... (व्यवधान)...

श्री सभापति: प्रकाश जी विराजिए । ... (व्यवधान)...

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ... (व्यवधान) ... सदन में ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सरकार अब भी हम ही चलायेंगे आपके बस की सरकार चलाना नहीं है ।

श्री सभापति: आहूजा साहब विराजिए । माननीय सदस्य एक मिनट विराजिए, सचेतक महोदय ।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया के नियम 272 (2) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेंगे । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको देख कर आप व्यवस्था फरमायें । माननीय सदस्य से भी निवेदन है कि सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तिगत दोषारोपण ना करते हुए जो हमारी गंभीर चर्चा चल रही है उसी पर बात करें ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्रकाश चौधरी के चले चाटी शब्द बोला है इसको एक्सपंज करवाने के लिये निर्देश दें ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): तो क्या हो गया, इनके चले चाटी नहीं है क्या ? बताऊंगा मैं ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए, प्रकाश जी विराजिए । मेरी सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है, अनुरोध है, निवेदन है कि सदन में बजट के ऊपर

चर्चा चल रही है कुछ बजट को अच्छा बोल रहे हैं, कुछ उसको आलोचना में शामिल कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों की भावना प्रकट करने का यह सदन है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है व्यक्तिगत स्तर पर आकर किसी माननीय सदस्य के ऊपर आक्षेप लगायेंगे तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया होगी। सदन अच्छी तरह से चले, 108 नये माननीय सदस्य चुन कर आये हैं। आज भी सत्ता पक्ष की ओर से और प्रतिपक्ष की ओर से कई नये माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना बाकी है। इसलिए मैं वरिष्ठ सदस्य महोदय से पुनः अनुरोध करूंगा कि आपका अनुभव लंबा है आप थोड़ा सा उन सब परम्पराओं का, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए बात कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। ... (व्यवधान)... प्रकाश जी विराजिए, अब आप विराज जाइए। मैंने व्यवस्था दे दी विराज जाइए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): ... (व्यवधान)... जिसने आरोप लगाया है उसका मेडिकल कराया जाये कि वह सदस्य शराब पी कर तो नहीं आये हैं।

श्री सभापति: आप विराजिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, अंत में मैं बजट में जो प्रावधान किया गया है उसके बारे में सरकार से उत्तर चाहूंगा कि क्या सरकार

ans/usc 16.00 2p 13.072009

आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए जो महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है उस महाराष्ट्र पैटर्न को यह सरकार ईमानदारी से लागू करना चाहती है या नहीं एक। नम्बर दो, आज की तारीख में वनाधिकार में जितने भी प्रार्थना पत्र आज तक और लम्बित हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है क्या उन पर सरकार पुनर्विचार करेगी यह जवाब कम से कम बजट के जवाब में सरकार की ओर से आना चाहिये। चूंकि लगभग 40 लाख आदिवासियों की जिंदगी का सवाल है और यह ऐसी संवेदनशील बात है जिसके बारे में कोई इस बात की चिंता नहीं करता केवल चिंता करते हैं वोटों को कैसे खींचा जाए। माननीय प्रकाश जी चौधरी शायद इस पर नाराज हो गए मेरा कोई यह इंटेशन नहीं है परन्तु सभापति महोदय, मुझे कष्ट इस बात का होता है कि चुनाव में हमारा पूरा आदिवासी इलाका मयखाना बना दिया जाता है, किस तरह से शराब के माध्यम से उनका ईमान उनकी नीयत खरीदी जाती है इसका मुझे अफसोस है (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय यह....

श्री सभापति: यह आपके ऊपर तो कहा ही नहीं। आपके ऊपर तो कहा ही नहीं। आप बिराजिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): माननीय सभापति महोदय, मेरे लिए जो....

श्री सभापति: आपके लिए (व्यवधान) खेद प्रकट कर रहे हैं आपके लिए , आप बिराजिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): मैं सबसे पहले ऐसे माननीय सदस्य जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं उनको सबसे पहले मेडिकल कराया जाए, क्या उन्होंने शराब पी रखी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बिराजिए। बिराजिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): क्या वह होश में है या बेहोशी में बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सभापति: बिराजिए। प्रकाश जी, बिराजिए, श्रीमती जकिया जी। प्रकाश जी, बिराजिए (व्यवधान) माननीय सदस्या बोल रही है। आप बिराजिए, प्रकाश जी । (व्यवधान) ऐसे नहीं चलेगा।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): इनका पहले मेडिकल करवाये। (व्यवधान) यह सदन का....

श्री सभापति: प्रकाश जी, आप बिराजिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादड़ी): आग्रह है आप से, माननीय सदस्य का मेडिकल करवाइये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजिए, आप बिराजिए। (व्यवधान) आहूजा साहब बिराजिए, आहूजा साहब बिराजिए मेहरबानी करके। (व्यवधान) जकिया जी। आप बिराजे, बिराजे। बिराजे माननीय सदस्य।

श्रीमती जकिया (टॉक): सभापति महोदय, राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा 18634 करोड़ का बजट पेश करने पर मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से और राजस्थान की जनता की तरफ से मुबारकबाद देती हूँ। नवम्बर-दिसम्बर में जब इलेक्शन में कांग्रेस पार्ट गई थी तो उसका एक घोषण पत्र था जिस पर मतदाताओं ने यकीन किया। उसी घोषणा पत्र की बदौलत आज गवर्नमेंट बनी है और घोषण पत्र को आधार मानकर ही बजट बनाया गया है। कथनी और करनी में कोई अंतर इस बजट को पढ़ने के बाद दिखाई नहीं देता है। बजट की सबसे बड़ी खूबी है कि यह समर्पित है, गांव के किसानों को, गरीबों को, मध्यम वर्ग को । बड़ों का तो सभी ख्याल कर लेते हैं मगर वह लोग जो अपेक्षित है उनका ध्यान रखना बहुत बड़ी सेवा में आता है। उसी को मध्यनजर रखते हुए सबसे बड़ा कदम है हर पंचायत के ऊपर एक 10वीं तक का स्कूल खोलना। इससे सबसे

बड़ा फायदा महिलाओं को होगा कि जब बच्चियां 8वीं पास कर लेती हैं तो उनके मां बाप माहौल को देखते हुए और लड़की होने का जो अहसास है उसको देखते हुए उनको 8वीं के बाद छोड़ा देते हैं। अब वह 10वीं तक पढ़ने के बाद अपने में इतना तो शहूर ले आएगी कि आगे पढ़ सके इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।

दूसरा मैं, सबसे बड़ी तकलीफ गांवों में हैं वह है एक मां को, जब उसका बच्चा बीमार होता है या फैमेली का कोई आदमी बीमार होता है और वह इलाज न करा सके इससे बड़ी कोई दूसरी तकलीफ हो ही नहीं सकती, इसी को देखते हुए हर मुख्यालय के ऊपर जो अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पर, उस पर इमरजेंसी उपकरण के लिए दस करोड़ रुपये सैंक्शन किया गया है। सबसैंटर काफी तादाद में खोले गये हैं और आगे भी खोले जाएंगे। ग्राम पंचायतों में विद्युतीकरण इसी साल से चलू किया जाएगा यह भी एक उपलब्धि है। यह उपलब्धियां जो मैं बता रही हूं यह घोषण पत्र में भी हैं उसी को अमल करके इसमें लिया गया है।

नौकरियों का अगर देखें तो 78000 नौकरियां, अचानक अगर एक आदमी के सामने बोला जाए तो सच में वह कुछ होश हवास सा खो देता है कि इतनी ज्यादा किस तरह से मैनेज किया गया होगा, मगर यह आम आदमी का ख्याल करके ही सफलता प्राप्त की गई है। वहीं उनका भी ख्याल रखा गया है जो आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक हजार रुपये में अपना घर छोड़कर, पति छोड़कर, बच्चे छोड़कर संविदा पर आंगनबाड़ी केन्द्र आती है उनको भी 200 रुपये बढ़ाये गये हैं, यह मार्मिकता का भाव है। सोचने की शैली है कि हर दुःखी की तरफ निगाह जाए और सहायिका के 100 रुपये बढ़ाये गये हैं। 98 में, यह सब काम करना काफी मुश्किल काम है, मगर जिसको काम की लगन होती है, जनता की सेवा होती है उसके लिए कभी भी कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैं दो लाइनें आपके सामने पेश करूंगी।

जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पर नजर है,
जब से चला हूं मैं, मेरी मंजिल पर नजर है,
राह में कभी मील के पत्थर नहीं देखे।

(व्यवधान) वाहवाही के लिए नहीं बोली। बीपीएल परिवार को जो सबसे बड़ी सुविधा है वह इलाज है, बाकी राशन का 25 किलो गेहू या 30 किलो गेहू मिल जाए यह इतना बड़ा मायने नहीं रखता लेकिन एक गरीब जो बिस्तर पर लेटा हुआ है उसका इलाज न करा सके इससे बड़ा कोई दुःख नहीं है। उस बीपीएल में दिल्ली तक इलाज कराने का प्रावधान मौजूद है और उससे बढ़कर जो लोग बीपीएल में छूट गये हैं उनको मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से मदद दी जाएगी यह भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है चाहे इसे विपक्ष माने या नहीं माने। अगर मैं उन लोगों का जिक्र न करूं तो ठीक नहीं होगा,

अल्पसंख्यक हिन्दुस्तान में ही पैदा होते हैं, हिन्दुस्तान में ही जवान होते हैं और हिन्दुस्तान में ही दफन होते हैं मगर आम समाज में भावना सैकण्ड ग्रेड के सिटिजन की होती है। यह भावना को दूर करने के लिए ही अल्पसंख्यक मामलात का एक मंत्रालय खोला जाने की घोषणा, दूसरा उसमें वक्फ विकास परिषद भी, उर्दू टीचर्स को लगाना माने उर्दू जबान को तवज्जो देना, जो काफी दिनों से इसकी मांग होती आई है। मायनोरिटी फाइनेंशियल कारपोरेशन 6 प्रतिशत के ऊपर उद्योग लगाने के लिए पैसा देता था उसमें 2 प्रतिशत सरकार देगी स्वागत योग्य कदम है।

में बोलना तो बहुत कुछ चाह रही थी मगर कटारिया साहब की वजह से मैं पहले महिलाओं पर आ जाऊं। मुझे बहुत तकलीफ हुई यह सुनकर जब कटारिया साहब जैसे सीनियर लीडर भी कह सकते हैं, सदस्य भी कह सकते हैं उन्होंने यह कहा कि स्टाम्प ड्यूटी, किरण जी भी नहीं आज उन्होंने भी कहा स्टाम्प ड्यूटी घटा देने से पुरुषों की जायदाद पर महिलाओं के नाम पर नहीं होगी। कितनी तकलीफदेय बात है जिसके साथ सात फेरे लिये, सात जन्म के बंधन बांधे और उसको सिर्फ इसलिए जायदाद कर रहे हैं कि आप की स्टाम्प ड्यूटी कम हो इससे बड़ी तो औरत की कोई बेइज्जती नहीं हो सकती। मुझे एक बात बताये जो औरत पुरुष को जन्म देती हो वह कमजोर कैसे हो सकती है, कैसे कमजोर हो सकती है, वह तो अहसास कराने की बात है समाज में कि वह कितनी ताकतवर है।

दुर्गा/चौहान 130709 1610 2q

नारी शक्ति को अगर सच में दर्शाना है तो उसे क्रान्ति का रूप देना होगा और वह कश्मीर से कन्याकुमारी तक देना होगा, इस सदन में नहीं। औरत अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं मनवा सकती, जब तक कि वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट न हो। उसको कमाने की जरूरत है। इसलिये नहीं कि वह घर चलाये, इसलिये भी नहीं कि वह शॉपिंग अपने आप कर सके। इसलिये कि वह कुछ कर सकती है, यह एहसास उसके अन्दर पैदा हो। सालों से दबाई हुई चीज को कुछ एहसास दिलाना भी जरूरी है। उसी के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाये गये थे। इसमें 2003 तक साढ़े छह लाख महिलाओं को 2000 रुपया कमाने का स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया था। औरतों के इतनी इज्जत, कटारिया साहब हैं नहीं यहां, मगर राजेन्द्रजी तो हैं, तो जब पिछले 5 सालों में क्या इस डिपार्टमेंट में एक पुरुष मंत्री को बैठाया गया, उस वक्त कभी कोई सजेशन नहीं दिया गया कि एक ही डिपार्टमेंट महिला का है, जो भी मुझे शर्म आती है कि महिला का डिपार्टमेंट क्यों होना चाहिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): राजेन्द्रजी को दिया जा सकता था, ऐसी बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह पते की बात बोली।

श्रीमती जकिया (टोंक): और किसी ने इस पर आब्जेक्शन नहीं किया। आब्जेक्शन नहीं किया, उसकी मुझे तकलीफ नहीं है। मगर मैं टोंक में जब जाती हूँ तो मुझे सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2 हजार कमाने वाली औरतों का वजूद ही दिखाई नहीं देता। क्योंकि दर्द कहां था वहां। दर्द ही नहीं था कि एक औरत कमाये। सभापतिजी, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मैंने एक औरत से पूछा था कि यह 2000 कमाने के बाद तुम्हें कैसा लगता है। उसका जवाब यह था कि लूगड़ी खरीदने के वक्त बीद से पूछना नहीं पड़ता। यकीन मानिये उसका कांफिडेंस मुझे आज भी याद है। वह सारे खत्म हो गये हैं। अब आगे बीनाजी कुछ करेगी, तब वह फिर से पुनर्जीवित होंगे। औरत को एक अज्म के साथ, एक हिम्मत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। 'न जाने मेरी मंजिल है कहां, अभी तो सफर का इरादा किया है।'

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दुबारा, दुबारा।

श्रीमती जकिया (टोंक): सुनिये,

'न जाने मेरी मंजिल है कहां,

अभी तो सफर का इरादा किया है,

न हारेंगे कभी जिंदगी में किसी से,

किसी से नहीं, खुद से वादा किया है।'

अभी माननीय कटारियाजी फरमा रहे थे कि आप लोगों के करम ऐसे हैं कि आप 156 से 56 पर आ गये थे। (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो, बहुत बात बोल गये वो। वह बोल रहे थे कि 156 से 56 पर आ गये। अब मैं आपको बताऊँ, टोंक में इतने एक्स-एम.एल.ए. और एक्स मिनिस्टर थे, सभापति महोदय।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, एक मिनट,

हमें अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था,

मेरी नाव वहां डूबी जहां पानी कम था।

श्रीमती जकिया (टोंक): एक मिनट, सभापति महोदय, टोंक में इलेक्शन के आखिरी चरण में 2003 में यहां के एम.एल.ए. और मंत्रियों ने एकमुश्त एक मंच पर खड़े होकर यह कहा कि जयपुर को जो पानी जाएगा वह हमारी लाशों पर से जाएगा। पब्लिक बहकावे में आ गई। राजेन्द्रजी, यह वही स्कीम है जो 2003 से पहले फाउण्डेशन-ले कर दिया गया था। मगर फाइनेंशियली सेंक्शन नहीं थी, इस बजट में आई है। 5 साल तक वह एम.एल.ए. और मंत्री गाड़ियों में घूमते रहे और पब्लिक प्यासी रही। और जब प्यास

में पानी मांगा तो क्या हुआ, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूं। और फिर इस पर कहते हैं। (व्यवधान) और फिर इस पर कह रहे हैं कि आप 156 से 56 पर आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर टोंक जिले के लोगों के उन अरमानों का क्या हुआ, जो झण्डी के नीचे आपको देखना चाहते थे।

श्रीमती जकिया (टोंक): जी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): टोंक जिले के लोग, टोंक का आम-वाम आपको मंत्री के रूप में देखना चाहता था।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है?

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह मेरी पार्टी की बात है। अभी तो अपन इस बजट पर डिबेट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, हमदर्द इधर भी बैठे हैं।

श्रीमती जकिया (टोंक): कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): हमदर्द ही होते तो आप इनके खिलाफ खड़े ही नहीं करते।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब चले गये कटारियाजी, वरना मैं चार लाइनें उनके लिये पढ़ने जा रही थी।

एक माननीय सदस्य: पढ़ दो, पढ़ दो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): नहीं, आप राजेन्द्रजी के लिये पढ़ दें।

श्रीमती जकिया (टोंक): चलो राजेन्द्रजी, डाक्टर साहब कहां हैं, डाक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): जो बैठे हैं, उन्हें नजर करें। जो नहीं हैं उन्हें छोड़ो।

श्रीमती जकिया (टोंक): तू इधर-उधर की न बात कर, राजेन्द्रजी सुना, तू इधर उधर की न बात कर, यह बता कि कारवां लुटा तो क्यों, मुझे रहजनों, रहजनों का मतलब काफिला लूटने वाले, और रहबर का मतलब लीडर। फिर से बोल रही हूं,

तू इधर-उधर की न बात कर,

यह बता कि कारवां लुटा तो क्यों,

मुझे रहजनों से गिला नहीं,

तेरी रहबरी का सवाल है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): नहीं, आपने बाकी का छोड़ दिया।

मैं बताऊं कि कारवां क्यों लुटा,

तेरी रहबरी पर मलाल था,

हमें रहबरी से मतलब नहीं,

लेकिन तेरी रहबरी पर फिर भी सवाल है।

श्री सभापति: आजाद साहब, आजाद साहब, (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शायरी का जवाब दो तो शायरी से देना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्रीमती जकिया (टोंक): अब आखिरी समाप्त कर रही हूँ, आखिरी समाप्त कर रही हूँ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, राजेन्द्रजी को बोलने का हक नहीं बनता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह बारबार कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): शायरी का जवाब शायरी से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुनिये।

तू जहाँ आज है, कल कोई और था,

यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): यह कोई अंताक्षरी हो रही है।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): तकदीर तो सौंप दी, तकदीर गुलिस्तानों की, जिनको दामन का पता है न गिरहबानों का।

श्रीमती जकिया (टोंक): और कुछ फरमाओगे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, सबका एक ही जोर है।

श्रीमती जकिया (टोंक): मैं समाप्त कर रही हूँ, मैं समाप्त कर रही हूँ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, एक ही जोर है, जंगल में पक्षी अनेक होते हैं, सबका ठिकाना एक होता है, जंगल में शिकारी अनेक होते हैं, सबका निशाना एक होता है, भाषाएं अलग-अलग होती हैं, सबका तराना एक होता है, दिल में हो प्यार तो जमाना एक होता है।

श्रीमती जकिया (टोंक): सभापति महोदय, अब मैं समाप्त कर रही हूँ। हम किसी भी कास्ट के हों, हैं तो हिन्दुस्तानी और परम्पराओं को मानते हैं। उसी तरह कदम को भी मानते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई और कच्चे तेल का भण्डार निकल आया। जिससे बेहिसाब लोगों को उन्नति में सहायता मिलेगी और यह एक वरदान साबित होगा।

रिफाइनरी के लिये जिस तरह कोशिश की जा रही है, मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी सफल होंगे।

जहां रास्ते ही नहीं, वहां राह में बनाऊंगा,
वो मेरे हौसलों से मिलें कभी, जिन्हें जिन्दगी की तलाश हो।

श्री सभापति: श्री भवानीसिंह राजावत। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, हम प्रतिपक्ष और पक्ष के सभी सदस्य 3 दिन से वर्ष 2009-2010 के परिवर्तित बजट पर बहस कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बजट की पुस्तिका, यह साधारण किताब नहीं है और नहीं कागजों का कोई पुलिन्दा है। यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मेरुदण्ड है।

Vps-usc-13.07.2009-16.20-3a-1

सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, कोई सी भी सरकार हो, यह प्रदेश की दिशा और दशा का दर्पण है और यह सरकार की इच्छा-शक्ति का आईना होता है। प्रदेश की तस्वीर कैसे बदले, लोगों की तकदीर कैसे बदले, योजनाओं का यह प्रतिबिम्ब भी है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है कि न तो यह आज के हालात में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मेरु दण्ड है, न उसमें कहीं प्रदेश की दिशा और दशा, न ही यह सरकार की इच्छा-शक्ति का आईना है और न ही कहीं प्रदेश को आगे बढ़ाने की योजनाओं का सुनहरा प्रतिबिम्ब है और मेरे सहाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य श्री त्रिवेदीजी ने जो कहा कि यह ऐसा बजट है जो धरातल का बजट है, पिछले बजट में कई शेर-शायरी होती थी लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई वरिष्ठ सदस्य यहां पर बैठे हैं। यह आजादी के बाद का पहला बजट है जो धरातल का नहीं इस राजस्थान को रसातल में ले जाने वाला बजट है। ... (व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ... (व्यवधान) ... गांवों में इतनी साइकल दिलाएंगे, शिक्षितों को खाता खोलकर पैसा देंगे, आज तक न खाता खुला और न कुछ हुआ। असत्य बोलने का ठेका सब ले लो। ... (व्यवधान)...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, कहने को तो यह बजट एक आम बजट, यानी कि आम आदमी का बजट है लेकिन माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्री के रूप में मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया और बजट राजस्थान की जनता के बीच में गया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी गया तो आम बजट, इस आम बजट में आम आदमी, आज भी तीन दिन हो गये बहस करते हुए लेकिन राजस्थान का आम आदमी अपने आपको इस आम बजट में ढूँढ रहा है। बहुत उम्मीदें थीं राजस्थान के

गरीब किसान को, गांव के एक व्यक्ति को कि मैंने सरकार चुनी है और मेरे द्वारा चुनी हुई मेरे सपनों की सरकार, मेरे सपने साकार करेगी। कहीं आज जो महंगाई है, महंगाई से मुक्ति देगी और इस महंगाई की मार में कहीं कई परिवार के बच्चे आधी रोटी खा कर सोते हैं, भूखे सोते हैं, उनको भरपेट भोजन देंगे। कहीं बुढ़ापे का सहारा बनेगी। कहीं परिवार का कोई व्यक्ति अगर बेकार है तो उसके हाथ को रोजगार देगी। हरियाली, खेतों में हरियाली और कहीं हमारे चेहरों पर खुशहाली लाने का प्रयास करेगी लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस बजट ने आम आदमी के अरमानों को चकनाचूर कर दिया और मैं तो कहना चाहूंगा कि मानसून की वर्षा तो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, ईश्वर, इन्द्र देव के ऊपर निर्भर है लेकिन उम्मीद थी राजस्थान को, प्रतिपक्ष के नाते हमें भी उम्मीद थी कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, कहीं प्रकृति ने तो मानसून की वर्षा नहीं की क्योंकि 'अशोकजी' और 'अकाल', दोनों साथ-साथ आते हैं और साथ-साथ जाते हैं लेकिन कहीं मुख्य मंत्रीजी इस अच्छे बजट से, कहीं राहत की वर्षा राजस्थान की जनता के ऊपर, राजस्थान की धरती के ऊपर कर सकते थे लेकिन आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वह राहत की वर्षा मुख्य मंत्रीजी ने नहीं की और इस बजट को देखकर पूरे राजस्थान में आहत की आंधी चल रही है। पूरा राजस्थान आज आहत है इस बजट से और आज देश की जनता और देश के बुद्धिजीवी लोग, जागरूक लोग आश्चर्यचकित हैं कि जो राजस्थान पाँच वर्ष के शासन में, वसुन्धराजी के मुख्य मंत्री, पूर्व मुख्य मंत्री- वसुन्धराजी जब थीं, उनके शासन काल में यह राजस्थान जो वर्षों से पिछड़ा हुआ राजस्थान था, तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ राजस्थान विकसित प्रान्तों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया लेकिन जब बजट को देखा हिन्दुस्तान के लोगों ने देखने के बाद आश्चर्यचकित हुए कि यह कैसा बजट है, जो राजस्थान विकसित प्रान्तों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया था, इस बजट के बाद मैं राजस्थान पीछे चला जाएगा। पीछे जाता जाएगा और चाहे राजनीतिक दुर्भावना हम में भी हो सकती है, मेरे पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों के मन में भी हो सकती है लेकिन राजनीतिक दुर्भावना मन से निकाल कर माननीय सभापति महोदय, आज जितने भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं और आप स्वयं भी अगर मन से सोचें, पवित्र भाव मन में रखें तो पिछले पाँच वर्ष के शासन में राजस्थान ने जो प्रगति की और वसुन्धरा राजेजी ने इस राजस्थान के माथे पर जो कलंक लगा हुआ था, 'बीमारू' का जो कलंक लगा हुआ था, राजस्थान के माथे पर कंगाली का, उस कलंक को धोकर राजस्थान के माथे पर जो खुशहाली का चन्दन लगाया, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान का नाम पूरे हिन्दुस्तान में महकने लगा और यह राजस्थान की धरती पर कल्पना नहीं कर सकते थे कि 01 लाख 62 हजार करोड़ का निवेश करने के लिए देश और विदेश के लोग

राजस्थान की धरती पर आ जाएंगे। हम सोच भी नहीं सकते थे। रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आठ लाख लोग, कहीं सरकारी सेवाओं में, कहीं निजी सेवाओं में, कहीं गैर-सरकारी सेवाओं में, राजस्थान की धरती पर रोजगार का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मेरे अनुज भाई प्रताप सिंहजी खाचरियावास, सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास ने अपने प्रभावी भाषण में कहा कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट में 75 हजार लोगों को नौकरी की बात कही है। बात सच है प्रतापसिंहजी, क्योंकि यही मुख्य मंत्री थे और आप और हम साथ-साथ राजस्थान की धरती पर राजनीति कर रहे थे। संघर्ष कर रहे थे और अशोकजी गहलोत ने पाँच साल के शासन में, ठीक कह रहे थे गुलाब चन्दजी कटारिया, वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं इस सदन के, मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन जब राजस्थान की धरती पर बेरोजगार नौजवानों के अरमानों को बेदर्दी से कुचला गया था तो आप और हम उस सरकार की मुर्दाबाद करते हुए कई बार अपन ने लाठियां खायीं, अपन जेल में भी गये और आज क्योंकि आप, आपकी छवि राजस्थान में एक जुझारू और एक स्वाभिमानी राजनेता की है, मुझे याद है, स्मरण आता है जब टिकट बनीपार्क से आपका फाइनल नहीं हुआ था और जब वसुन्धराजी ने मेरे से कहा कि प्रतापसिंहजी से कहो कि राजाखेड़ा से चुनाव लड़ लें लेकिन मैं दात देता हूँ, आज टिकट के लिए कोई कहीं भी जाने को तैयार होता है। माननीय सदस्य विधुडीजी दिल्ली से राजस्थान आ गये और हमारे आदरणीय नेता जसवन्त सिंहजी दार्जीलिंग चले गये लेकिन आप राजाखेड़ा नहीं गये। आप अपने उसूलों पर रहे लेकिन जब आप रोजगार की बात कर रहे थे, मेरे मन को पीड़ा हो रही थी, मेरे मन को दुःख हो रहा था और गुलाबजी भी कह रहे थे, कौनसा रोजगार, कौनसी 75 हजार नौकरियां राजस्थान की जनता को? पूरा बता दिया गुलाब चन्दजी कटारिया ने, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन जिस तरह के हालात राजस्थान की धरती पर मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत, आज जल संसाधन मंत्रीजी पूरे सदन में बात कर रहे थे, मैं स्वागत करता हूँ, स्पष्टवादी हैं, पूरी बात जो है राजस्थान में पेयजल का संकट है, उसके ऊपर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। यथार्थ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे लेकिन एक दिन आपने भी पढ़ा होगा माननीय, सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा होगा, मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान के मुखिया होते हैं, इस राजस्थान के परिवार रूपी, इस परिवार के मुखिया होते हैं, लेकिन एक दिन मुख्य मंत्रीजी का, एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने भाषण दिया और सार्वजनिक सभा में कहा, राजस्थान की जनता से कहा- 'आप ही बतायें, पानी आएगा कहां से?' एक मुखिया इस तरह का बेबस और लाचारी का बयान दे, असहाय का बयान दे, राजस्थान, यह वीरों की धरती है, यह संतों और सूरमाओं की धरती है, यह पराक्रमी योद्धाओं की धरती है और मुख्य मंत्री 6 करोड़ जनता का

प्रतिनिधित्व करने वाला एक सशक्त नुमाइन्दा, ऐसा बेबसी का बयान दे- 'पानी, यह कारखाने में पैदा नहीं होता है, पानी प्रकृति की देन है, पानी को रोकने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।' ठीक कह रहे थे माननीय सदस्य, देवीसिंहजी भाटी और पानी को रोककर भी बताया है, मारवाड़, चले गये जल संसाधन मंत्रीजी, चले गये हेमरामजी, धोरों की धरती पर, मारवाड़ में, चालीस साल से ज्यादा इस राजस्थान की धरती पर आपने राज किया लेकिन उस रेतीले धोरों की धरती पर पानी आये, इसके बारे में कभी विचार नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ और गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले पाँच वर्ष के शासन में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, हमने चार हजार करोड़ रुपये खर्च करके वह हिमालय का पानी जो इंदिरा गांधी नहर में बहता है, उस पानी को हम 450 किलोमीटर, हम नागौर तक लेकर आये। आप भी ला सकते थे। पानी को बचाने की, पानी को पहुंचाने की इच्छा-शक्ति होनी चाहिए।

शिव/Usc/13.7.2009/16.30/3b

और नर्मदा का पानी सांचौर से लेकर बाड़मेर के गुढामालानी तक लेकर गये। आप भी ले जा सकते थे, लम्बे समय तक राज किया। हमारे जीवराम जी, माननीय सदस्य बैठे हैं। हम दोनों साक्षी हैं उस ऐतिहासिक क्षण के ..(व्यवधान).. आपका नम्बर आये तब आप अपनी बात कहना। उस ऐतिहासिक क्षण के मैं और माननीय जीवाराम जी, हम दोनों साक्षी हैं जब नर्मदा नदी के नहर का गेट, उस पवित्र नदी का जब गेट खोला गया तो तीन लाख लोग वहां पर उपस्थित थे और कल-कल की धारा नर्मदा की जब बहने लगी तो खुशी से तीन लाख लोगों की आंखों में अविरल आंसुओं की धारा वहां पर बहने लगी। पानी को लाने की ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिये। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुःख है माननीय मुख्य मंत्रीजी केवल दीवार पर नारा लिखवाते हैं 'पानी बचाओ'। अपने उदगार प्रकट मत करो, आपके उदगार इन्द्रदेव सुन लेते हैं और पानी ऊपर ही बचा लेते हैं। धरती पर पानी नहीं आता है। वैसे यह तो योग-संयोग की बात है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में एक पैराग्राफ में कहा कि हम संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार और सुशासन देंगे, लेकिन सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और मैं पक्ष में बैठे हुए भाइयों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कौनसा सुशासन देना चाहते हो। आज पिछले दो महीनों से राजस्थान सरकार के 50 विभागों की महत्वपूर्ण फाइलें माथुर आयोग ने मंगवा ली और माथुर आयोग में जाने के बाद में यह नहीं कह रहा, जांच से

भारतीय जनता पार्टी नहीं डर रही, खूब जांच करो, अच्छी तरह जांच करो, लेकिन आज जनता का जो काम रूक गया है, आज कोई काम के लिये जेडीए जाता है, कोई यूआईटी में जाता है, कोई जिला परिषद में जाता है, कोई पी.डब्ल्यू.डी. में जाता है तो जाते ही अधिकारी जवाब देते हैं, फाइल नहीं है। फाइल माथुर आयोग में चली गयी। कौनसा सुशासन देना चाहते हो? सुशासन देने वाला प्रशासन आज माथुर आयोग में फाइल जाने के बाद मरणासन्न अवस्था में हो गया है। माथुर आयोग की बात कर रहे हो। मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का दोहरा चरित्र, एक तरफ घोषणा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पाँच साल के शासन की जांच के लिये जस्टिस माथुर आयोग का गठन किया गया है। और अभी हाल ही में जब कृष्ण मुरारी अस्थाना और काशी पुरोहित नाम के दो लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई, संवैधानिक चुनौती दी इस माथुर आयोग के गठन को जब हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने जवाब दिया कि हमने माथुर आयोग का गठन किसी पार्टी के शासन की जांच के लिये नहीं किया है।

सभापति महोदय, एक तरफ कहते हैं कि जांच के लिये माथुर आयोग का गठन किया है और हाई कोर्ट में यह लिखकर देते हैं, सरकार लिखित में हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करती है कि माथुर आयोग का गठन हमने इसके लिये नहीं किया। और यहां तक कहा कि माथुर आयोग का गठन हमने संवैधानिक दायरे में नहीं किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कथनी और करनी में राज्य के मुखिया का अन्तर नहीं रहना चाहिये।

सभापति महोदय, बात आई हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा अभी बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा। जब बात आती है जोधपुर की, तो लगातार सदस्य खड़े होकर कहते हैं कि झालावाड़ के बजट भी देखो कि झालावाड़ में कितना बजट खर्च किया। मैं आपको निमन्त्रण देना चाहता हूँ कि आप जोधपुर की यात्रा भी कर लो और आप झालावाड़ की यात्रा भी कर लो। झालावाड़ बरसों से विकास के लिये तरस रहा था। पूरे राजस्थान में कोई झालावाड़ का नाम नहीं जानता था। झालावाड़ में वसुन्धराजी ने केवल मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई हैं। कोई बड़ा विकास का आयाम झालावाड़ की धरती पर स्थापित नहीं किया। लेकिन आज जोधपुर का जहां तक सवाल खड़ा होता है ..(व्यवधान).. मेडिकल कॉलेज तो सब जगह ही जा रहे हैं श्रवण कुमार जी। श्रवण जी प्लीज, बैठें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अलवर में भी है ना। क्या हुआ, बढ़िया कर दिया ना पर और जिले भी हैं क्या? यह मत कहो, जहां जिसके बीच बैठते हैं ..(व्यवधान)..

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं तुलनात्मक विश्लेषण कर रहा हूँ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सड़कों का जाल बिछाया। राजेन्द्र जी ने चूरु में सड़कों का जाल बिछा दिया। और अभी माननीय सदस्य कह रहे थे तीन तीन लाख आदमियों की मीटिंग होती थी तो वोट के वक्त वह कहाँ चले गये? वोट क्यों नहीं डाले उन्होंने? इकट्ठे होते थे तो..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, जोधपुर को क्या नहीं मिला। हाई कोर्ट जोधपुर में, जोधपुर में विश्वविद्यालय पहले से, जोधपुर में हमारे शासन काल में विधि विश्वविद्यालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में, उसके बाद में 17 घोषणाएं भी जोधपुर की, जोधपुर हमारी शान है। जोधपुर राजस्थान का अभिन्न अंग है, लेकिन माननीय सभापति महोदय, मन को पीड़ा होती है और यह मेरे ही मन की पीड़ा नहीं, यह आदरणीय श्रवण जी के मन के फफोले भी हैं और लोगों की भी मन की पीड़ा है। यह बजट संतुलित होना चाहिये। यह बजट प्रदेश के हर संभाग के लिये होना चाहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो गांव के लिये कह रहा हूं, गांव में करना चाहिये। आप लोगों ने गांव में किया नहीं, आपने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं चम्बल की धरती से इस पवित्र सदन में आता हूं। कोटा के साथ न्याय नहीं हुआ। पूरे संभागीय स्तर के जितने भी बड़े बड़े विकास के आयाम हैं, वह जोधपुर और उदयपुर में स्थापित हुए। कोटा पूरे हिन्दुस्तान में, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): आपकी बात सही है या इनकी बात सही है? अभी तो आप कह रहे थे उदयपुर को कुछ नहीं दिया। आप भाषण मत दें, इस बजट में जो बात है, बजट के बारे में बोलो। बजट की कोई कमी हो तो बताओ, बजट में कोई कमी ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): आप अपनी उपलब्धियां मत बताइये। पाँच साल की उपलब्धियां राजस्थान की जनता जानती है कि पाँच साल में आपने क्या उपलब्धि की है। ..(व्यवधान)...

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): आपका समय आये तब आप कहना। सभापति महोदय, आज कोटा ने राजस्थान का नाम पूरे हिन्दुस्तान में आलोकित कर रखा है। पूरे देश के विभिन्न प्रान्तों से लगभग 60 हजार बच्चे आई आई टी, पीईटी, पीएमटी की कोचिंग के लिये कोटा में हैं। कोटा देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक नगर है और पिछली सरकार ने यह आधारभूत ढांचा कोटा का देखते हुए कोटा को आईआईटी दी। कोटा का

चयन किया और संवैधानिक तरीके से किया। केन्द्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने भी उस पर मोहर लगाई और माना कि कोटा का ही हक बनता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए दुःख होता है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने योजनाबद्ध तरीके से, षड्यन्त्रपूर्वक ..(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह षड्यन्त्रपूर्वक शब्द को एक्सपंज कराइये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): मैं कहना चाहता हूँ बजट में इस बहस के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि हक कोटा का बनता है और इसलिये जोधपुर का मोह छोड़कर और कोटा को आई आई टी का हक दें। माननीय सभापति महोदय, मैं पाँच मिनट में समाप्त करूंगा, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ..(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अभी काफी वक्ताओं को बोलना है। आपके समय से अधिक समय आप बोल चुके हैं। आप इसको समअप करें। प्लीज, समअप करें।

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, बजट के पेज नम्बर 18 और पैरा 82 आप सब पढ़ें। इसमें लिखा है आबकारी राजस्व की एक प्रतिशत राशि जो लगभग 23 करोड़ रुपये हैं, अवैध शराब के धन्धों में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु खर्च की जायेगी। माननीय सभापति महोदय, इससे बड़ी कोई गंभीर बात नहीं हो सकती। जो अवैध काम करते हैं, जो शराब बेचते हैं, उन परिवारों के लिये पुनर्वास योजना? कौनसी परम्परा हम राजस्थान की धरती पर शुरू करने जा रहे हैं? कल को लोग डकैती करेंगे, कोई लूट करेंगे, उनके लिये हम पुनर्वास करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अवैध शराब का धन्धा खत्म नहीं करना चाहते क्या आप?

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): इसमें लिखा हुआ है रघुजी, शराब में लिप्त परिवार..(व्यवधान)..

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अवैध शराब का धन्धा खत्म करने के लिये है।

एक माननीय सदस्य: आपकी सरकार है, कर दीजिये। (व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बिराजें। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अवैध कारोबार करने वाले लोगों को संरक्षण मिलेगा राजस्थान की धरती पर और इसीलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको वापस लेना चाहिये। जहां तक सवाल है, माननीय सभापति महोदय, इन चीजों को रोको। आज

हरियाणा से लाखों बोतल अवैध शराब, जो शराब घटिया है, वह शराब राजस्थान की धरती पर आ रही है। कहीं ऐसा नहीं हो कि गुजरात जैसा हादसा राजस्थान की धरती पर हो जाये और मुझे तो आश्चर्य हुआ, माननीय सभापति महोदय, जब ई.टी.वी. पर मैंने देखा लोक सभा चुनाव के पहले आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ई.टी.वी. पर कह रहे थे कि 8 बजे पहले शराब लेकर घर जाकर शराब पी लो। बोतल पर लिखा रहता है, सिगरेट पर लिखा रहता है कि नशा हानिकारक है। उसके बाद मैं मुख्य मंत्री जी राजस्थान की जनता को प्रेरित करे और यहां तक ही नहीं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा पंकज उदास की गजल की तर्ज पर कहा कि 'थोड़ी-थोड़ी पिया करो।'

Pcs/usc 13.07.2009 16.40 3c

सभापति महोदय, क्या हम शराब को बढ़ावा दे रहे हैं या हम शराब पर अंकुश लगाना चाहते हैं?... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अगर आप शराब पर डिबेट कराना चाहते हों तो करा लेते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): आप जिन बातों के लिए कह रहे हो, +++ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सभापति महोदय, इन्होंने जो कुछ बोला है, ये आपत्तिजनक चीजें हैं जिनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): सभापति महोदय, यहां पर इस तरह के भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इनका समय समाप्त हो गया है, आप इन्हें बैठाइये। आप हमारे मुख्य मंत्रीजी के लिए कहना चाहते हैं तो आपके मुख्य मंत्रीजी की तरफ भी देख लें + + +, आप पूरी की पूरी व्यवस्था को रोकें। + + +, उसको रुकवाइये। कहां है ऐट पी एम के बाद तुम्हारी जनता और तुम्हारे मुख्य मंत्री थे वह? + + + (व्यवधान) कभी देहरादून, कभी यू एस ए, कभी अमेरिका, कभी लन्दन.....

एक माननीय सदस्य: आप अपने बारे में सोचो।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): हमारे बारे में राजस्थान की जनता.... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह आठ बजे का जो समय रखा है न, वह + + + (व्यवधान) उस बात को याद दिलाना चाहता हूं। आप कहना क्या चाहते हो? (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): आप कहना क्या चाहते हो? आप बात कर रहे हैं इतने शानदार बजट की। शानदार बजट हुआ है, राजस्थान की जनता स्वीकार कर रही है। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आप मंत्रिमण्डल में हो।....

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): एट पी एम के बाद आपके मुख्य मंत्रीजी को ढूँढती रहती थी राजस्थान की जनता, जनता परेशान रहती थी। कृपा करके इनके बारे में सोचो। ... (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): आपको भी पता लग जाएगा। आप मंत्रिमण्डल में हो। अशोकजी, थोड़ा सा तो अपनी जुबान पर कन्ट्रोल करो, आप मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): मैं सदस्य हूँ परन्तु आप ऐसी बात नहीं बोले जिसका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बारे में क्यों बोला जा रहा है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य बिराजिए। आजाद साहब, बिराजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, इस हाउस के अंदर इस हाउस की गरिमा को संभालने के लिए यह एक्सपेक्टेड है कि रघु शर्मा जैसे लोग इस तरीके की भाषा हाउस के अंदर इस्तेमाल नहीं करें। I am absolutely shocked because this is not expected ... I am sorry..... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, मैंने कौनसी भाषा ... (व्यवधान) वह जो भाषा बोल रहे हैं ... (व्यवधान) आप अपने सदस्यों को समझाइए। ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने इसको वॉच किया, ऐसा नहीं चलेगा। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैंने कोई गलत भाषा नहीं बोली, यह मुख्यमंत्रीजी को इंगित करके कह रहे थे। इनको आप रोकिए पहले। ... (व्यवधान) वह क्या कह रहे थे ... (व्यवधान) वह क्या बोल रहे थे, पहले उनकी बात को देखो। वह क्या बोले, पहले उसको देखिए आप। ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिए। आसन पैरो पर है। ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आप हाउस में जो भी कहना चाहें मनमानी, जो भी कहना चाहें मुंह से कह दें, रेस्पेक्टेड मेम्बर आप हाउस के हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आपकी नेता बोल रही हैं। विराजें आप लोग। ... (व्यवधान) आजाद साहब विराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने इस असभ्य भाषा ... (व्यवधान) और मैं मानती हूँ कि अगर इस तरीके से भाषण आप लोग हाउस में देंगे तो इसकी अपोलॉजी भी आपको करनी चाहिए। ऐसा आप नहीं कह सकते किसी भी मेम्बर के बारे में। ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो यह है ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्षमा याचना करो न।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आप इसकी क्षमा मांगें। कोई भी आये ... (व्यवधान) अगर मैं यह कह दूँ कि +++ ... (व्यवधान) यह कोई बात है? ... (व्यवधान) आपका यह कहना कि +++ ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं, यहां पर रिकार्ड आप देख लीजिए। मैंने यह नहीं कहा है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, रघु शर्मा ने जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज करवाइये। आप एक्सपंज कराइये उसको। ... (व्यवधान) रघु शर्मा ने जो कुछ बकवास की है उसको एक्सपंज कराइये।

श्री सभापति: आप विराजिये। ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): हाउस नहीं चलेगा यह, अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जायेगी। ... (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापति महोदय, बात यह चल रही थी कि... ... (व्यवधान) मुख्यमंत्रीजी का यह इरादा था कि जो परिवार पीड़ित हो गया है, आदमी शराब पीता है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, आप विराजिये। ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, इस सदन की गरिमा बनाये रखने का दायित्व सत्ता पक्ष का भी है। सत्ता पक्ष के मंत्री उस कुर्सी से कह दें ... (व्यवधान) सीधे किसी पर फब्तियां कस दें... (व्यवधान) केकड़ी से आने वाले सदस्य कुछ भी कह दें, इनको यह अधिकार नहीं है। ... (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप अपनी कुर्सियों पर जा कर विराजें। आप विराजें तो सही। ... (व्यवधान)

*** अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): पहले आप उस चीज को एक्सपंज कराइये।
...(व्यवधान)

श्री सभापति: मुझे सारा मामला देख तो लेने दीजिए। आप विराजिये तो सही
...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह नहीं चलेगा।

एक माननीय सदस्य: ऐसे कैसे चलेगा सदन, बताओ आप। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। मैं देख रहा हूँ, मैं देखूँगा। सारी चीजें दूँगा। मैं व्यवस्था दूँ, आप विराजें तो सही। आप अपनी सीटों पर विराजें, मैं देख रहा हूँ। जो भी अपमानजनक बात होगी वह कार्यवाही से निकाल दी जायेगी। आप विराजें तो सही। प्रति पक्ष के सचेतक महोदय, आप मेरी बात सुनिये, बात सुनें ...(व्यवधान) आप विराजें। आप कुर्सियों पर पधारें, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। आप विराजो तो सही, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। ...(व्यवधान) माननीय सचेतक महोदय, राठौड़ साहब, राठौड़ साहब, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ। व्यवस्था नहीं हो आसन से तब बोलियेगा, आप विराजें। सचेतक महोदय, विराजें, राठौड़ साहब, विराजें। ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के मा. सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

आप विराजें। आप कुर्सियों पर विराजें। आप कुर्सियों पर पधारें। ...(व्यवधान)

(बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा ...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लें। प्लीज, एक मिनट। ...(व्यवधान)

महेन्द्र/चौहान/1650/3d/13072009/1 अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। सदन का समय, सदन का समय ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में आये)

समय समाप्त हो रहा है। समय समाप्त हो रहा है। ...(व्यवधान) सदन का समय समाप्त हो रहा है। समय का समय बढ़वा दूँ पहले। पहले सदन का समय बढ़वा देने दीजिए, टाइम हो जायेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन का समय नहीं बढ़वाना चाहते हैं आप? तो फिर मैं सदन की

बैठक मंगलवार ..., तो फिर आप अपने स्थान पर पधारो जरा। सुनिये, सुनिये।
...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन कूप में आये)

फिर वो ही बात।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 16.50 बजे मंगलवार, दिनांक 14 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)
